सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2012-2013

हेवी इंजीनियरिंग

मशीन टूल्स

विद्युत उपकरण

ऑटोमोबाइल

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 011
वेबसाइटः dhi.nic.in/dpe.nic.in

विषयवस्तु

		पृष्ठ
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन		**5–7**
भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का दृष्टिकोण, लक्ष्य		**9**
1.	परिचय	11–16
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	17–40
3.	हैवी इलेक्ट्रिकल, हैवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	41–46
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	47–52
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अनुसंधान और विकास	53–73
6.	अजा/अजजा/अपिव/विकलांगो और अल्पसंख्यकों का कल्याण	74–75
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	76
8.	सतर्कता	77–78
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	79–80
10.	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	81–82
11.	सूचना का अधिकार	83
12.	परिणाम कार्य-ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)	84–93
	अनुबंध (I-XII)	94–108
	संकेताक्षर	109–112
लोक उद्यम विभाग(डीपीई) का दृष्टिकोण एवं मिशन		**113**
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	115–117
2.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	118–124
3.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज) में कारपोरेट अभिशासन एवं बोर्ड का व्यवसायिकता	125–128
4.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों से कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति	129–130
5.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	131–137
6.	स्थाई मध्यस्थता तंत्र	138
7.	मजूरी नीति और श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण	139–142
8.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	143
9.	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	144–145
10.	परामर्श, पुनःप्रशिक्षण और पुनःतैनाती (सीआरआर)	146–147
11.	स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वीआरएस)	148
12.	कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	149
13.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	150
14.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट	151

15. राजभाषा नीति 152
16. महिलाओं का कल्याण 153
17. योजनागत निधि-व्यय का विवरण 154
18. परिणाम कार्य ढ़ांचा दस्तावेज (आरएफडी) 2011-12 155

परिशिष्ट (I-VIII) **156-190**

अनुबंध - (I-XII)

I. भारी उद्योग विभाग को आबंटित कार्य 94—96
II. भारी उद्योग विभाग का संगठनात्मक स्वरूप 97
III. भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना 98—99
IV. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 31-3-2012 की स्थितिनुसार अजा, अजजा और अपिव सहित रोजगार की स्थिति 100
V. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्य-निष्पादन 101
VI. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (कर पूर्व) लाभ (+)/हानि(-) 102
VII. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार के % के रूप में वेतन / मजदूरी बिल एवं सामाजिक उपरिव्यय 103
VIII. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आर्डर बुक की स्थिति 104
IX. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात प्रदर्शन 105
X. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 31.3.2012 की स्थितिनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल संपत्ति और संचित लाभ (+)/हानि(-) (अनंतिम) 106
XI. भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार / पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 107
XII. वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन 108

परिशिष्ट - (I-VIII)

I. लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक स्वरूप 156
II. केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मिनीरत्न की सूची 157—158
III. 15.11.2012 की स्थितिनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची—वार सूची 159—167
IV. अक्तूबर, 2011 से सितंबर, 2012 की अवधि के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचारित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण 168
V. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्तावों को बीआरपीएसई ने स्वीकृत किया 169—171
VI. बीआरपीएसई अनुशंसित प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत नकद एवं ग़ैर नकदी सहायता 172—175
VII. 2011-12 में प्रचालनात्मक नोडल एजेंसियों की सूची 176
VIII. लोक उद्यम विभाग की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2011—12) का निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 177—190

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन

1.1 मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है। मंत्रालय देश में पूंजीगत सामग्री, ऑटो, विद्युत उपस्कर विनिर्माण और इंजीनियरी उद्योग के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

क भारी उद्योग विभाग(डीएचआई)

1.2 भारी उद्योग विभाग इंजीनियरी उद्योग यथा मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों को प्रशासित करता है। विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्री के विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन आने वाले उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, कृषि ट्रैक्टर से लेकर घड़ी, कागज, टायर और नमक जैसे उपभोक्ता उत्पादों का व्यापक रूप से उत्पादन करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देखरेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए उपस्कर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देशन के लिए जुलाई, 2005 में स्थापित नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस)

ii) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल जो कैलीब्रेशन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।,

iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और एआरएआई–फोर्जिंग इंडस्ट्री डिवीजन (एआरएआई–एफआईडी) पुणे, महाराष्ट्र।

भारी उद्योग विभाग का कार्य–आबंटन **अनुबंध–1** पर दिया गया है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योगों की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता तीन संयुक्त सचिवों, निदेशक/उप–सचिव और एक तकनीकी स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग की सहायता अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के नेतृत्वाधीन एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा भी की जाती है। विभाग की अधिकारियों/कर्मचारियों की

समग्र स्वीकृत संख्या(01.01.2013 को) 264 थी। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–2** में दिया गया है।

1.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग ने कार्य पद्धति को सरल बनाने के साथ–साथ कर्मचारियों तथा जनता की सहायता के लिए वरिष्ठ स्तर पर प्रमुख मुद्दों के लिए कई नोडल अधिकारी नियुक्त/पदनामित किए हैं।

1.6 सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप यह विभाग परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करता है जो भारी उद्योग विभाग की परियोजनाओं/स्कीमों की निगरानी के लिए दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य और घटनाक्रमों को संपुटित करता है। इसमें न केवल सहमत्य उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम और परियोजनाएं बल्कि उन्हें उनकी कार्यान्वित संबंधी प्रगति को आंकने के लिए सफलता संकेतक और लक्ष्य भी शामिल हैं। यह वर्ष के अंत में विभाग के समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्यपरक और उचित आधार भी प्रदान करता है। इसे विभाग के निदेशक/उप सचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों और भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को शामिल करने के लिए विभाग द्वारा विस्तारित किया गया है। उप्युक्त दस्तावेज तैयार करने और आगे समन्वय करने के लिए इस विभाग द्वारा एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। भारी उद्योग विभाग का परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) अध्याय–12 पर दिया गया है।

ख. लोक उद्यम विभाग(डीपीई)

1.7 तीसरी लोकसभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्राालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। इस समय यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.8 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा यह सीपीएसईज से संबंधित नीति तैयार करता है। यह विशेष तौर पर सीपीएसईज में कार्यनिष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध में नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

1.9 अन्य बातों के साथ–साथ रूग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने और उससे संबंधित उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की दिसंबर, 2004 में स्थापना की गई। लोक उद्यम विभाग बीआरपीएसई को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध करवाता है।

1.10 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैः

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर–वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वय।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली और कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अधीन कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका

पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.11 अपनी भूमिका पूरी करने में विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:–

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित गैर–वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने से संबंधित मुद्दे।
- निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबन्ध, कार्यनिष्पादन सुधार, वित्तीय प्रबन्ध, वेतन निपटारा और सतर्कता प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियां बनाना।
- महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न स्तर का केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का अधिष्ठापन और समीक्षा
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों के श्रेणीकरण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
- निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और आवधिक अंतरालों पर उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित नीति।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुछेक वर्गों के नागरिकों के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले।
- लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) से संबंधित मामले।
- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामले।

1.12 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिए 126 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या वाली एक स्थापना है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट–1** में दी गई है।

H·E·C
HEC

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

दृष्टिकोण

'विभाग के अधीन आधुनिक, स्वस्थ और मज़बूत ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलैक्ट्रिकल एवं पूंजीगत सामग्री क्षेत्रों और आत्मनिर्भर एवं विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना'

लक्ष्य

''भारी उद्योग विभाग का लक्ष्य अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम खड़े करने के साथ–साथ रूग्ण और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन और पुनरूद्धार करना है।

भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं परीक्षण अवसंरचना का सृजन करते हुए वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता हासिल करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।

भारी उद्योग विभाग ऑटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी इलेक्ट्रिकल और पूंजीगत सामग्री क्षेत्र को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है।

अध्याय 1 परिचय

1.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

1.1.1 औद्योगिक कार्य निष्पादन का आकलन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुरूप किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के 3.6% की तुलना में चालू वर्ष 2012–13 के प्रथम सात महीनों (अप्रैल–अक्तूबर) में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के 3.8% की तुलना में 2012–13 में (अप्रैल–अक्तूबर) में 1.0% की वृद्धि दर्ज़ की। खनन और विद्युत क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान दर्ज (–)2.2% और 8.9% की तुलना में 2012–13(अप्रैल–अक्तूबर) में क्रमशः (–) 0.7% और 4.7% की वृद्धि दर्ज की।

1.1.2 पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान (–) 0.5%की वृद्धि की तुलना में 2012–13 में (अप्रैल–अक्तूबर) (–) 11.4% की वृद्धि दर्ज़ की है। उपभोक्ता सामग्री, बुनियादी सामग्री और मध्यस्थ सामग्री ने अप्रैल–अक्तूबर, 2012–13 के दौरान क्रमशः 4.0%, 3.0%,और 2.3%,की वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 4.5%, की तुलना में 2012–13 (अप्रैल–अक्तूबर) में 5.6%, की वृद्धि दर्ज़ की।

औद्योगिक विकास संकेतक

आधार: 2004-05

(विकास दर, प्रतिशत में)

मद	भार (%)	2010-11	2011-12	अप्रै-अक्तू- 2011-12	अप्रै-अक्तू- 2012-13
1	2	3	4	5	6
आईआईपी आधारित क्षेत्रवार वृद्धि दर					
कुल	100	8.2	2.9	3.6	1.2
खनन एवं उत्खनन	14.2	5.2	-2.0	-2.2	-0.7
विनिर्माण	75.5	9.0	3.0	3.8	1
बिजली	10.3	5.5	8.2	8.9	4.7
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
कुल	100	8.2	2.9	3.6	1.2
बुनियादी सामग्री	45.7	6.0	5.5	6.3	3.0
पूंजीगत सामग्री	8.8	14.8	-4.0	-0.5	-11.4
मध्यस्थ सामग्री	15.7	7.4	-0.6	-0.8	2.3
उपभोक्ता सामग्री	29.8	8.6	4.4	4.0	4
टिकाऊ वस्तुएं	8.5	14.2	2.6	4.5	5.6
गैर–टिकाऊ वस्तुएं	21.3	4.3	5.9	3.6	2.7

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.1.3 कुछ भारी उद्योगों का 2011–12 (अप्रैल–अक्तूबर) की तुलना में 2012–13 (अप्रैल–अक्तूबर) की अवधि के लिए उत्पादन सूचकांक और वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

	उत्पादन सूचकांक (2004-05=100)				वृद्धि दर (%)			
	अप्रैल–मार्च		अप्रैल–अक्तूबर		अप्रैल–मार्च		अप्रैल–अक्तूबर	
उद्योग	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13
यात्री कारें	254.08	260.34	240.32	247.46	28.39	2.46	-0.10	2.97
ट्रैक्टर्स (पूर्ण)	247.90	292.27	290.39	263.08	24.55	17.90	22.85	-9.40
कूलिंग टावर्स	187.06	283.27	212.42	175.25	2.19	51.43	24.78	-17.50
क्रेनें	230.44	240.17	194.50	201.82	8.29	4.22	-16.10	3.76
लिफ्ट/एलिवेटर्स एवं उनके हिस्से–पुर्जे	138.98	127.20	119.94	167.15	5.21	-8.48	-20.44	39.36
पम्पस (विद्युत चालित पंपों सहित)	202.55	194.56	181.47	204.56	8.55	-3.95	-11.79	12.73
एअर एवं गैस कम्प्रेशर्स	114.05	118.13	119.08	108.55	29.13	3.58	7.10	-8.85
जनरेटर/ऑल्टरनेटर	379.19	379.61	323.14	517.10	22.73	0.11	-7.52	60.02
इलेक्ट्रिक मोटर्स फेस -I	88.99	86.48	69.58	97.44	6.96	-2.83	-20.06	40.05
इलेक्ट्रिक मोटर्स (एक्सल. फेस-I)	187.39	200.61	189.29	173.65	-1.47	7.05	11.07	-8.27
ट्रांसफार्मर्स (पी.डी.टी एवं विशेष प्रकार)	213.17	236.60	201.71	192.55	-0.74	10.99	22.39	-4.54
ट्रांसफार्मर्स (लघु)	229.52	199.92	208.92	209.02	7.55	-12.90	-10.95	0.05
टरबाईन एवं असेसरीज	300.40	323.48	218.91	209.24	25.55	7.68	8.41	-4.42
इन्सुलेटिड केबल्स/सभी प्रकार की तारें	182.35	201.43	178.34	229.34	3.35	10.46	-6.36	28.60
व्यावसायिक वाहन	215.01	260.03	243.68	238.17	32.83	20.94	23.91	-2.26
बायलर्स	316.71	378.33	278.57	281.97	18.14	19.46	25.26	1.22
इंजिन, आंतरिक कम्बस्टन सहित और डीज़ल इंजिन	182.32	192.13	183.90	207.79	18.70	5.38	4.20	13.00
अर्थ मूविंग मशीनरी	253.36	289.05	283.38	256.81	26.93	14.08	24.04	-9.37
लोडर्स	340.05	370.97	354.76	370.89	44.27	9.09	27.11	4.55
मशीन टूल्स	146.05	182.24	153.65	164.48	19.07	24.78	16.52	7.05
डेरी मशीनरी	90.61	109.88	119.99	132.98	-32.91	21.26	25.15	10.82
शूगर मशीनरी	438.18	357.90	368.34	374.78	50.36	-18.32	-8.36	1.75
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	121.19	111.98	78.13	88.89	17.98	-7.60	-9.64	13.78
वस्त्र मशीनरी	130.51	154.65	155.98	127.44	60.89	18.50	31.48	-18.30
प्लास्टिक मशीनरी, मोल्डिंग मशीनरी सहित	317.90	280.48	271.72	284.04	16.12	-11.77	-8.95	4.53
प्रिंटिंग मशीनरी	92.83	108.63	94.70	114.85	43.42	17.02	2.53	21.27
सीमेंट मशीनरी	468.70	166.44	171.17	148.70	43.35	-64.49	-68.45	-13.13

1.2 भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित विषय/औद्योगिक क्षेत्र भी आबंटित किए गए हैं।

(क) भारी इंजीनियरिंग उपस्कर एवं मशीन टूल्स उद्योग

(ख) भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग

(ग) ऑटोमोटिव क्षेत्र, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्कर सहित

1.3 1.2 (क), (ख) और (ग) के अधीन 19 औद्योगिक उप–क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) शूगर मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

1.4.1 विभाग के अधीन विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न 32 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं।

1.4.2 **अनुबंध–III** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2012 की स्थितिनुसार ₹ 16639.09 करोड़ था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 88794 हैं। अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध–IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमशः 16086, 8809 और 23556 है।

1.4.3 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 उद्यमों में से 17 उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं और शेष 15 उद्यम घाटे में हैं। तथापि, सकल आधार पर भारी उद्योग विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों ने वर्ष 2012–13 (पूर्वानुमानित) में ₹ 5610.97 करोड़ का कर–पूर्व निवल लाभ दर्शाया है। अप्रैल–मार्च, 2012–13 के दौरान (पूर्वानुमानित) इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल कार्यनिष्पादन और वर्ष 2013–14 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

	2012–13 अनुमानित	2013–14 लक्ष्य
उत्पादन	54323.19	58335.32
लाभ (+)/हानि(–)	5610.97	5027.62

(उत्पादन, लाभ/हानि का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम–वार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध–V** और **VI** में संलग्न है।)

1.4.4 घाटे में चल रहे उद्यम वस्तुओं की लागत में वृद्धि के अलावा निम्न क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अतिरिक्त जनशक्ति और पुराने संयंत्रों और मशीनरी सहित कई कारणों से ग्रसित हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश हानि उठा रहे उद्यमों में औद्योगिक मानदंडों से अधिक जनशक्ति और काफी उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध–VII** में दिए गए हैं।

1.4.5 दिनांक 01.10.2012 की स्थितिनुसार विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आर्डर बुक ₹ 130498.69 करोड़ है। (अनुबंध–VIII)

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मुख्य निर्यातक उद्यम 'भेल' है; भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात संबंधी कार्यनिष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध–IX** पर दिया गया है। इन

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संचित हानि/लाभ अनुबंध–X पर दिए गए हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2011–12 के लिए भुगतान किया गया लाभांश निम्नानुसार है:–

भेल	₹ 351.00 करोड़
ईपीआई	₹ 7.08 करोड़
बीएंडआर	₹ 2.73 करोड़

1.5 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

विभाग सरकार की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्राणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। लाभ कमा रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है और घाटा उठा रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पुनरूद्धार/बंदी के लिए विचार किया जा रहा है। तदनुसार, विभाग के अधीन उन कंपनियों, जिनका पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए नए सिरे से गौर किया गया है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने उन्हें भेजे गए सभी 28 मामलों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों की पुनरूद्धार/पुनर्गठन योजना और 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में संयुक्त उद्यम/विनिवेश/बंदी के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में लगभग 30,000 कर्मचारी हैं। ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निम्नानुसार हैं:

(i) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)

(iii) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमि. (बीबीजे)

(v) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), एचएमटी (एमटी)लिमि. के साथ विलय

(vi) एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड (एचएमटी (बी)

(vii) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(viii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)–6/8/2010 को रेल मंत्रालय को अंतरित

(ix) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

(x) एचएमटी मशीन टूल्स (एचएमटी) (एमटी)

(xi) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(xii) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)– भेल द्वारा दिनांक 07.05.2008 को अधिगृहीत

(xiii) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

(xiv) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

(xv) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)–रेल मंत्रालय को दिनांक 13.08.2008 को अंतरित

(xvi) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)–रेल मंत्रालय को 15/9/2010 को स्थानांतरित

(xvii) नेपा लिमिटेड

(xviii) स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

इसके अतिरिक्त, भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) के मामलों में सरकार द्वारा बंदी को अनुमोदित किया गया है। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड और रिचर्डसन एण्ड क्रूड्रास लिमिटेड के मामलों में सरकार ने संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाना अनुमोदित कर दिया है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताएं जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित कर दी हैं। ऊपर उल्लिखित 18 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध–XI** दिया गया है। वर्तमान में एचपीएफ, एचएमटी(एमटी), एचएमटी(वाचिज) और एसआईएल के लिए पुनर्गठन/पुनरूद्धार का विचार अग्रिम चरण में है।

1.6 विभाग अपने प्रशासनिक नियन्त्रण वाले सीपीएसईज

को वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सरकार/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत रूग्ण/घाटे वाले सीपीएसईज की पुनर्गठन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

1.7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता/नवरत्न और मिनीरत्न का दर्ज़ा

विभाग में बीएचईएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उद्यम है। कंपनी के बोर्ड को सुयोग्य पेशवरों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यमों को पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक गठबंधन करने और मा.सं.वि. नीतियां तैयार करने आदि के संबंध व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है। महारत्न कंपनी बीएचईएल के अलावा, भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यम, नामतः आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई, एचपीसी और एचएमटी(आई), बीपीसीएल और बीएंडआर को मिनीरत्न का दर्ज़ा प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों को भी कुछ और अधिक अधिकार प्रदान करते हुए सशक्त किया गया है।

1.8 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को व्यापक स्वायत्ता प्रदान किए जाने और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जवाबदेह बनाए जाने के दृष्टिगत, विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों ने वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार/धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.9 भारी उद्योग विभाग का योजना कार्यक्रमः 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में, विभाग में निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं शुरू की गई हैं:

1.9.1 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) को सरकार ने 25 जुलाई 2005 को अनुमोदित किया था और भारी उद्योग विभाग ने इसे 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया। नैट्रिप के तहत इसे अधिसूचित किए जाने की तिथि से छह वर्षों के भीतर, ₹ 1718 करोड़ (बाद में संशोधित ₹ 2288.06) के कुल निवेश के साथ, भारत में विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं होमोलोगेशन सुविधाओं की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। प्रमुख सुविधाएं देश में दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में तीन ऑटोमोटिव हब्स में उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के उद्देश्य हैं– (i) सरकार को वैश्विक वाहक सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य निष्पादन मानकों की प्राप्ति में सरकार की मदद के लिए महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षित ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचनाएं सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना, बृहत मूल्य वर्द्धन को प्रोत्साहन जिससे कि रोज़गार क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो तथा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ आईटी और इलेक्ट्रानिक्स में भारत को मज़बूती प्राप्त हो सके, (iii) निर्यात की बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की अल्प वैश्विक बाहरी पहुंच को विस्तारित करना, और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसंरचना के प्रमुख अभावों को दूर करना। अप्रैल 2011 में, सरकार ने विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव, वैधानिक करों, इनपुट लागतों आदि के कारण लागत में ₹ 570 करोड़ लागत वृद्धि के अनुरूप संशोधित अनुमानित लागत ₹ 2288.06 करोड़ को मंजूरी प्रदान की है।

1.9.2 भारी उद्योग विभाग/एफसीआरआई के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन, तथा प्रोत्साहन उपायों कार्यालयों का, आधुनिकीकरण, आईटी आदि के लिए संवर्धनात्मक स्कीमें।

बीआईएफआर/सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अनुरुप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त संस्थाओं में ये योजनाएं मोटे तौर पर पुनरूद्धार/रिप्लेसमेंट्स, मार्गावरोध दूर करने की सुविधाओं और निवेश की श्रेणी में आती हैं। इन योजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रचालनों को बनाए रखना और/या सक्षम प्राधिकरणों से अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों का हिस्सा होना अपेक्षित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ₹ 4680 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता के साथ ₹ 22223.32 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया है।

1.9.3 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि. (एचपीसी) की जगदीशपुर यू.पी.पेपर मिल परियोजना

कागज की मांग और स्वदेशी आपूर्ति में संभावित अंतर को ध्यान में रखते हुए, एचपीसी ने एक नई सहायक कंपनी के जरिए उत्तर क्षेत्र में जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में नई विनिर्माण बिल्डिंग की स्थापना का फैसला किया है जिसके लिए भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। नए कागज संयंत्र की क्षमता अनुमानित लागत ₹ 2742 करोड़ (अचल लागत आधार) और ₹ 3241 करोड़ (पूर्णता लागत आधार) के साथ 3 लाख टन प्रति वर्ष होगी। उ.प्र. की राज्य सरकार से भूमि का आबंटन प्राप्त न होने की वजह से परियोजना गतिविधि शुरू नहीं की जा सकी। भूमि प्रापण में विभिन्न बाधाओं को देखते हुए, प्रथम चरण में क्रय की गई लुगदी के साथ लेखन एवं मुद्रण कागज की 1,00,000 टीपीए की विनिर्माण बिल्डिंग की स्थापना की संभावना का पता लगाने का फैसला किया गया है।

1.9.4 पूंजीगत सामग्री उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना

सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में ''पूंजीगत सामग्री एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र'' पर एक कार्यदल गठित किया गया था। इस समिति का कार्य उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में दीर्घावधि लक्ष्यों और विकास में बाधक कारकों की पहचान करना तथा भारी इलेक्ट्रिकल उपस्कर, खनन और निर्माण मशीनरी, डाईज, मोल्ड्स और प्रेस टूल्स, वस्त्र मशीनरी के विकास के लिए कार्यनीति तैयार करना था, जो कि पूंजीगत सामग्रियों और इंजीनियरिंग क्षत्रों के अंतर्गत आते हैं।

पूँजीगत सामग्री के क्षेत्र

₹ 300 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना की मंजूरी के लिए प्रस्ताव, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ईएफसी ने अनुशंसा की है कि संशोधित योजना को भारी उद्योग विभाग की 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ₹ 1081.22 करोड़ की बजटीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

1.9.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं (एचपीसी, एनपीपीसी, सीसीआई और एवाईसीएल)

भारी उद्योग विभाग के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाइयां स्थित हैं:–

(i) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स) असम।

(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नागालैंड।

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम।

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम।

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में संलग्न हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। 12वीं योजना अवधि के लिए अनुमानित बजटीय सहायता 468 करोड़ रुपए है। इसमें ₹ 332.50 करोड़ एनपीपीसी को आबंटित किए जा चुके हैं।

1.10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा आपत्तियां

सीएजी द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप, भारी उद्योग विभाग के कामकाज के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

अध्याय

2 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यम (सीपीएसई) प्रचालित हैं। इन सीपीएसईज ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सीपीएसईज भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्करों से लेकर सिविल निर्माण, भारी मशीनरी, परिशुद्ध औज़ारों, परामर्शी के वाएं, चाय बाग़ान आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसईज के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड(एवाईसीएल) की स्थापना 1863 में की गई थी। 1938 में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 1979 में यह सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बनी। कंपनी इसके तीन प्रचालन प्रभागों अर्थात (i) चाय प्रभाग, (ii) इलेक्ट्रिकल प्रभाग, और (iii) इंजीनियरिंग प्रभाग के जरिए औद्योगिक पंखों, चाय मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों, स्विचगियर्स, सर्किट ब्रेकर्स आदि सहित बिजली के उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री और सर्विसिंग के कार्य में संलग्न है। कंपनी ने दिसंबर, 2012 तक 94 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य और बिक्री लक्ष्य हासिल किया है। एवाईसीएल ने अप्रैल–दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान ₹ 15.55 करोड़ का नकद लाभ अर्जित किया। कंपनी को वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 309 करोड़ मूल्य का उत्पादन और ₹ 10.01 करोड़ का निवल लाभ का समझौता ज्ञापन लक्ष्य हासिल करने की आशा है। पिछले वर्षों की तुलना में एवाईसीएल टी एस्टेटस द्वारा उत्पादित चाय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और चाय उद्योग में इसकी बहुत सराहना हुई है। एवाईसीएल ने लगातार तीन पुरस्कार नामतः 2010 में कायाकल्प करने के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार, 2011 में परिवर्तन के लिए बीआरपीएसई पुरस्कार और 2012 में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड एंड्रयू युले एंड कंपनी लिमि. (भारत सरकार का उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली लाभ अर्जक सहायक कंपनी है। कंपनी पिछले 90 सालों से मुद्रण व्यवसाय में संलग्न है तथा बहुरंगी न्यूजलेटर, लीफलेट्स, फोल्डर, कैलेंडर, पुस्तक आदि जैसे सभी किस्म को मुद्रण कार्य की मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतः सज्जित हैं। वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 12.00 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य और ₹ 0.28 करोड़ के निवल लाभ लक्ष्य के मुकाबले कंपनी ने दिसंबर, 2012 तक क्रमशः ₹ 7.20 करोड़ और ₹ 0.16 करोड़ का उत्पादन और शुद्ध लाभ अर्जित कर लिया है। कंपनी को उपर्युक्त उत्पादन और निवल लाभ लक्ष्य वर्ष 2012–13 के अंत तक हासिल करने की आशा है।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(भेल)

भेल भारत में एक एकीकृत विद्युत संयंत्र उपस्कर विनिर्माता और ऊर्जा और बुनियादी क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है। भेल विश्व के उन बहुत ही कम संगठनों में से एक है जिनमें सभी प्रकार के विद्युत संयंत्र उपस्करों के विनिर्माण की क्षमता है। भेल का लक्ष्य बेहतर कल के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाला एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम

बनने का है। भेल इसके गठन के पांच से अधिक दशकों से लगातार विकास, कार्यनिष्पादन और लाभदायिकता का सतत ट्रैक रिकार्ड बनाए हुए हैं। भेल विद्युत और पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस और रक्षा आदि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न है। कंपनी के 15 विनिर्माण प्रभाग, 2 रिपेयर यूनिट, 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र, 8 ओवरसीज कार्यालय, 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वर्तमान में संपूर्ण भारत तथा विदेश में 150 से अधिक परियोजनाएं हैं जो कि कंपनी को अपने ग्राहकों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्पाद, प्रणालियां और सेवाएं दक्षतापूर्ण और प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर प्रदान करने में मदद पहुंचाते हैं।

भेल 30 प्रमुख उत्पाद वर्गों के तहत 180 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करता है। कंपनी द्वारा ऑडर्स प्राप्ति, विनिर्माण कौशल, प्रौद्योगिकी पर निरंतर ज़ोर दिये जाने के फलस्वरूप व्यापक प्रगति की है जिससे उसने औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे में उत्पादों के चुनिंदा हिस्से में स्थायी जगह पाने के अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विद्युत उपस्करों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो गया है।

तापविद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भेल सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित 800 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक, जिसमें 660/700/800 मेगावाट के सेट शामिल हैं, के भाप टरबाइन, जनरेटर, बायलर और सहायक उपकरणों की आपूर्ति करता है। वह 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक की स्थापना के लिए प्रस्ताव करने की क्षमता रखता है।

भेल ने सब क्रिटिकल रेंज में थर्मल सेटों के प्रस्ताव की रेंज बढ़ाते हुए 300 मेगावाट सेटों की नई रेटिंग भी शुरू की है। देश में पहली बार 525 मेगावाट थर्मल सेटों की नई रेटिंग भेल ने शुरू की।

भेल से आपूर्ति किये गये यूटिलिटी सेटों की अधिष्ठापित क्षमता पूर्व की एक लाख की क्षमता को पार कर गई है।

भेल उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय उपस्कर के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे हुए है। भेल, जहाँ आईएसओ–9000 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणालियों की जड़ें बहुत गहरी हैं, ने 2011–12 के दौरान इसकी तीन विनिर्माण इकाइयों और एक विद्युत क्षेत्र के लिए "टीक्यूएम में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा" अर्जित करते हुए व्यवसाय उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

हाल के वर्षों में भेल ने विनिर्माण क्षमता विस्तार के लिए अनुकूलतम निवेश किया है। देश ने क्षमता और सक्षमता वृद्धि कार्यनीति लागू की है और तदनुसार भेल ने प्रति वर्ष 20000 मेगावाट विद्युत उत्पादन उपस्कर सुपुर्द करने की क्षमता हासिल कर ली है।

एनटीपीसी बाढ़ 6600 मे.वा. के लिए सुपर–क्रिटिकल सेट का बर्नर पैनल भेल, त्रिची परिसर में तैयार किया जा रहा है

कंपनी ने हरित ऊर्जा प्रयासों के लिए वचनबद्धता बनाए रखते हुए उपस्करों की बिक्री बढ़ाने के लिए सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कई कार्यनीतिक संयुक्त उद्यमों की शुरूआत की है।

भेल द्वारा जीएसईजीएल, हज़ीरा के लिए 351 मेगावाट सीसीपीपी चालू किया गया

भेल विश्व भर में ऐसी कुछेक कंपनियों में से एक है जो कि इंटेग्रेटिड गैसिफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) टेक्नोलॉजी के विकास में संलग्न है जो लिग्नाइट जैसे निचले ग्रेड के कोयले को स्वच्छ करने की प्रौद्योगिकी की दिशा में उपयोगी साबित होगी। भारत में उपलब्ध हाई एश कन्टेंट कोयले के उपयोग को दक्ष बनाने के लिए, भेल ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्ल्यूडाइज़्ड बैड कम्बस्टन (सीएफबीसी) बायलर्स की आपूर्ति भी करता है।

एक संतुलित विकास बनाए रखने के लिए, भेल का व्यवसाय संविभाग के विविधीकरण के लिए परिवहन, पारेषण, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का इरादा है।

हाल में उठाये गये प्रमुख कार्यनीतिक कदमों ने प्रमुख कार्य–निष्पादन मानदंडों को हासिल करने और भविष्य के बिज़नेस के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें शामिल हैः–

- संयुक्त उद्यम कंपनी ''रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमि.'' को 15 अप्रैल 2009 को कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ निगमित किया गया ताकि मिलकर येरामारूस रायचूर, कर्नाटक में 2X660/800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और एडलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1X660/800मेवा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर की जा सके। येरामारूस परियोजना निर्माणाधीन है।
- मध्य प्रदेश में खण्डवा में निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर 2X800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ 25 फरवरी, 2010 को ''दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड'' संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई।
- केरल इलेक्ट्रिकल्स एंड एलायड इंजीनियरिंग कंपनी लिमि. (केईएल) की कासरगोड यूनिट के लिए आल्टरनेटर्स और अन्य रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों के विनिर्माण के लिए केरल सरकार के साथ ''बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमि'' 19 जनवरी, 2011 को संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई।
- लातुर, महाराष्ट्र में निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर 2X660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र/1500 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (सीसीपीपी) की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ 6 अप्रैल 2011 को संयुक्त उद्यम कंपनी ''लातुर पावर कंपनी लिमिटेड'' निगमित की गई।
- सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसर्स के विनिर्माण के लिए मैसर्स जीईएनपी, इटली के साथ जनवरी, 2010 में समझौता किया गया। इससे रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोरसायन, पाइपलाइन और अन्य अनुप्रयोगो लिए उच्च आकार के कम्प्रेससर्स की बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने की भेल की क्षमता में वृद्धि होगी।
- विद्युत संयंत्रों, उद्योग और नगर निगमों के लिए अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते 19 नवंबर, 2010 को जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईआईपीएल) के साथ सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते से भेल को ग्राहकों को टर्नकी समाधानों के तौर पर बड़े आकार के जल शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने की क्षमताओं को बढ़ाने का लाभ मिलेगा।
- उड़ानगुडी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर 2X800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए टीएनईबी (तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के साथ 26 दिसंबर, 2008 को संयुक्त उद्यम कंपनी ''उडानगुडी पावर कार्पोरेशन लिमि'' निगमित की गयी।

कार्यनीतिक योजना 2012–17

भेल ने अपनी 2012–17 कार्यनीतिक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य कंपनी को एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनने के मार्ग पर ले जाना है। सफलता के प्रमुख संचालक हैं–ईपीसी क्षमता निर्माण के जरिए विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावों का विस्तार करना, उद्योग व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना, स्पेअर्स और सेवाओं का विस्तार तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना।

कंपनी को सर्वोच्च अंशदाताओं में विद्युत क्षेत्र एक प्रमुख अंशदाता बना रहेगा साथ ही परिवहन और पारेषण अगले प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के तौर पर उभरेंगे। परमाणु, नवीकरणीय और जल क्षेत्रों में कंपनी की मौजूदगी को मज़बूत करने की रणनीति बनाई गई है।

कार्यनिष्पादन संबंधी उपलब्धियाँ

भेल ने वर्ष 2011–12 में ₹ 49,510 करोड़ के का कारोबार किया, और 2012–13 में बजट विहित कारोबार को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

भेल–कारोबार (₹/करोड़ में)

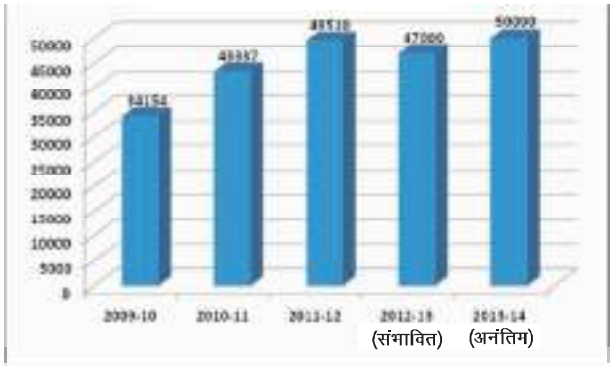

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 10302 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

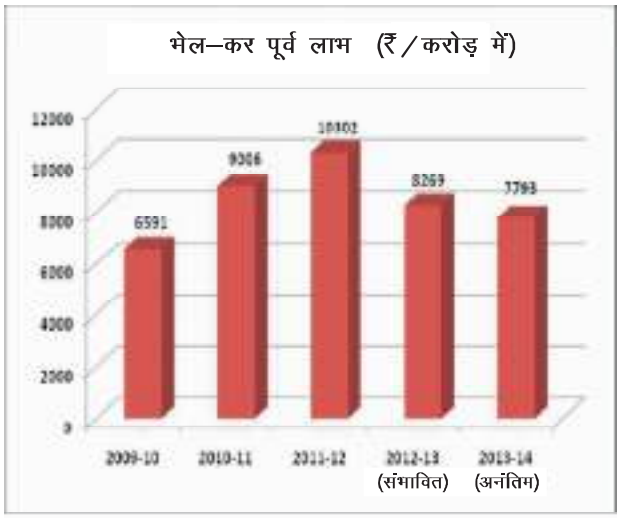

कंपनी 1976–77 से निरन्तर लाभांश का भुगतान कर रही है। वर्ष 2011–12 के लिए, भेल ने अब तक के सबसे उच्चतम लाभांश के तौर पर ₹ 1567 करोड़ का भुगतान किया है।

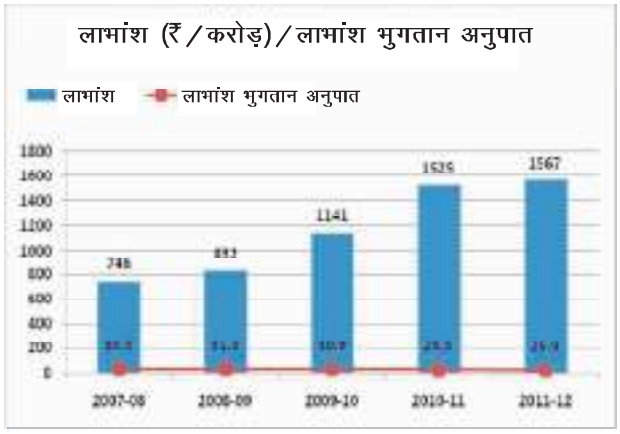

माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को लाभांश का चैक प्रदान करते हुए भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विनिर्माण उपलब्धियां

एचईपी, भोपाल ने पीजीसीआईएल के 1200 केवी राष्ट्रीय प्रायौगिक उप केंद्र में 1200 केवी 33 एमवीए रेटिंग के भारत के उच्चतम वॉल्टेज विद्युत ट्रासफार्मर को सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विनिर्माण और चालू किया। एकल चरण अंतर संपर्क ट्रांसफार्मर को घरलू इंजीनियरी एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी के साथ विकसित एवं विनिर्मित किया गया है।

भेल द्वारा डिज़ाइन एवं विनिर्मित 1200 केवी, 333 एमवीए अल्ट्रा हाई वॉल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर

- भेल ने एमआरपीएल पीएफसीसीयू रिफ़ाइनरी के लिए वैट गैस अनुप्रयोगों के लिए सबसे बड़े आकार के 2 एमसीएल 1007 कम्प्रेशर का सफलतापूर्वक निर्माण एवं परीक्षण किया है।

भेल हैदराबाद में एमआरपीएल के लिए 2एमसीएल1007 कम्प्रेशर

- ''315 एमवीए, 400केवी श्रेणी, 3–फेस, फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)'' का विकास और विनिर्माण किया गया। इस विकास कार्य में घरेलू ज्ञान आधार का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करना शामिल है तथा इसमें पहली बार सामान्य 3 नं. के बदले 6 नं. एचवी बुशिंग्स के साथ वैक्यूम टाइप ऑनलाइन टैप चेंजर की विशष वाइंडिंग डिज़ाइन, तैनाती करना और डिज़ाइन सत्यापन के लिए मैन्युअल गणनाएं करना सम्मिलित है।

फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर की 315 एमवीए 400/220/55/33 केवी, 3 फेस शंट यूनिट परीक्षणाधीन

- इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर भेल ने जीसैट–8 उपग्रह पर अपने स्पेस ग्रेड सौर पैनलों की सफल तैनाती के साथ एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किये गये इसरो के सबसे भारी उपग्रह का वजन लिफ्ट ऑफ पर करीब 3100 कि.ग्रा. है।
- भेल ने भारत के सबसे बड़े 15 एमवीए, 33/6.9 केवी, 3 फेस, 50हर्टज, नैचुरल एअर कूल्ड ड्राई टाइप कास्ट रेज़िन ट्रांसफार्मर का विकास किया है।

आर्डर बुकिंग

हाल में विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त कोयले की अनुपलब्धता, ग्राहकों के साथ धन संबंधी कठिनाइयों, गैस आपूर्ति में कमी, पर्यावरणीय मुद्दों आदि जैसी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा वाली चुनौतियों के बावजूद 2011–12 के दौरान

₹ 22096 करोड़ मूल्य के आर्डर बुक किए गए और वर्ष 2012–13 में और इसके आगे निष्पादन के लिए 31.03.12 को हाथ में कुल करीब ₹1,35,000 करोड़ के आर्डर थे।

2011–12 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

विद्युत क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र व्यवसाय खण्ड में, भेल ने देश में वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्र और संबद्ध उपस्कर के अधिकतर आर्डर्स हासिल करते हुए अपनी प्रतिस्पर्द्धा को प्रदर्शित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान मुख्य उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना के साथ–साथ हिस्से पुर्जों और सेवाओं की आपूर्ति तथा संस्थापना के लिए ₹ 14012 करोड़ मूल्य के आर्डर अर्जित किये गये।

प्राप्त प्रमुख आर्डरः

- 1x300 मेवा विजाग के लिए अभिजीत प्रोजैक्ट्स से अपनी तरह का पहला 300 मे.वा. फोर्स्ड रीसर्कुलेशन बायलर युक्त रेटिंग सेट (बीटीजी, स्टें.सीएंडआई, इलेक्ट्रिकल एवं स्विचयार्ड पैकेज)
- सुपरक्रिटिकल 2x660 मे.वा. दैनिक भास्कर पावर लिमिटेड/सिंगरौली एसटीपीपी (बीटीजी–स्विचयार्ड सहित)
- सुपरक्रिटिकल 2x660 मे.वा. एनटीपीसी/मौदा स्टीम जनरेटर (एसजी पैकेज)
- 2x660 सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमि. (एससीसीएल)/अदिलाबाद (मेन प्लांट पैके–स्विचयार्ड सहित)
- सुपरक्रिटिकल 2X800 मेवा आरपीसीएल/येरामारूस (सीएचपी और एएचपी पैकेज)

उद्योग क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र में भेल ने कैप्टिव पावर, रेल परिवहन, विद्युत पारेषण, तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य औद्योगिक खण्डों में ₹ 8782 करोड़ के आर्डर्स बुक किये गये। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर हैं:

वर्ष के दौरान मिले मुख्य ऑर्डरः–

- एनएमडीसी ने उनके 3 एमटीपीए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए 1395 करोड रुपए का बैग्ड सिंगल लार्जेस्ट रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम (आरएमएचएस) नगरनार छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है।
- मैसर्स कृभको लि. से उनके हजीरा कॉम्प्लैक्स के लिए चिल्लर सहित जीटीजी के लिए पहला ऑर्डर। यह ऑर्डर थेरमैक्स–सीमेंन्स और एनसाल्डो–ओयो से कठिन प्रतिस्पर्धा के बाद मिला।
- शत–प्रतिशत कोल मिडलिंग पर चलने के लिए डिजाइन किए गए सीएफबीसी बॉयलर के लिए पहला ऑर्डर। 280 टीपीएच सीएफबीसी बॉयलर सहित 67.5 बीटीजी के लिए ऑर्डर मैसर्स कोहीनूर पावर, कोलकाता से मिला था।
- सीमेंस के साथ सख्त प्रतिस्पर्धा के बाद भी दाहेज संयंत्र के लिए दो एफआर6बी जीटीजी के लिए बीएचईएल को ऑर्डर देकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना विश्वास बीएचईएल में बनाए रखा।
- ग्रासिम सेल्यूलॉजिक ने अपने विलायत स्थित अपनी निर्यातोन्मुख इकाई हरिहर स्थित ग्रासिलीन डिवीजन के लिए क्रमशः 3x32 मेगावाट और 1x20 मेगावाट एसटीजी के लिए बीएचईएल का ऑर्डर देकर कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखा।
- कर्नाटक पावर कार्पोरेशन और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा द्वारा क्रमशः मंडया और फालोडी स्थित अपनी परियोजनाओं के लिए 5 मेगावाट के ग्रीड इंटरेक्टिव सोलर पीवी पावर प्लांट के लिए ऑर्डर।
- बीएचईएल को इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई से

25 केवी एसी ईएमयू (कन्वर्टर) के 85 सैटों और रेलवे बोर्ड से व्हील और एक्सेल असेंबली के 870 सेटों का एकल अधिकतम ऑर्डर मिला।

- अत्याधुनिक एसी ड्रिलिंग रिग्स के 6 नग की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी से ऑर्डर मिला। एसी मोटरों के उच्च पावर फैक्टर के कारण अधिक कुशल रिग प्रचालन के कारण एसी ड्राइव सहित रिग विश्वभर में अत्याधुनिक प्रवृत्ति है।
- कठिन प्रतिस्पर्धा में रायचूर स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन, 400/220 केवी ऑरंगाबाद सब स्टेशन और 400 केवी वर्धा सबस्टेशन विस्तार पैकेज के लिए पावर ग्रिड से ऑर्डर। 765/400 केवी सबस्टेशन के ऑर्डर से बीएचईएल का 765 केवी सबस्टेशन सेगमेंट में प्रवेश हुआ।
- एनपीसीआईएल के केएपीपी और आरएपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांटों के लिए 285 मेगावाट, 400 केवी जेनरेटर ट्रांसफार्मर के 14 नग के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर।

निर्यात

वर्ष 2011–12 में विश्व के विविध हिस्सों में पहले न देखी गई हलचल रही जिससे बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की संभावनाओं पर प्रभाव पडा। यूरोप में वित्तीय अस्थिरता और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) में राजनीतिक स्थायित्व के अभाव में वित्तीय परिसमापन और परियोजनों के वित्तपोषण में विलंब हुआ जिससे नई परियोजना को अंतिम रुप दिया जाना स्थगित करना पडा।

कठिन और अनिश्चित प्रवृत्तियों के बावजूद, बीएचईएल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के आकार को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान 234 करोड रुए के वास्तविक निर्यात ऑर्डर अर्जित किए हैं।

अर्जित किए गए मुख्य ऑर्डर नीचे दिए गए है:–

- बीएचईएल ने पुनात्संगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑथरीटी–I भूटान से ट्रांसफार्मरों के लिए एकल अधिकतम निर्यात ऑर्डर अर्जित किया। यह ट्रांसफार्मर उत्पादन सेगमेंट में वित्तीय मूल्य की दृष्टि से सबसे बडा ऑर्डर है।
- बीएचईएल ने यूक्रेन से 27 मेगावाट स्टीम टरबाइन जेनरेटर पैकेज के लिए ऑर्डर अर्जित करते हुए यूक्रेन में अपनी एकमात्र उपस्थिति सफलता से दर्ज कराई। बीएचईएल ने किसी यूरोपीय कंपनी से स्टीम टरबाइन का ऑर्डर 15 वर्षों केअंतराल के बाद अर्जित किया है।
- वर्तमान ग्राहकों के विश्वास को पुनः सुनिश्चित करते हुए, बीएचईएल ने 2500 केडब्ल्यू और 1400 केडब्ल्यू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों की आपूर्ति के लिए मोम्बासा सीमेंट लि., केन्या से मोटरों के लिए पुनः ऑर्डर प्राप्त किया।
- पहली बार, सीआईएस बाजार से वेलहैड के लिए एक ऑर्डर अर्जित किया गया। यह जॉर्जिया से वेलहैड के लिए एकमात्र निर्यात ऑर्डर है और यह जिंदल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी से मिला है।
- अन्य उत्पादों के लिए ऑर्डरों में इंडोनेशिया से 15 मेगावाट एसटीजी के पुनरुद्धार, इराक से ट्रांसफार्मर, बांग्लादेश, यमन और नाइजीरिया से मोटर तथा यूएई से सूट ब्लोअर के लिए ऑर्डर भी मिले हैं।

2012–13 के दौरान सितंबर, 2012 तक प्राप्त प्रमुख ऑर्डर :

विद्युत क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र ने 2012–13 की पहली 2 तिमाहियों के दौरान जनरेशन उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए ₹ 5739 करोड़ मूल्य के आर्डर बुक किये।

प्राप्त प्रमुख आर्डर हैं

- एनपीसीआईएल से आरएपीपी 7 एवं 8 – 2X700 मे.वा. सेटों (घरेलू प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए टीजी, सीएंडआई, सीसीआई पैकेजों) के लिए आर्डर प्राप्त किये।
- एनपीसीआईएल से घरेलू प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए केएपीपी 3 एवं 4– 2X700 मेवा (सीसीआई पैकेज) आर्डर प्राप्त किया।
- आईसीबी के जरिए एनटीपीसी विंध्याचल से –13–1X500 मे.वा. (टीजी+एसजी+ईएसपी

पैकेज) आर्डर प्राप्त किया।

- आरआरवीयूएनएल/रामगढ़ सीसीपीपी से बातचीत आधार पर 1x160 मेवा बीटीजी पैके आर्डर प्राप्त किया।
- आईसीबी के जरिए डीवीसी रघुनाथपुर से –2x660मेवा (टीजी पैकेज) आर्डर प्राप्त किया।
- आईसीबी के जरिए एनटीपीसी शोलापुर से (2x660 मे.वा.) और एनटीपीसी मौदा (2x660 मे. वा.) से ईएसपी पैकेज का आर्डर प्राप्त किया।
- इसके अलावा, मार्च, 2013 तक ₹ 27,000 करोड़ (अनुमानित) के कुल आर्डर्स प्राप्त होने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कुल आर्डर बुकिंग ₹ 32750 करोड़ (अनुमानित) होने की आशा है।

उद्योग क्षेत्र

औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों के लिए ₹ 2049 करोड़ मूल्य के आर्डर्स प्राप्त हुए हैं और वर्ष के अंत तक ₹ 8273 करोड़ के कुल आर्डर बुक किये जाने की आशा है।

प्राप्त प्रमुख आर्डर हैं:

- पारादीप फास्फेट से 23 मे.वा. एसटीजी के लिए आर्डर।
- सीएलडब्ल्यू, चित्तरंजन से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स/ट्रैक्शन कन्वर्टर के साथ 47 सेट पावर कन्वर्टर के लिए आर्डर।
- रेलवे बोर्ड से मेमू के लिए 44 सेट ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के लिए आर्डर।
- चिन्थालपुडी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए झेलम वाटर सॉल्यूशन इंडिया प्रा. लिमि. से 10 न० 6.3/7/17.8 मे.वा. वर्टिकल सिंक्रोनरत मोटर्स के लिए आर्डर

निर्यात

प्रमुख विशेषताएं हैं:

- 6x165 मेगावाट पुनातसांगछु–II जलविद्युत परियोजना, भूटान के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण (ईएम) पैकेज हेतु सफलतापूर्वक आदेश प्राप्त किया।
- नए बाज़ार क्षेत्रों में प्रवेशः दक्षिण अफ्रीका से ओएलटीसी की आपूर्ति के लिए आर्डर प्राप्त किया।
- दो जल विद्युत परियोजनाओं (2x50 मे.वा.) के टर्नकी निष्पादन के लिए ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय, ताजिकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विद्युत क्षमता विस्तार

2011–12 के दौरान, भेल ने 8138 मेवा उपयोगिता सेटों को चालू किया और वर्तमान वर्ष में 2012–13 में संबंधित ग्राहकों से इनपुट्स की उपलब्धता के आधार पर यूटिलिटी सेटों में 8500 मे.वा. के संभावित क्षमता विस्तार के मुकाबले 2500 मे.वा. पहले ही सितंबर, 12 तक चालू किया जा चुका है। हालांकि, विद्युत मंत्रालय ने भेल के लिए 7948 मेवा क्षमता विस्तार का लक्ष्य तय किया है।

बीएचईएल ने देश में संपूर्ण स्थापित क्षमता के लगभग दो–तिहाई और विद्युत उत्पादन के लगभग तीन–चौथाई (कोयला आधारित सेटों के लिए) का रिकार्ड बनाए रखा है।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

2011–12 के दौरान, भेल ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने की परंपरा को जारी रखा। भेल को विभिन्न मोर्चों पर इसके कार्य निष्पादन के लिए संपूर्ण मान्यता और अनुशंसा प्राप्त हुई। कंपनी को कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भेल को 'आरएंडडी, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने भेल को ''औद्योगिक क्षेत्र' में सर्वोच्च कार्यनिष्पादन करने वाली सीपीएसई के तौर पर 'एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार 2009–10' प्रदान किया।

भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ''सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्टता एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए स्कोप एमओयू पुरस्कार 2009–10 प्रदान करते हुए।

- भेल केवल एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसे लगातार दूसरे वर्ष के लिए एनडीटीवी प्रोफिट बिजनेस लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- लगातार बाइसवें वर्ष के लिए परियोजना निर्यात के लिए ईईपीसी सर्वोच्च निर्यात पुरस्कार प्रदान किया गया।

भेल के श्रम पुरस्कार विजेताओं के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री

- बिजनेस टुडे पत्रिका द्वारा इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव श्रेणी में कार्य के लिए श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कंपनी का रैंक प्रदान किया गया।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2011 के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार और नवाचार प्रबन्धन 2011 के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार।
- तीन गुणवत्ता सर्किलों ने योकोहामा, जापान में आयोजित इंटरनेशनल क्वालिटी सर्कल कान्फ्रन्स (आईसीक्यूसीसी–2011) में अपने मामला अध्ययनों के लिए गोल्ड मैडल जीते।
- देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों में भेल के कर्मचारियों ने 8 प्रधानमंत्री "श्रम पुरस्कार" जीते हैं, जिनमें 2 "श्रम भूषण" और 5 "विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार" शामिल हैं।

  भारी उद्योगों की श्रेणी में केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड गोल्ड पुरस्कार 2011।
- ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नौंवा वर्तिसिला मन्तोष सोंधी पुरस्कार।
- वर्तमान वर्ष 2012–13 के दौरान भी भेल ने सम्मान और पुरस्कार हासिल करने की गति बनाए रखी है।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं:–

- मानव संसाधन प्रबंधन में श्रेष्ठ व्यवहारों के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भेल को स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार 2010–11 प्रदान किया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भेल भारत की तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति से स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए

- भेल ने महारत्न/नवरत्न श्रेणी में सर्वाधिक इनोवेटिव पीएसयू के लिए बीटी–स्टार पुरस्कार प्राप्त किया।
- भेल कर्मचारियों ने वर्ष 2010 के लिए 3 'विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार' और 5 "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार" प्राप्त किये।
- दून एंड ब्रैडस्ट्रीट ने भेल को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में श्रेष्ठतम पीएसयू घोषित किया। यह पुरस्कार डा. एम वीरप्पा मोइली, माननीय केंद्रीय कार्पोरेट मामले मंत्री से श्री ओ पी भूटानी, निदेशक (ई, आरएंडडी) ने प्राप्त किया।
- भेल ने लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये।
- श्री बी प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भेल को वर्ष 2012 के लिए बीटी–स्टार श्रेष्ठ पीएसयू मैन'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भेल को ''रेंच उद्यम आधारित ड्राईंग एवं प्रलेख प्रबंधन प्रणाली' परियोजना के लिए स्वर्ण श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया।

विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार

- विकास को बनाए रखने और बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने क्षमता और सक्षमता वृद्धि कार्यनीति लागू की है।

इस दिशा में उठाए गए कुछेक महत्वपूर्ण कदम हैं:

- थिरूमायम, तमिलनाडु में पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू) ने 2011–12 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। इस संयंत्र की स्थापना करीब ₹ 300 करोड़ के निवेश से 80,000 मी.ट. हाई प्रेशर पाइपिंग उत्पादन क्षमता के साथ की गई है।
- जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में 25000 मी.ट. फैब्रिकेटिड कम्पोनेंट्स की उत्पादन क्षमता के साथ ₹ 230 करोड़ के निवेश के साथ फैब्रिकेशन प्लांट (एफपी) की स्थापना की गई है। इस संयंत्र ने चालू वर्ष में उत्पादन शुरू कर दिया है।
- ईडीएन, बेंगलुरू में पीवी मॉडयूल विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 6 मेवा से 26 मेवा किया जा रहा है।
- त्रिची में सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी) की क्षमता वर्टिकल पाइरसिंग से क्रॉस रोल पाइरसिंग (सीपीई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए बढ़ाकर 29000 मी.ट. से 86625 मी.ट. की जा रही है।

मानव संसाधन विकास

एच आर डी मिशन अभिकथन ''बीएचईएल मिशन को प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन की संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मूल्य–आधारित संस्कृति का संवर्धन एवं विकास करना'' द्वारा निदेशित, कंपनी का मानव संसाधान विकास संस्थान, विस्तृत संगठनात्मक अनुसंधान पर आधारित दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा आवश्यकता पर आधारित कई अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन को उनके सामर्थ्य को बाहर निकालने और उसे निखारने में समर्थ बनाता है।

बाजार की बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप बीएचईएल कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल लगातार उन्नत किया जाता है। महत्वपूर्ण उत्कर्ष करके रूप में एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर आंतरिक स्टेक होल्डरों तक पहुंचना तथा प्रक्रिया मानकीकरण, इष्टतमीकरण एवं अखंड उद्यम एकीकरण के माध्यम से व्यवसाय में रणनीतिक साझेदार के रूप में मानव संसाधन की भूमिका को पुनः परिभाषित करना है।

कार्पोरेट गवर्नेंस

भेल की कार्पोरेट गवर्नेंस नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सबके साथ निष्पक्षता के चार स्तम्भों पर आधारित है। भेल को दृढ़ विश्वास है कि यह शेयरधारकों के निवेशों का चल–संपत्ति प्रबंधक है और कंपनी उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करने के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार है जो अपने आप में अभिन्न है।

भेल ने कार्पोरेट गवर्नेंस का एक मज़बूत दायरा स्थापित किया है जिसमें गवर्नेंस की गुणवत्ता, पारदर्शिता प्रकटन, सतत शेयरधारिता, मूल्य वर्द्धन और कार्पोरेट सामाजिक

दायित्व के प्रति वचनबद्धता है। भेल बड़े पैमाने पर अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज सहित विभिन्न हितधारकों के सतत विश्वास पैदा करने के प्रति ध्यान केंद्रित करते हुए कार्पोरेट गवर्नेंस की बुनियादी अपेक्षाओं और नियामक दायरे से कहीं बाहर जाकर कार्य करने के प्रति समर्पित है।

भेल ने 'इंटेग्रिटी पैक्ट' लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। भेल निगमित ढांचे, बिज़नेस प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण व्यवहारों के साथ कार्पोरेट गवर्नेंस नीति के साथ मज़बूत समानता हासिल की है जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों के साथ–साथ उच्च स्तर की कारोबारी नीतियां हासिल की गई हैं।

कंपनी को विश्वास है कि कार्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और आचार संहिता की अनुपालना के साथ बिज़नेस का संचालन हमारे प्रमुख मूल्यों का उदाहरण है और हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि आय, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करने और प्रगति में अपने आपूर्तिकताओं को भागीदार बनाने तथा समाज को समृद्ध बनाने की स्थिति में लीा देता है।

सामाजिक दायित्व

बीएचईएल ने एक कारपोरेट समाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना तैयार की है जिसका मिशन है– "प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक बनो और अपना हर कदम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए उठाओ"। भेल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर नीति लागू की है।

अनेकों कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के कल्याण में सक्रिय प्रतिभागिता से समाज के प्रति अपना योगदान करने की परम्परा को पोषित करते हुए बीएचईएल देश में फैले अपने विनिर्माण संयंत्रों और परियोजना स्थलों के निकट स्थित गांवों और समुदायों में रहन–सहन दशाओं तथा स्वच्छता में सुधार लाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक–आर्थिक तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाता है। सर्वाधिक जोर आठ क्षेत्रों में दिया जाता है:

- स्वरोजगार सृजन
- पर्यावरण संरक्षा
- सामुदायिक विकास
- शिक्षा
- स्वास्थ्य प्रबंधन एवं चिकित्सा सहायता
- अनाथालय एवं वृद्धाश्रम
- अवसंरचना विकास
- आपात / विपदा प्रबंधन

भेल द्वारा नोएडा में आयोजित कैंसर जांच शिविर

इसके अतिरिक्त भेल वनीकरण, जल संरक्षण, पीने योग्य जल संबंधी सामान मुहैया कराने संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के अलावा इकाइयों / परियोजना स्थलों के आसपास स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है। भेल का प्रयास अपने आसपास मौजूद समुदायों के जीवन में बदलाव ला रहा है ताकि इन समुदायों में रहने वाले लोग उन स्थितियों पर नियंत्रण पा सकें जो उनके जीवन पर प्रभाव डालती हैं।

भेल द्वारा झांसी में ग्रामीण महिलाओं के लिए आयोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला

हरित प्रयास

पर्यावरण के लिए अपनी चिंताओं के अनुरूप भेल निरन्तर आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादों के विकास और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान कर रहा है। सौर विद्युत पथ प्रकाश, ग्रामीण पानी पंपिंग प्रणाली, रेलवे सिग्नलिंग आदि जैसे छोटे अनुप्रयोगों से शुरू करते हुए भेल ने देश के कई बड़े शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में बड़े आकार के स्टैंड एलोन के साथ–साथ ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट्स सप्लाई और चालू किये हैं।

इस संबंध में उठाए गए कुछेक प्रमुख कदम हैं:

- भेल ने कर्नाटक में एक परियोजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत कोप्पल ज़िले में रामादुर्गा में बंजर भूमि में वन रोपन करना शामिल है। परियोजना में संपूर्ण बंजर भूमि क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाना और इन पेड़ों को पक्षियों और पशुओं के लिए संरक्षित करना है जिससे प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- कंपनी सकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा (सीएसपी) क्षेत्र में उत्पाद और प्रणालियों के विकास कार्य के लिए आईओसीएल और आईआईटी–राजस्थान के साथ मिलकर काम कर रही है। देश भर में 15 मेवा ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर फोटो वॉल्टिक (एसपीवी) संयंत्रों की स्थापना का एक नया रिकार्ड स्थापित किया गया है।
- आईओसीएल के लिए 5 एमडब्ल्यूपी और केपीसीएल के लिए 3 एमडब्ल्यूपी के दो पर्याचरण के अनुकूल ग्रिड–इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
- भेल लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में एसपीबी संयंत्रों (कुल 2.15 एमडब्ल्यूपी) के नवीनीकरण और प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आदेशों को निष्पादित कर रहा है।

भेल द्वारा लक्षद्वीप में चालू किया गया 760 केडब्ल्यूपी क्षमता का देश का सबसे बड़ा डीजल ग्रिड–इंटरेक्टिव सौर ऊजा संयंत्र

संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल काम्पैक्ट कार्यक्रम में भागीदारी

विश्व की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट नागरिकता के पहल के रूप में, ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम सबसे पहला सरोकार है जो व्यवसाय और बाज़ार की सामाजिक वैधता को दर्शाता और बनाता है। मानव अधिकारों, श्रम मानदंडों, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी के प्रमुख मूल्यों को बढ़ावा देकर माध्यम से बीएचईएल सीएसआर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इन्हें अपनी कार्यनीति एवं संस्कृति का हिस्सा बना लिया है। बीएचईएल ने यूएनजीसी की वेबसाइट पर नियमित प्रगति के सम्प्रेषण (सीओपी) के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

बीएचईएल पर्यावरणीय मुद्दो के संबंध में ग्लोबल कम्पैक्ट के संगत सिद्धांतों पर प्रगति के संबंध में वार्षिक सम्प्रेषण आवधिक रूप से प्रस्तुत करती है। कंपनी सार्वजनिक रूप से अपने कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगियों का समर्थन करती है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस कांफ्रेंस तथा अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के माध्यम से ग्लोबल कम्पैक्ट कार्यक्रम में नियमित रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)।

भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड(बीएचपीवी) भेल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बीएचपीवी विशाखापत्तनम की पुनरूद्धार प्रक्रिया के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। 2011–12 में कंपनी ने वर्ष

दर वर्ष 13.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹155.80 करोड़ के कारोबार के साथ ₹ 10.44 करोड़ का लाभ हासिल किया है।

गेल पेट्रोरसायन परिसर, पाटा–उ0प्र0 को आपूर्ति किया गया डेबटनाइज़र

2012–13 में, कंपनी को इसके पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में अच्छी वृद्धि हासिल किये जाने की आशा है। कंपनी का 2011–12 में हासिल 115.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 336 करोड़ (एमओयू लक्ष्य) का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी का ₹ 18.19 करोड़ के कर उपरांत लाभ (पीएटी) का लक्ष्य है। 1.10.2012 को आर्डर–बुक की स्थिति ₹ 357.59 करोड़ मूल्य की है।

पूंजी निवेश

बीएचपीवी की विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार नई अत्याधुनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार तथा एचआरएसजी और बीएफबीसी बायलर्स के विनिर्माण में प्रवेश करके अतिरिक्त बिज़नेस में विविधता लाने का काम में प्रगति के लिए ₹ 230.91 का पूंजी निवेश प्रगति पर है।

एनटीपीसी भेल पावर प्रोजैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)

एनटीपीसी भेल पावर प्रोजैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) भेल और एनटीपीसी की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन 28 अप्रैल 2008 को किया गया था। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹ 300 करोड़ है और वर्तमान प्रदत्त पूंजी ₹ 50 करोड़ है। (भेल और एनटीपीसी प्रत्येक द्वारा जारी ₹ 25 करोड़)

उद्देश्यः

(i) भारत और विदेश में संयंत्र इंजीनियनिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रापण, संभारतंत्र, साइट प्रबंधन, निर्माण और कमीशनिंग सेवाओं सहित विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण अनुबंध की खोज, अर्जन और निष्पादन करना।

(ii) भारत और विदेश में विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं का विनिर्माण और उपकरणों की आपूर्ति में संलग्नता।

व्यापारिक गतिविधियांः

- इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी)
- कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)और एश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी) काविनिर्माण और आपूर्ति।

विनिर्माण संयंत्र की स्थापना

- माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने मन्नवरम, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में 01 सितंबर, 2010 को विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी।

चित्तूर, आंध्र प्रदेश में विनिर्माण इकाई के उदघाटन के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री का दौरा

- फैक्ट्री का 2013–14 से उत्पादन शुरू करने के कार्यक्रम के साथ 22 फरवरी 2011 को सिविल कार्य शुरू किया गया। तीन प्रमुख भवन अर्थात फैब्रिकेशन ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक और कवर्ड

स्टोर का निर्माण पूरे ज़ोरों पर है और सभी सिविल कार्य दिसंबर 12 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

- एनबीपीपीएल कॉरपोरेट कार्यालय नोयडा से बदलकर मन्नावरम्, आन्ध्रप्रदेश चला गया है और 1 नवम्बर 12 से कार्यरत है।

सहयोगः

- कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के लिए प्रौद्योगिक सहयोग के वास्ते डियरबोर्न मिड–वेस्ट कन्वेयर कंपनी (डीएमडब्ल्यू), अमरीका के साथ 29 मार्च 2011 को सहमति पर हस्ताक्षर किये गये। डीएमडब्ल्यू से लाइसेंसीकृत उपकरणों के विनिर्माण की सूचना, गुणवत्ता योजनाएं एवं मैनुअल्स, डिज़ाइन मानक, लेआउट्स आदि पर सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये हैं।
- एश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी) और जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) के लिए सहयोग की कार्रवाई तैयारी अधीन है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन विवरणः

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए एनबीपीपीएल की एमओयू रेटिंग को एनटीपीसी और भेल से सदस्यों वाली एमओयू कमेटी द्वारा ''उत्कृष्ट'' के तौर पर मूल्यांकित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एनबीपीपीएल की सकल आय ₹ 146.92 करोड़ और कर उपरांत लाभ ₹ 13.06 करोड़ है। एनबीपीपीएल ने वर्ष के ₹ 210 करोड़ के लक्ष्य के तहत सितंबर 2012 तक ₹ 46.18 करोड़ का कारोबार हासिल किया है।

जनशक्तिः

कंपनी की कुल जनशक्ति 74 है जिसमें नियमित कर्मचारी, एनटीपीसी से सेकेंडमेंट पर आए कर्मचारी, भेल से प्रतिनियुक्त, एफटीई (नियत अवधि रोज़गार–सेवानिवृत्त भेल कर्मचारी और एफटीए (नियं अवधि नियुक्ति) कर्मचारी शामिल हैं।

2.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में निगमित किया गया थाः

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल). अब रेल मंत्रालय को अंतरित, सालेम रीफ्रेक्ट्रीज को छोड़कर–जिसे इस्पात मंत्रालय को अंतरित किया गया है।

(ii) भारत बैगन एंड इंजिनीयरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), रेल मंत्रालय को अंतरित

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) अब रेल मंत्रालय को अंतरित

(iv) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(v) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 में अधिकांश हिस्सा विनिवेश किया गया)

(vi) लगन जूट मिल कं. (प्रमुख हिस्से का विनिवेश कर दिया गया है)

वर्ष 2011–12 में कंपनी का उत्पादन 14.74 करोड़ रुपए का हुआ है और 2012–13 में ₹ 17.43 करोड़ होने की आशा है।

2.5 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी का पुनरूद्धार किया गया और

और सरकार द्वारा वर्ष 2005 में कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई थी, जिससे उसे एक नई दिशा मिलने में मदद मिली और यह लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई। वर्ष 2011–12 में कंपनी का कुल कारोबार ₹199.14 करोड़ हुआ और 2012–13 में ₹ 200 करोड़ होने की आशा है।

अंधरी में बी.बी.जे द्वारा विनिर्मित मुबंई मेट्रो पुल

2.6 भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

भारत पम्प्स एंड कंप्रेर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण सुविधा सहित वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। कंपनी तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोध कारखानों, पेट्रो–रसायन, रसायन, उर्वरक और अर्धप्रवाह उद्योगों जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं

आईओसीएल, बीपीसीएल के लिए 4 एच एफ/3

की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी पम्प्स और कंप्रेशर तथा उच्च दाब सीवनरहित और सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति में लगी है। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 152.15 करोड़ के कारोबार के साथ कंपनी का कर पूर्व लाभ ₹ 1.57 करोड़ रहा है। कंपनी की निवल पूंजी ₹ 131.68 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण–पत्र के लिए मान्यता–प्राप्त है और उसके पास आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:2004 तथा ओएचएसएएस 18001–2007 प्रमाण–पत्र हैं। कंपनी के पास एपीआई 7 के लाइसेंस अथवा स्लश पंप कम्पोनेंट्स का विनिर्माण करने का भी मान्यता–प्राप्त लाइसेंस भी है।

2.7 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्युमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और यांत्रिक निर्माण तथा टर्नकी परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरी कंपनी है। कंपनी को बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून 1986 में बीएंडआर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर दिया गया और बाद में इसे वर्ष 1987 में धारक कंपनी मैसर्स भारत यंत्र निगम

बी.एंड आर द्वारा थर्मल पॉवरटैक कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड के 2x660 मेगावाट वाले कृष्णापटनम थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए टी जी रॉफ्ट पॉवर ब्लाक की ढलाई

लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी नहीं रही और बीएंडआर सीधे भारी उद्योग विभाग के अधीन आ गया। कंपनी के पूंजी पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित किया गया था। 2005–06 में वित्तीय पुनर्गठन के बाद, बीएंड आर ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज़ की है। कंपनी 2007–08 से कर पूर्व लाभ अर्जित कर रही है और 2010 में इसे मिनिरत्न श्रेणी–1 का दर्ज़ा प्रदान किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी का कार्य निष्पादन उल्लेखनीय रहा है और वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का कारोबार ₹ 1265.11 करोड़ और कर पूर्व लाभ ₹ 68.29 करोड़ था। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2.73 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है।

2.8 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1972 में अधिगृहीत किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक–एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। जुलाई 2003 में बीआईएफआर ने आरएंडसी को बंद करने के आदेश पारित कर दिये थे। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार ₹ 84.60 करोड़ रहा है कंपनी का पुनरूद्धार विचाराधीन है।

2.9 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में निगमित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैसे कि विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊँचे टावरों और हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर के विचार हेतु भेजा गया। कंपनी के पुनरूद्धार/पुनर्वास की प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार ₹ 1.87 करोड़ था।

2.10 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में हास्पेट (कर्नाटक) में की गई थी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढांचे, पारेषण लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि के डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार ₹ 2.79 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 1.50 करोड़ होने का अनुमान है।

2.11 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल), नैनी (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश) में हैं। एचसीएल रूग्ण है और यह वर्ष 2002 से बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। इसकी उत्पादन गतिविधियां वर्ष 2003 से बंद है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के अनुसार एचसीएल के लिए संयुक्त उद्यम तथा एचसीएल के विलय पर विचार किया गया है। रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को अपने अधीन करने के संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। हैदराबाद इकाई को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा अपने अधीन लेने हेतु एक अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

2.12 हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची की स्थापना दिसम्बर, 1958 में विशेषकर इस्पात उद्योग के लिए उपस्करों और यंत्रों के डिज़ाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के

प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां हैं, अर्थात हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हेवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)।

न्यू ओर बैडिंग एंड ब्लैडिंग प्लांट, राउरकेला इस्पात संयंत्र, एम. आई.सी. में कन्वेअर प्रणाली

इसकी एक टर्नकी परियोजना डिवीजन भी है। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिपलर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स आदि सहित हेवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती हैं । वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने कुल ₹ 725.23 करोड़ का कारोबार और शुद्ध लाभ ₹ 8.58 करोड़ अर्जित किया है। कंपनी को 2012–13 में कुल कारोबार ₹ 777.29 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹12.40 करोड़ होने की आशा है।

2.13 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु की स्थापना 1953 में की गई थी। कंपनी के पास मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन वाली मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाएं हैं। वर्ष 2000 में कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड है। इससे पूर्व इसकी एक और सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड थी जिसका अब 1.4.2007 से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में विलय हो गया है। एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया। कंपनी का पुनरुद्धार सरकार के विचाराधीन है। एचएचटी लिमिटेड की ट्रैक्टर डिवीजन (धारक कंपनी) का उत्पादन 2011–12 में ₹ 182.98 करोड़ हुआ है और 2012–13 के दौरान ₹ 175.00 करोड़ होने की आशा है।

2.14 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लिमिटेड ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 2000 में निगमित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी–एमटी लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ–9001 प्रमाणित हैं। कंपनी के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए दिनांक 01.02.2007 को मंजूरी प्रदान की गई थी लेकिन पुनरूद्धार योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले क्योंकि कंपनी प्रस्तावित लक्ष्यों को नहीं

जनवरी, 2011 के दौरान बीआईईसी, बंगलुरू में लगी आईएमटीई एक्ट 2011 प्रदर्शनी में एच एम टी एम.टी.एल वैवेलियन का दृश्य

हासिल कर पाई। पुनरूद्धार हेतु एक सुदृढ़ व्यवसाय योजना या कोई अन्य कार्रवाई के सुझाव हेतु परामर्शदाता की सलाह लेने का फैसला किया गया है। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2011–12 में ₹ 218.17 करोड़ रुपए था और 2012–13 में ₹ 390.00 करोड़ होने की आशा है।

2.15 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करता है। कंपनी की बेंगलुरु, तुमकूर और रानीबाग में विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ–9001 प्रमाणन प्राप्त हैं। एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के विभिन्न खण्डों की मांग पूरी करती है।

एच एम टी (वाचिज) लिमिटेड द्वारा विनिर्मित कुछ घड़ियों के चुनिन्दा मॉडल

कंपनी को एचएमटी समूह के पुनरूद्धार पर परामर्श देने और अनुशंसाओं के वास्ते परामर्शदाता के अध्ययन के अधीन रखा गया है। कंपनी की पुनरूद्धार योजना विचाराधीन है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹ 13.04 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 18.00 करोड़ होने की आशा है।

2.16 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में असेम्बली इकाई है। बीआरपीएसई की अनुशंसा के अनुरूप कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रस्ताव किया गया है। सचिवों की समिति के फैसले के अनुरूप कंपनी को जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सौंपे जाने से पूर्व भूमि को छोड़कर कंपनी की परिसंपत्तियों की नीलामी और वीआरएस स्कीम क्रियान्वित की जानी है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से कर्मचारियों द्वारा स्थगनादेश प्राप्ति को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस संबंध में आगे कार्रवाई स्थगनादेश हटने के बाद ही की जा सकेगी। वर्ष 2011–12 में कंपनी ने कोई उत्पादन दर्ज़ नहीं किया है।

2.17 एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो–निपॉन प्रेसिजन बेयरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह कंपनी एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी के लिए पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2005 को अनुमोदित की गई थी लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए क्योंकि कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई क्योंकि कंपनी कैपेक्स के लिए ऋण और भारत सरकार की गारंटी के अधीन बैंक से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ रही। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। कंपनी को परामर्शदाता की अध्ययन अनुशंसाओं में शामिल किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹ 14.64 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 15.80 करोड़ होने की आशा है।

2.18 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कम्पनी, एचएमटी लिमिटेड और अन्य सहायक कंपनियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मशीन टूल्स, घड़ियां और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। कंपनी ने विदेश मंत्रालय के असाइनमेंट्स के अधीन विदेश में भी टर्नकी

परियोजनाएं संचालित की हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार ₹ 32.40 करोड़ हुआ और 2012–13 में ₹ 44.00 करोड़ होने का अनुमान है।

2.19 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के वास्ते वर्ष 1964 में की गई थी। कंपनी की कोटा, राजस्थान और पलक्कड़, केरल में दो विनिर्माण इकाइयां है। कंपनी के वर्तमान उत्पादों में अत्याधुनिक डिजिटल वितरण नियंत्रण प्रणालियां, उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक सम्प्रेषक, डेस्क/पैनल माउंटिड इंडिकेटर्स/रिकार्ड्स और अन्य हार्डवेयर, तरल एवं गैस विश्लेषक, पैनल्स, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स और रैक, कंट्रोल वाल्स और ऐक्युएटर्स, दूरसंचार प्रणालिया, रक्षा इलेक्ट्रानाक्सि, रेलवे सिग्नलिंग प्रणालियां, निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियां (यूपीएस) आदि शामिल हैं।

इसने उत्पादों में आगे सुधार के प्रति और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता घटाने के वास्ते अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा इंजीनियरिंग क्षमताओं के विकास के जरिए तकनीकी सक्षमता विकसित की है। इसने विशेष सोलेनॉयड वाल्स और फ्लो नोज़ल्स विकसित किये हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन की नरोरा, आरएपीपी और एमएपीपी इकाइयों में व्यापक इस्तेमाल किये जा रहे हैं। पलक्कड़ इकाई ने बेला सील्ड वाल्व सिकसित किये हैं, जो कि परमाणु विद्युत उत्पादन में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण एलिमेंट है, जिसके लिए इकाई को तकनीकी विकास महानिदेशालय से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

हाल के वर्षों में कंपनी वैश्वीकरण की चुनौतियों, घटती मांग और नियंत्रण एवं इंस्ट्रयुमेंटेशन में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन, कार्यशील पूंजी की कमी और उच्च वेतन बिल तथा ब्याज़ के बोझ के कारण उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने का प्रयास कर ही है। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनरूद्धार योजना, जिसमें कंपनी के पुनरूद्धार में सहायता के लिए कोष एवं गैर कोष आधारित सहायता का प्रावधान है, कार्यान्वयनाधीन है। बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद, इसने अपना प्रचालन कार्य बरकरार रखा है और पिछले वर्ष के ₹ 24983.48 लाख़ के कारोबार के मुकाबले वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 19244.76 लाख का कारोबार हासिल करने में सफल रही है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 25074 लाख़ मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं।

2.20 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 1981 में किया गया था। कंपनी ने एग्रो डेयरी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों, पवन ऊर्जा और सूचना प्रोद्योगिकी उत्पादों तथा समाधानों को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है।

12 मेगावाट की एसपीएल ऑटोमैटिक मॉडयूल्स लाइन आरईआई एल

1997 में मिनी रत्न दर्जा और 1998 में आईएसओ 9001 प्रमाणन हासिल करने के साथ ही वर्तमान में यह देश में इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टैस्टर के

उत्पादन और बिक्री में बाजार में अग्रणी बनी हुई है। आर ई आई एल वर्ष दर वर्ष विकास की गति दर्ज कर रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान अब तक का सबसे उच्च सकल कारोबार ₹ 234.11 करोड़ हासिल कर लिया है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने वार्षिक लाभ (कर पूर्व) के साथ अपने प्रमोटर्स को ₹ 1.05 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है।

आरईआईएल अपने उत्पादों के लिए यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और अन्य पड़ौसी देशों में बाजारों को तलाश करने का निरंतर प्रयास कर रही है। 2012–13 के दौरान कंपनी के डीम्ड और प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य ₹ 0.26 करोड़ था।

कंपनी ने 2012–13 के दौरान निम्नलिखित नए उत्पाद विकसित किये हैं जो कि 2011–12 में फील्ड ट्रायल के सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरांत वाणिज्यिक रूप से जारी करने के लिए तैयार हो जाएंगेः–

(i) फैट और एसएनएफ के मापन के लिए अल्ट्रासोनिक मिल्क एनालाइजर

(ii) स्मार्ट ऑटो ईएमटी

2.21 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्ष 1972 में निगमित किया गया था। इस समय, एसआईएल पर्यावरण अनुकूल सीएनजी और एलपीजी ईंधन आधारित वाहनों सहित तिपहिए का विनिर्माण और विपणन करता है।

लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड संयंत्र का निरीख्ज्ञण करते हुए श्री एम.एस. फारूकी, सचिव भारी उद्योग विभाग

एफआईएल 2006–07 से निवल घाटे में चल रही है। 18.2.2010 को बीआईएफआर ने कंपनी को इसकी निवल पूंजी के पूर्ण क्षरण के उपरांत एसआईसीए के अधीन रूग्ण घोषित कर दिया और इसे बीआईएफआर को भेज दिया गया था। भारत सरकार ने एक उपयुक्त कार्यनीतिक साझेदार की पहचान करने में सुविधा के वास्ते संसद में प्रस्ताव पेश करने के उपरांत 19.5.2011 को संपूर्ण सरकारी इक्विटी किसी उपयुक्त पहचान किए गए कार्यनीतिक साझेदार को स्थानांतरित करने का फैसला किया। वर्तमान में, कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, एसआईएल के पुनरूद्धार के लिए एक संशोधित पुनरूद्धार प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 228.73 करोड़ हुआ और 2012–13 में ₹ 239.98 करोड़ होने की आशा है।

2.22 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की स्थापना 1965 में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा, मध्य प्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन, हिमाचल प्रदेश में राजबन, आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे वर्ष 1996 में रूग्ण कंपनी के रूप में बीआईएफआर को भेजा और पंजीकृत किया गया था। सरकार के संयुक्त न्यूनतम कार्यक्रम नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। अनुमोदित योजना के अंतर्गत राजबन और बोकाजन इकाइयों का आंशिक विस्तार और तांदुर यूनिट का तकनीकी उन्नयन शामिल है। इसके अलावा सात गैर प्रचालित इकाइयों की बंदी और बिक्री का प्रावधान है। राजबन यूनिट का विस्तार पूरा हो

चुका है। बोकाजन इकाई के 100 प्रतिशत क्षमता विस्तार के लिए कार्य आदेश तथा सिल्वर ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना के लिए आर्डर टर्नकी आधार पर जारी किया जा चुका है और काम प्रगति पर है। तांदुर संयंत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का काम शुरू किया जा चुका है।

तंदूर संयंत्र (आँध्र प्रदेश) सीसीआई

कंपनी ने 2012–13 के दौरान प्रचालित इकाइयों के उत्पादन का संभावित मूल्य ₹ 398.45 करोड़ और अनुमानित शुद्ध लाभ ₹ 23.11 करोड़ होने की आशा है।

बोकाजन संयंत्र (असम), सीसीआई

2.23 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की स्थापना कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में इसके मुख्यालय के साथ वर्ष 1970 में की गई थी। एचपीसी को अनुसूचित ए सीपीएसई के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

एचपीसी की इकाइयां

i) नौगांव पेपर मिल्स (एनपीएम)

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

एचपीसी की सहायक कंपनियां

(i) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

(ii) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

(iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)

एचपीसी की मिलों (सीआरएम और एनपीएम एक साथ) का क्षमता उपयोग वर्ष 2010–11 में 77% और वर्ष 2009–10 में 83% की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान 90.13% रहा। कंपनी का उत्पादन (एनपीएम और सीपीएम पर) वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 705.03 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 710.97 करोड़ होने का अनुमान है।

2.24 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलतः एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था। बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के उत्पादन के लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। इससे पहले एचएनएल ने मूलतः स्वीकृत ₹ 718.80 करोड़ की अनुमानित

एच.एन.एल फैक्ट्री मिल का दृश्य

लागत पर 170,000 मी. टन कागज की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अखबारी कागज में अंतरित होने की नमनीयता के साथ लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन की अपनी विस्तार–सह–विविधीकरण योजना प्रारंभ करने का फैसला किया था। लेकिन, परियोजना लागत में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए एचएनएल बोर्ड ने महसूस किया कि वर्तमान अशांत आर्थिक परिदृश्य में एचएनएल के विस्तार सह विविधीकरण को कार्यान्वयन को टालना ही बुद्धिमानी होगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का क्षमता उपयोग 102.5 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹ 315.60 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 343.20 करोड़ होने की आशा है।

2.25 नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) नगालैंड सरकार और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयर धारित करती हैं। संयंत्र में इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है जो कि अक्तूबर 1992 से निलंबित है। सरकार (भा.स.) के अनुमोदन के आधार पर बीआईएफआर ने 2007 में ₹ 552.44 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के साथ पुनर्वास योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना का कार्यान्वयन बाद में लागत वृद्धि आदि कारणों से रूका पड़ा है।

पीआईबी ने इसकी 5.10.2012 को हुई बैठक में एनपीपीसी के पुनर्रूद्धार की योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए ₹ 489 करोड़ की राशि की वित्तीय मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में मसौदा सीसीईए नोट प्रस्तुति के अधीन है।

2.26 जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)

वर्ष 2007 में सरकार ने जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर, उ.प्र. में यू पी पेपर मिल परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को मई 2008 में एचपीसी की एक सहायक कंपनी के तौर पर जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल) पंजीकृत किया गया। अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना की गतिविधियां रूकी हुई हैं। हालांकि मामले को ज़ोरों के साथ उठाया जा रहा है ताकि परियोजना की गतिविधियां आगे समय बर्बाद किये बिना शुरू की जा सकें।

2.27 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

वर्ष 1960 में ऊटी, तमिलनाडु में स्थापित यह कंपनी फोटोसुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत–श्याम), सिने फिल्म्स साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स–रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की। मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन प्रदान किया। कंपनी के पुनरूद्धार संबंधी प्रस्ताव पर सीसीईए की अगस्त 2012 की बैठक में विचार किया गया और वापस ले लिया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹ 7.61 करोड़ हुआ और 2012–13 के दौरान ₹ 5.00 करोड़ होने का अनुमान है।

2.28 हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

एचएसएल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और 1958 में जयपुर कार्पोरेट कार्यालय और खरगोधा (गुजरात) और मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में विनिर्माण इकाइयों के साथ इसकी स्थापना की गई थी । यह सामान्य नमक और नमक आधारित रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। इसे 13.6.2000 को रूग्ण घोषित कर दिया गया। सरकार/बीआईएफआर द्वारा अगस्त, 2005 में

एक पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई। कंपनी दिसंबर 2008 में बीआईएफआर से बाहर आ गई। कंपनी में 31.3.2012 को 106 कर्मचारी थे। 30.9.2012 को कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः ₹ 30 करोड़ और ₹ 25.56 करोड़ है। 2011–12 में कंपनी का कारोबार और शुद्ध लाभ क्रमशः ₹ 8.92 करोड़ और ₹ (–) 0.40 करोड़ था।।

2.29 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

जयपुर में स्थित सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका गठन 1964 में एचएसएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के तौर पर किया गया था। इसकी अधिकृत पूंजी ₹ 2 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹ 1. 00 करोड़ है, जिसका 60 प्रतिशत हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के पास और शेष 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अभिदत्त है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल के नमक का उत्पादन कर रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹ 19.38 करोड़ हुआ और 2012–13 में ₹ 42.99 करोड़ होने की आशा है।

2.30 नेपा लिमिटेड

मध्य प्रदेश में स्थित नेपा लिमिटेड की स्थापना प्रारम्भ में निजी क्षेत्र में वर्ष 1947 में की गई थी। तत्पश्चात अक्तूबर, 1949 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। केंद्र सरकार ने वर्ष 1959 में इसमें ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके इसका नियंत्रण हित अधिगृहित कर लिया और यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया। कंपनी की वन आधारित कच्ची सामग्री के साथ उत्पादन क्षमता 88000 टीपीए अखबारी कागज की है। बाद में 1998 में कंपनी रूग्ण हो गई और तब से यह बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। 6.9.2012 को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय पुनर्गठन के जरिए नेपा लिमिटेड के पुनरूद्धार पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान, बहुत से कठिनाइयों के बावजूद कंपनी का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। रूग्ण होने के बावजूद नेपा लिमिटेड पिछले पांच वर्षों में बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक व्यावसायिक करदाता बना हुआ है। इसे भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कंपनी ने पिछले वर्ष के मुकाबले प्रचालन में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 में अखबारी कागज का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2010–11 के 47425 मी.ट. के मुकाबले 59205 मी.ट. रहा है। इसी प्रकार, कंपनी ने बिक्री में 2010–11 में 47345 मी टी के मुकाबले 57543 मी.ट. अखबारी कागज की बिक्री के साथ 22 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है। कंपनी ने 2010–11 में ₹ 115.52 करोड़ की तुलना में 2011–12 में ₹ 165.20 करोड़ के कारोबार के साथ 43 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है जो इसकी स्थापना से लेकर अब तक सबसे ऊंची है।

2.31 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इनेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में निगमित किया गया था। कंपनी की कांकीनाड़ा (पश्चिम बंगाल) में ही एक इकाई है और यह आटोमोबाइल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण हो गई है। टांगड़ा यूनिट को वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया। बीआरपीएसई की सिफारिशों के अनुरूप कंपनी का सीधे विनिवेश करने का फैसला किया गया। विनिवेश विभाग विनिवेश प्रक्रिया का कार्यान्वयन संचालित कर रहा है। वर्ष 2012–13 में ₹ 9.00 करोड़ का उत्पादन होने की आशा है।

2.32 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

नई दिल्ली में स्थित इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स

(इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्नकी परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं पूरी करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। वर्ष 2001 में अपने वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है और यह सतत रूप से लाभ दर्ज करती रही है। 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार ईपीआई ने 492 परियोजनाएं भारत में और 30 परियोजनाएं विदेश में पूरी की हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के पहले 9 महीनों के दौरान ₹ 104.95 करोड़ मूल्य के आर्डर अर्जित किए हैं। कंपनी का कारोबार 2011–12 के दौरान ₹ 283.15 करोड़ था और 2012–13 में ₹ 950.00 करोड़ होने की आशा है।

ईपीआई द्वारा निर्मित सीडीआरआई परिसर लखनऊ

अध्याय

3 हेवी इलेक्ट्रिकल, हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3.1 हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

3.1.1 हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र है, जो ऊर्जा क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करता है। यह क्षेत्र बायलर्स, टर्बो जनरेटर्स, टरबाईन्स, ट्रांसफार्मर स्विच गियर्स और रिलेज तथा संबंधित असेसरीज जैसे प्रमुख उपस्करों का विनिर्माण करता है। इस उद्योग को कार्य निष्पादन का देश के विद्युत क्षमता विस्तार कार्यक्रम से निकट संबंध है। 12वीं योजना के लिए 9 प्रतिशत आर्थिक विकास के अनुरूप करीब 88000 मे.वा. क्षमता विस्तार का लक्ष्य है।

देश में भारी विद्युत उपस्करों के विनिर्माण के लिए मज़बूत विनिर्माण आधार है। भारी विद्युत उपस्करों के विनिर्माता ने थर्मल सेटों के लिए 660 मेगावाट यूनिट क्षमता तक की सब–क्रिटिकल प्रोद्योगिकी को समाहित किया है और इसने 800 मे.वा. और इसके ऊपर के यूनिट आकार के लिए सुपर–क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कमर कस ली है। उद्योग देश के भविष्य के विद्युत क्षमता विस्तार को पूरा करने के लिए अपनी संस्थापित क्षमता का भी विस्तार कर रहा है। भारतीय उद्योग द्वारा 260 मेवा यूनिट क्षमता और 1200 के.वी. की उच्चतर वाल्टेज श्रेणी तक के पारेषण तथा वितरण उपस्करों का भी विनिर्माण किया जा रहा है।

3.1.2 स्टीम जनरेटर्स

स्टीम जनरेटर्स एक दाबकृत प्रणाली है, जिससे जल को वाष्प में वाष्पीकृत किया जाता है, जो प्रायः ज्वलनशील ईंधनों से दहन के उत्पादों के उच्चतर तापमान के स्रोत से स्थानांतरित उष्मा द्वारा प्राप्त वांछित अंतः उत्पाद होते हैं। इस प्रकार उत्पादित उच्च दाब वाले वाष्प का प्रयोग प्रत्यक्षतः उष्मन माध्यम के रूप में अथवा तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए मुख्य चालक में कार्यशील द्रव के रूप में किया जा सकता है, जिसे इसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भेल देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता है, जिसका घरेलू बाजार में लगभग दो तिहाई हिस्सा है। इसके पास संगठनों के लिए कोयला, लिग्नाइट तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के संयोजन का प्रयोग करने वाले 30 से 660 मेगावाट क्षमता के स्टीम जेनरेटरों के विनिर्माण की क्षमता है। वे 800 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपर क्रिटिकल पैरामीटर वाले उच्चतर क्षमता के बॉयलरों का भी विनिर्माण कर रहे हैं।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों का उत्पादन आंकड़ा निम्नानुसार है:

उत्पाद	2009-2010 (₹ करोड़ में)	2010-2011 (₹ करोड़ में)	2011-2012 (₹ करोड़ में)
बायलर	12763	22250	24661

3.1.3 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

औद्योगिक टर्बाइन सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइन जैसे विभिन्न किस्म के टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता भाप टरबाईन के लिए 800 मेवा, हाइड्रो के लिए 270 मेवा और गैस टरबाईन के लिए 260 मेवा के यूनिट आकार तक स्थापित की गई है। भेल, जिसकी सर्वाधिक संस्थापित क्षमता है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अन्य इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रयोग के लिए टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही हैं।

उपयोगिता एवं संयुक्त चक्र अनुप्रयोग के लिए 800 मे.वा. आकर के जेनरेटरों का भी देश के भीतर विनिर्माण किया जाता है। भारत में ए. सी. जेनरेटर उद्योग बड़े और छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू क्षेत्र की वैकल्पिक विद्युत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए भारत में विनिर्माता निर्दिष्ट वोल्टेज रेटिंग के साथ 0.5 केवीए से लेकर 25,000 केवीए तक के एसी जेनरेटर का विनिर्माण करने मे सक्षम है।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर–लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

उत्पाद	2009-2010 (₹ करोड़ में)	2010-2011 (₹ करोड़ में)	2011-2012 (₹ करोड़ में)
टरबाईन्स (स्टीम हाइड्रो)	5,428	6,988	7,729
इलेक्ट्रिक जनरेटर्स	2,117	3,733	3,927

3.1.4 ट्रांसफॉर्मर

ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत उपकरण है, जो वोल्टज स्तर परिवर्तित करता है और सर्वाधिक सक्षम और मितव्ययी तरीके से विद्युत का पारेषण, वितरण और उपभोग सुविधाजनक बनाता है। ट्रांसफार्मर उद्योग की स्थिति मुख्यतः विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली कार्यक्रम पर निर्भर करती है। इस उत्पाद के मुख्य प्रयोक्ता राज्य विद्युत बोर्ड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग हैं। कुछ विशेष किस्म के ट्रांसफॉर्मरों का भी विनिर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग वेल्डिंग, कर्षण और विद्युत भट्टियों आदि के लिए किया जाता है। भारत में ट्रांसफॉर्मर उद्योग पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है और इसके पास सुपरिपक्व प्रौद्योगिकी आधार है। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम अनुसार और निम्न ध्वनि वाले ऊर्जा सक्षम अमॉर्फस कोर डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी विकसित किए जा रहे हैं।

एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर–लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

उत्पाद	2009-10 (मिलियन केवीए)	2010-11 (मिलियन केवीए)	2011-12 (मिलियन केवीए)
ट्रांसफार्मर	85.23	113.14	उपलब्ध नहीं है

3.1.5 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

स्विचगियर का संदर्भ विद्युतीय कनेक्शन समाप्त करने, फ्यूज और/अथवा विद्युत उपस्कर को पृथक करने के लिए प्रयुक्त सर्किट ब्रेकरों के रूप में दिया जाता है। स्विचगियर का प्रयोग दोनों कार्य करने और अनुप्रवाह में त्रुटियां दूर करने के लिए उपस्कर को ऊर्जा रहित करने के लिए किया जाता है। स्विचगियर और कंट्रोल गियर न केवल विद्युत के पारेषण और वितरण में इस्तेमाल होते हैं बल्कि उन सभी क्षेत्रों में भी, जहां कहीं बिजली की पहुंच एवं नियंत्रण की आवश्यकता है, इस्तेमाल किये जाते हैं। भारतीय स्विचगियर उद्योग मानक विशिष्टताओं के अनुरूप बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से सल्फर हेक्साफ्लोराइड तक सर्किट ब्रेकर की संपूर्ण रेंज का विनिर्माण करता है। भारत में स्विचगियर और कंट्रोल गियर उद्योग एक पूर्णतः विकसित और परिपक्व उद्योग है जोकि उद्योग और विद्युत क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्विचगियर और कंट्रोल गियर मदों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। यह उद्योग क्षेत्र दरअसल 240 वाट से 800 के वी तक की सभी वाल्टेज रेंज में विनिर्माण करता है।

सेकेंडरी उपकरण, जैसे कि रिलेज आदि विभिन्न प्रकार के दोष से संरक्षा में इस्तेमाल किये जाते हैं, इन्हें कंट्रोल गियर के तौर पर भी जाना जाता है, के मामले में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिजिटल रिलेज को तेज़ी से परंपरागत रिलेज के साथ परिवर्तित किया जा रहा है जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन, कम्पैक्ट आकार और इसकी विश्वसनीयता के कारण हो रहा है। विद्युत की संरक्षा और नियंत्रण में हाल की प्रवृत्तियों के अनुरूप निगरानी और सिग्नलिंग स्विचगियर्स का एक अभिन्न अंक बनता जा रहा

है। निगरानी से दोष स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है जबकि सिग्नलिंग से विभिन्न स्थानों पर स्विच गियर्स की स्थिति की जानकारी लेने में मदद मिलती है। एसआईए की सांख्यिकी के अनुसार गैर–लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:

उत्पाद	2009-2010 (₹ हजार में)	2010-2011 (₹ हजार में)	2011-2012 (₹ हजार में)
स्विचगियर/ कंट्रोलगियर	18,119.49	36,227.70	32,597.22

(**स्रोत**– आईएमटीएमए)

3.2 भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल्स उद्योग

भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल क्षेत्र में मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योग शामिल है। पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रमुख उप क्षेत्रों में मशीन टूल, टेक्सटाइल मशीनरी, विनिर्माण और खनन मशीनरी और अन्य भारी उद्योग मशीनरी जैसे सीमेंट मशीनरी, रबड़ मशीनरी, धातुकर्मीय मशीनरी, रसायन एवं उर्वरक मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, डेयरी मशीनरी, साज–सामान के प्रबंध उपकरण, तेल क्षेत्र उपकरण, पेपर मशीनरी आदि हैं। पूंजीगत वस्तु उद्योग कुल विनिर्माण गतिविधि में 12 प्रतिशत का योगदान करता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत है और मशीनरी और उपस्कर जैसे शेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इन उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है और स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ–साथ मुक्त भाव से पुरानी और नई मशीनों का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है। प्रौद्योगिकी सहयोग अनुमत्य है।

विभाग ने मशीन टूल उद्योग विकास परिषद और टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग का गठन किया है जिससे ऐसा मंच उपलब्ध होता है जहां मशीनरी/उपकरण निर्माता, मशीनरी इस्तेमाल करने वाले और सरकारी विभागों के नीति निर्माता विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और इन उद्योगों के दीर्घकालिक विकास के लिए फैसले लेते हैं। योजना आयोग ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में पूंजीगत वस्तुओं और इंजीनियरिंग सेक्टर पर कार्य दल का गठन किया है। क्षेत्र वार सात उप दल अर्थात मशीन टूल्स, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी, अर्थ मूविंग एवं खनन उपस्कर, भारी विद्युत और विद्युत संयंत्र उपस्कर, धातुकर्मीय मशीनरी, वस्त्र मशीनरी, प्रसंस्करण संयंत्र उपस्कर, इंजीनियरी सामान और डाईज, मोल्डस एवं टूल उद्योग, स्थापित किए गए हैं। इसके अंतर्गत लागू पद्धति में सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे कि उद्योग एसोसिएशनों, उत्कृष्टता केंद्रों और प्रमुख पीएसयूज आदि से सूचना/सुझाव आमंत्रित करना शामिल है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले आरानों के संबंध में विभिन्न मंचों पर गहन विचार विमर्श किया गया था।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करने के लिए रणनीतिक पूंजीगत वस्तु उप क्षेत्रों के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की गई है। यह बहु आयामी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीति नियोजनों के जरिए अपनाई जानी है। इस रणनीति का आशय विनिर्दिष्ट योजनाओं के साथ, एक समर्थित वातावरण तैयार करने के वास्ते वित्तीय और अन्य नीतिगत उपायों सहित वर्तमान बाधाओं को दूर करना है। भारतीय उद्योग विभाग की योजना अर्थात पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए स्कीम 12वीं पंचवर्षीय में लागू करने के लिए तैयार की जा रही है।

3.2.1 मशीन टूल उद्योग

मशीन टूल्स उद्योग एक रणनीतिक उद्योग है जो कि ऑटोमोबाइल्स, भारी विद्युत उपस्करों, रक्षा, एरोस्पेस और उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य क्षेत्रों में विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा का निर्धारण करता है। संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। इस उद्योग में बहुत उच्च सूक्ष्मता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। धातु कटिंग मशीन टूल्स, मेटल फोर्मिंग मशीनों, विशेष प्रौद्योगिकियों और क्रिटिकल घटक विकास आदि

के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतर के कारण इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के साथ–साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। मशीन टूल उद्योग एक रणनीतिक उद्योग होने के कारण विकसित किए जाने की स्थिति में है क्योंकि घरेलू उद्योग विश्व में विनिर्मित हो रही मशीनों के समकक्ष नहीं है। पांच या अधिक एक्सिस सीएनसी मशीन टूल्स के संबंध में प्रौद्योगिक असहयोग मुद्दों को भी उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। पिछले तीन वर्षों के उत्पादन, आयात और निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	उत्पादन * (₹ करोड़)	निर्यात # (₹ करोड़)	आयात # (₹ करोड़)
2009-2010	2484	1118	7337
2010-2011	3624	1082	9432
2011-2012	4299	1384	13167

(**स्रोत**– आईएमटीएमए, डीजीसीआईएस)

3.2.2 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग पूंजीगत सामग्री उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें संपूर्ण मशीनरी का उत्पादन कर रही 600 से अधिक इकाइयों सहित 1446 से अधिक मशीनरी और संघटक विनिर्माता इकाइयां शामिल हैं जो मुख्यतः वस्त्र मशीनरी के पार्ट्स और सहायक कलपुर्जों का उत्पादन करती है। टेक्सटाइल मशीनरी में छंटाई मशीनरी, कार्डिंग मशीनरी, धागों/फैब्रिक्स प्रसंस्करण मशीनरी, बुनाई मशीनरी शामिल है। बुनाई, प्रसंस्करण, विशेष उद्देशीय फिनिशिंग मशीन, बुनाई और गारमेंटिंग मशीनरी जैसे क्षेत्रों और क्रिटिकल घटकों जैसे कि ऑटोमेशन के साथ ऑटो–कोनर एंड रोटर स्पिनिंग मशीन, वाइडर विड्थ प्रोसेसिंग मशीन आदि के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अंतर है। वर्तमान में अपर्याप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास के साथ–साथ बुनाई और प्रसंस्करण मशीनरी के क्षेत्र में बड़े विदेशी/घरेलू प्लेयर्स का अभाव एक मुख्य कमी है। ₹ 6900 करोड़ के पूंजी निवेश और प्रति वर्ष ₹ 8048 की संस्थापित क्षमता के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए वर्तमान उत्पादन, निर्यात और आयात इस प्रकार है:–

वर्ष	उत्पादन * (₹ करोड़)	निर्यात # (₹ करोड़)	आयात # (₹ करोड़)
2009-2010	4245	693	6718
2010-2011	6150	1069	8314
2011-2012	5280	1768	10373

(**स्रोत**– आईएमटीएमए, डीजीसीआईएस)

3.2.3 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी उद्योग

संगठित क्षेत्र में 11 प्रमुख मशीनरी विनिर्माता हैं और करीब 200 छोटे एवं मझौले विनिर्माता हैं। प्रमुख प्लास्टिक मशीनरी में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन और एक्सट्रशनयुजन मोल्डिंग मशीन शामिल है।

घरेलू विनिर्माता प्रौद्योगिकी और उत्पादन रेंज में प्रोसेसिंग उद्योग की 95 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करते हैं। उत्पाद प्रौद्योगिकियां विकसित देशों की प्रमुख ब्राण्डों के समकक्ष हैं। इसके अलावा घरेलू विनिर्माता प्रोसेसर्स को सही कीमत पर प्रौद्योगिकी उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। देश में पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों के रूप में प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के जरिए विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

वर्ष	उत्पादन (₹ करोड़)	निर्यात (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)
2009-2010	1519	396	915
2010-2011	2403	508	1402
2011-2012	2917	595	1721

(**स्रोत**–पीएमएमएआई)

3.2.4 डाईज, मोल्ड्स एवं टूल्स उद्योग:

भारतीय टूल रूम उद्योग बहुत ही खंडित है और देश में टूलिंग के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण

में लगे 500 से अधिक व्यावसायिक टूल मेकर्स हैं। व्यावसायिक टूल मेकर्स के अलावा 18 गवर्नमेंट टूल रूम कम ट्रेनिंग सेंटर भी देश में प्रचालन में हैं। प्रमुख व्यावसायिक टूल रूम स्थान हैं–मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े नीचे दिये हैं।

वर्ष	उत्पादन * (₹ करोड़)	निर्यात # (₹ करोड़)	आयात # (₹ करोड़)
2009-2010	11080	3100	3755
2010-2011	12485	3410	4150
2011-2012	13421	2899	4728

(**स्रोत**–टीएजीएमए)

3.2.5 प्रोसेस प्लांट उपस्करः

देश में प्रोसेस प्लांट मशीनरी के विनिर्माण में संलग्न 200 से अधिक इकाइयां हैं जिनमें से 65 प्रतिशत लघु और मझौले विनिर्माता हैं। प्रमुख प्रोसेस प्लांट मशीनरीज़ में टैंक, प्रेशर वैसल्स, एवेपोरेटर्स, स्टरर्स, हीट एक्सचेंजर्स, टावर्स एवं कॉलम्स, क्रिस्टेलाइज़र, फर्नेस आदि शामिल हैं जो कि ऊर्जा क्षेत्र, गैस, तेल, रिफाइनरी, रसायन एवं पेट्रोरसायन, उर्वरक, कागज एवं जुगदी, चीनी, सीमेंट, डेरी उद्योग आदि में प्रयोग में लाए जाते हैं। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े नीचे दिये हैं।

वर्ष	उत्पादन * (₹ करोड़)	निर्यात # (₹ करोड़)	आयात # (₹ करोड़)
2009-2010	16000	2700	246
2010-2011	18000	3194	1548
2011-2012	19861	3778	1804

(**स्रोत**–पीपीएमएआई)

प्रोसेस संयंत्रों के आकारों में वृद्धि हुई है। तटीय क्षेत्रों में अधिक बड़ी सुविधाएं विकसित की गई हैं। रक्षा, एरोस्पेस और परमाणु जैसे क्षेत्रों से प्रोसेस प्लांट उपकरण उद्योग में प्रौद्योगिकी निषेचन ने इस उद्योग में प्रौद्योगिकी उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने में मदद की है। ये क्षेत्र आज निर्माण की विभिन्न सामग्रियों के जरिए विभिन्न कठिन प्रोसेस उपकरणों के निर्माण और तैयारी की अत्याधुनिक प्रक्रियाओं से सज्जित है। इन कंपनियों की संयंत्र आकार भी बढ़े हैं और इस समय ये वैश्विक कंपनियों के समतुल्य अथवा यहां तक कि उनसे बड़े हैं।

भारतीय विनिर्माता मात्र फैब्रिकेशन तक सीमित नहीं हैं और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में इनकी मज़बूत उपस्थिति है। वे ग्राहकों की डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर निर्माण और कमीशनिंग तक की सभी जरूरतें पूरी करते हैं और इंजीनियरिंग, प्रापण और कमीशनिंग (ईपीसी) अनुबंधों के लिए विश्व के प्रमुख विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। लेकिन घरेलू उद्योग में जो कमी है वह प्रोसेस प्रोद्योगिकी की जानकारी को लेकर है जिससे यह क्षेत्र विदेशी प्रोसेस लाइसेंसर्स पर निर्भर है। परंतु दूसरी तरफ चीन ने प्रोसेस प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना की है और अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञता अर्जित कर रहा है। प्रचालन स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के वास्ते वैल्डिंग, फोर्मिंग, मशीनिंग प्रौद्योगिकियों में सुधार किया जा सकता है। विकसित की जाने वाली लक्षित प्रौद्योगिकियों में उप क्षेत्र उपस्कर, तेल कुओं की ड्रिलिंग, एथलीन और गैस क्रैकर्स के लिए प्रोसेस गैस बायलर्स आदि शामिल हैं।

3.2.6 अर्थ मूविंग एवं खनन उपकरण

भारत में वर्तमान में अर्थमूविंग और खनन मशीनरी के 20 बड़े और वैश्विक विनिर्माता और करीब 200 छोटे और मझौले विनिर्माता हैं। उत्पाद रेंज में बैकहोई लोडर्स, कम्पैक्टर्स, मोबाइल क्रेनें, पेवर्स, बेचिंग संयंत्र, क्राउलर क्रेनें, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, टावर क्रेनें, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, डम्पर्स, खनन शेवेल, वाकिंग ड्रैगलाइन्स, डोज़र्स,

व्हील लोडर्स, ग्रेडर्स, ड्रिलिंग उपकरण आदि शामिल हैं। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गए हैं।

वर्ष	उत्पादन (₹ करोड़)	निर्यात (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)
2009-2010	16469	817	5639
2010-2011	16500	1038	7041
2011-2012	18000	1318	8880

(**स्रोत**– आईसीईएमए)

भारत में खनन एवं निर्माण मशीन क्षेत्र वर्षों से प्रचलन में है और वर्तमान में यह विकास के मध्यम चरण में है। देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी की व्युत्पत्ति पूर्व में तकनीकी सहयोगों के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हुई है और कुछ उत्पाद खण्डों में यह एक पीढ़ी पीछे है। भारत में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विनिर्मित कुछ उत्पाद वैश्विक मानदंडों के अनुरूप हैं जिन्होंने भारत में अपने असेम्बली संयंत्र स्थापित किये हैं। चूंकि प्रचालन की मांग और पैमाना बढ़ रहा है इसलिए उद्योग प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को लाने की कोशिश कर रहा है। उपयोगकर्ता उपकरण की आरंभिक लागत को नहीं देख रहे हैं बल्कि उपयोग की प्रति टन लागत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि 5 वर्षों में पैमाने में वृद्धि और अधिक यंत्रीकरण से उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्तर में परिवर्तन हो सकते हैं। भारत में खुला खनन कार्य भूमिगत खनन से अधिक लोकप्रिय है। अतः खुले में खनन कार्य के लिए अपेक्षित उपकरण जैसे कि डम्पर्स, डोज़र्स, शेवल्स, ड्रेगलाइन्स और एक्सकावेटर्स का भारत में विनिर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रानिक कन्ट्रोल्स, हाईड्रोलिक प्रणालियों और इंजनों के उपयोग को छोड़कर प्रौद्योगिकी का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा नवीनतम उत्सर्जन नियमों का पालन किये जाने के अधीन है।

अगले 20 वर्षों के लिए उद्योग के अनुमान के आधार पर इलेक्ट्रिक डम्प ट्रक 190 टन– 240 टन, रोप शोवेल्स 42 क्यूम, वाकिंग ड्रेकलाइन्स 72 एम–33 क्यूम, 150 एम–50क्यूम, हाइब्रीड ड्राइव लोडर्स 10 क्यूम बकेट, 2500 एचपी इलेक्ट्रानिकी नियंत्रित उत्सर्जन अनुपालना इंजन, लोंग वॉल माइनिंग सिस्टम्स और भूमिगत खानों के लिए नियमित खनन कार्यों आदि के संबंध में स्वदेशी क्षमता का विकास किये जाने की आवश्यकता है जिससे बाज़ार की मांग को पूरा किया जाए, जिसका वर्तमान में अधिकतर आयात होता है।

अध्याय

4 ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों में से एक और अर्थव्यवस्था का एक चालक है। उद्योग के कई खण्डों के साथ इसके गहरे तत्पर और पूर्व संपर्कों की वजह से ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर मज़बूत गुणक प्रभाव है। एक मज़बूत परिवहन प्रणाली की देश के त्वरित आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का सुविकसित परिवहन उद्योग यात्री कारों, हल्के, मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों, बहु उपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों, मोपेड, तिपहिया आदि जैसे विभिन्न किस्मों के उत्पादन करते हुए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंस मुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इस समय यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। वर्ष 1991 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे–धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। "आटोमोटिव मिशन प्लान 2006–16" में किये गये प्रावधान के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में उदारीकरण और जागरूक नीति उपायों से एक गुंजायमान, प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार का सृजन हुआ है और इससे कई नए प्लेयर्स शामिल हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऑटोमोबाइल उद्योग में क्षमता विस्तार और बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन हुआ है। इस क्षेत्र को " उगता सूर्य " क्षेत्र के रूप में प्रतिपादित किया गया था।

पिछले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने त्वरित रूप से छलांग लगाई है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 1992–93 में करीब 2.77 प्रतिशत था जो अब 6.7 प्रतिशत है। यह 17 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध करवाता है और प्रत्येक ट्रक के लिए 13 व्यक्तियों, प्रत्येक कार के लिए 6 व्यक्तियों और प्रत्येक तिपहिया के लिए 4 व्यक्तियों तथा प्रत्येक दुपहिया के लिए दो व्यक्तियों के लिए रोज़गार सृजन करता है। यह उद्योग सरकार के अप्रत्यक्ष करों में 20 प्रतिशत से अधिक का योगदान भी कर रहा है।

2010–11 में, भारत फ्रांस, ब्रिटेन और इटली को पीछे छोड़ते हुए विश्व का छठा सबसे बड़ा वाहन विनिर्माता बन गया। आज यह एशिया में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता, दुपहिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता, व्यावसायिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता और यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है। 2011–12 के दौरान भारत ने 40 से अधिक देशों को 29.10 लाख वाहन निर्यात किये जिनमें 0.45 मिलियन यात्री कारें और 1.54 मिलियन दुपहिया शामिल हैं।

उत्पादन: पिछले दशक के दौरान यह क्षेत्र लगभग 12–15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विकसित हो रहा है लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 2008–09 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की और तीन प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग उच्च विकास दर की स्थिति में लौट आया। अन्य सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय

कारणों से भारत में ऑटो उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय बाज़ार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विश्व के अन्य देशों की तुलना में कार की कम पहुंच है। उदाहरण के लिए जर्मनी में प्रत्येक हजार की जनसंख्या के लिए 565 कारें, दक्षिण कोरिया में 238 कारें और थाईलैंड में 57 कारें हैं, जबकि भारत में करीब 10 है। वर्ष 2011–12 में यात्री वाहन खण्ड, दुपहिया खण्ड, तिपहिया खण्ड और व्यावसायिक वाहन खण्ड ने सभी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 4.72 प्रतिशत, 15.76 प्रतिशत, 9.78 प्रतिशत और 19.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है। 2011–12 में ऑटोमोटिव उद्योग का कुल कारोबार ₹ 2,64,420 करोड़ था और विनिर्माण जीडीपी और उत्पाद शुल्क में इसका योगदान क्रमशः 25 प्रतिशत और 21 प्रतिशत था। ₹ 52,557 करोड़ पर यह कुल भारतीय निर्यात का 3.6 प्रतिशत बनता है जबकि ₹ 24,735 करोड़ पर यह कुल भारतीय आयात का 1.1 प्रतिशत था जबकि आयात शुल्क में हिस्सा 7 प्रतिशत था। नीचे दी गई सारणी में 2007–08 तक की पांच वर्ष की अवधि में क्षेत्रीय मैक्रो प्रवृत्तियां दर्शाते हैं: वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक (अप्रैल से नवंबर) की अवधि के दौरान ऑटोमोबाइल का वास्तविक उत्पादन और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है:

ऑटोमोबाइल उत्पादन

(सं. हजार में)

खण्ड	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अप्रैल–नवंबर
यात्री वाहन	1426	1517	2351	2983	3124	2118
कुल वाणिज्यिक वाहन	549	417	566	761	912	545
तिपहिए	501	501	619	800	878	540
दुपहिए	8027	8419	10513	13349	15554	10464
कुल	**10854**	**11175**	14050	**17892**	**20366**	**13668**
प्रतिशत वृद्धि	(-) 2.29	2.96	25.76	27.35	13.83	2.28

स्रोत: एसआईएएम

घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्री का रूझान:

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री संख्या	9,654,435	9,724,243	12,295,397	15,513,156	17,376,624
प्रतिशत वृद्धि	-4.64	0.72	26.44	26.17	12.24

जैसा कि ऊपर दी गई सारणियों से देखा जा सकता है, इस क्षेत्र ने कुल मिलाकर 2007–08 में पहले प्रगति दर्शायी और तब अगले वर्ष इसे बिक्री के साथ–साथ उत्पादन में रिकवरी दर्शायी जिससे 2009–10 और 2010–11 में नाटकीय वृद्धि हुई।

निर्यात: वर्ष 2011–12 में यात्री वाहनों, दुपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 14.18 प्रतिशत, 27.13 प्रतिशत, 34.41 प्रतिशत और 25.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है। भारतीय आटोमोबाइल उद्योग संयुक्त उद्यम विलयों और अधिग्रहण के साथ–साथ निर्यात द्वारा वैश्विक बाज़ार में मजबूत उपस्थिति दर्ज़ कर रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग में लगभग सभी प्रमुख वैश्विक ब्रैंड भारत में मौजूद हैं और वे निर्यात में भी योगदान कर रही हैं। वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक की अवधि के दौरान विभिन्न ऑटोमोबाइल खण्डों के निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:

ऑटोमोबाइल उत्पादन

(सं. हजार में)

खण्ड	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अप्रैल–नवंबर
यात्री वाहन	218	336	446	444	507	362
कुल वाणिज्यिक वाहन	53	37	45	74	93	55
तिपहिए	141	148	173	270	363	195
दुपहिए	819	1004	1140	1532	1947	1311
कुल	**1238**	**1530**	**1804**	**2320**	**2910**	**1925**
प्रतिशत वृद्धि	22.45	23.61	18.05	28.60	25.44	(-) 4.57

स्रोत: एसआईएएम

4.2 ऑटो संघटक उद्योग:

ऑटो संघटक विनिर्माता एसोसिएशन का वाहन विनिर्माताओं, टायर–वन आपूर्तिकर्ताओं, राज्य परिवहन उपक्रमों, रक्षा स्थापनाओं, रेलवे और रिप्लेसमेंट बाज़ार में भी हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के संघटक ओईएमएस को और विश्व में दूसरे बाजारों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। इस खण्ड का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:–

ऑटो संघटक उद्योग कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

गणना वर्ष @	2007- 08 (₹40.2)	2008-09 (₹45.9)	2009 -10 (₹. 45)	2010 -11 (₹45.6)	2011 -12 (₹48.5)	सीएजीआर
कुल कारोबार वृद्धि %	106530 2.3	105770 -0.7	135000 27.6	181944 34.8	210442 15.7	19%
निर्यात वृद्धि %	15276 19.4	18360 20.2%	15300 -16.7	23712 55.0	33465 41.1	22%
आयात वृद्धि %	24924 61.4	31212 25.2	29250 -6.3	38760 32.5	51410 32.6	20%
निवेश	7236	459	7650	9120-10260	7760-9215	-
कारोबार में आयात का %	23	30	22	21	24	-
कारोबार में निर्यात का %	14	17	11	13	16	-

(कारोबार में ओईएम को आपूर्ति, बाज़ार उपरांत बिक्री और निर्यात शामिल हैं परंतु आयात शामिल नहीं है। इसने ओईएम द्वारा कैप्टिव उपभोग के लिए उत्पादन, गैर एसीएमए सदस्यों द्वारा विनिर्मित संघटकों को गणना में नहीं लिया जाता है जिनकी अधिकतर आपूर्ति गैर ऑटोमोटिव और असंगठित क्षेत्र के लिए होती है)

कुल कारोबार में निर्यात का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा है। हाल के दिनों में वैश्विक मंदी के कारण भारत से भी निर्यात पिछड़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2009–10 में निर्यात स्थिर बना हुआ है। उद्योग के कुल कारोबार में आयात का 32 प्रतिशत हिस्सा है और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है। अब तक उद्योग निवेश में दहाई अंक में वृद्धि दर्ज़ कर रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद उद्योग ने नई क्षमता जोड़ना जारी रखा। वर्ष में ₹ 7990 करोड़ का क्षमता विस्तार देखा गया है तथा हरित क्षेत्र और विस्तार साथ–साथ संचालित हुए।

4.3 कृषि मशीनरी क्षेत्र

कृषि मशीनरी में मुख्यतः कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यतः कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक–तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त सब 20 अश्वशक्ति के बेल्ट–चालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात अमरीका और मलेशिया, तुर्की आदि जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को किया गया। भारतीय संगठनों ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं की बोली देकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारम्भ किया है। इस तरह भारतीय ट्रैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य होते जा रहे हैं। चूंकि भारत में ट्रैक्टरों की कीमत विश्व में सबसे कम है, अतः भविष्य में ट्रैक्टरों के निर्यात में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।

4.4 अर्थ मूविंग तथा निर्माण मशीनरी

अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण उद्योग (ईसीई) का निर्माण के साथ–साथ निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योग के साथ प्रमुख पृष्ठभूमि संपर्क है। निर्माण लागत का औसत करीब दो तिहाई भाग निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है। निर्माण उपकरणों के अंतर्गत विभिन्न किस्मों के यंत्र आते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, व्हील लोडर्स, बैकहोई लोडर्स, बुलडोजर्स, डम्प ट्रक टिपर्स, ग्रेडर्स, पेवर्स, असफाल्ट ड्रम/वेट मिक्स प्लांट्स, ब्रेकर्स, वाइब्रेटरी कम्पैक्टर्स, क्रेनें, फोकलिफ्टस डोज़र्स, ऑफहाईवे डम्पर्स (20 टन से 170 टन), ड्रिल स्क्रेपर्स, मोटर ग्रेडर्स, रोप शोवेल्स आदि। वे कई तरह के कार्य करते हैं जैसे कि मैदान तैयार करना, एक्सकावेशन, विनिर्दिष्ट तरीके से मैटीरिल डंपिंग/लेइंग का हॉलेज, सामग्री हैंडलिंग, सड़क निर्माण आदि। भारतीय अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण उद्योग पिछले कुछ वर्षों से एक मौन क्रांति से गुजर रहा है और 40 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक दर पर भारी विस्तार हो रहा है।

भारतीय अर्थमूविंग और निर्माण विनिर्माण उद्योग शहरी अवसंरचना, खनन, विद्युत, निर्माण, सिंचाई, सड़कों और राजमार्गों, भारी अवसंचना आदि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में सेवा करता है। इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है जिसने निर्माण और अर्थमूविंग उपकरणों की मांग बढ़ा दी है। आने वाले समय में अर्थमूविंग उपकरणों की जबर्दस्त मांग होने की आशा। वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप, बेकार वैश्विक क्षमताओं से उपकरणों के आयात और प्रयुक्त तथा सेकिंड हैंड उपकरणों जैसी पुरानी मशीनरी के आयात में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय बाजार में प्रयुक्त क्रालर्स क्रेनों और मोबाइल क्रेनों के आयात में कुल खपत का लगभग 50 से 80 प्रतिशत है। अतः घरेलू निर्माण और अर्थमूविंग उपकरण विनिर्माण उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई कार्य क्षेत्र का अभाव है।

4.5 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें: भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो–संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के कारण इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

4.5.1 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: भारत सरकार (भारी उद्योग विभाग) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (हाईब्रीड वाहनों सहित) के तीव्र अनुपालन और उनके भारत में विनिर्माण के लिए नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) का अनुमोदन किया है। इस विभाग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लागू करने और विस्तारित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (हाईब्रीड सहित), और उनके संघटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम) की भी स्थापना की है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तौर पर राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज एनबीईएम के सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और सहमत दायरे पर आधारित है। नैशनल कांउसिल फार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) की बैठक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 29.08.2012 को आयोजित की गई थी, जिसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 को अनुमोदित किया। यह जीवाष्म ईंधन पर निर्भरता और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को वर्ष 2020 तक महत्वपूर्ण स्तर तक कम करने के वास्ते भारत में इलेक्ट्रिक और हाईब्रीड मोबिलिटी को धीरे–धीरे लागू करने के वास्ते एक विज़न दस्तावेज है। यह भारत को इलेक्ट्रिक/हाईब्रीड मोबिलिटी खण्ड के कुछेक उप क्षेत्रों में एक गंभीर वैश्विक प्लेअर बनाने के वास्ते उद्योग क्षमता के पूंजीकरण का भी दृष्टिकोण पत्र है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 9 जनवरी, 2013 को एनईएमएमपी 2020 की शुरूआत की।

एनईएमएमपी 2020 में उद्योग के साथ साझेदारी में सरकार द्वारा संचालित अध्ययन पर आधारित आंतरिक मूल विवरण के निष्कर्ष सम्मिलित हैं। एनईएमएमपी 2020 अनिवार्यतः ऑटोमोटिव मिशन प्लान(एएमपी) 2006–16 से है और विभिन्न विनिर्दिष्ट हस्तक्षेपों की अनुशंसा की गई है जिनका उद्देश्य मांग सृजन, अनुसंधान एवं विकास और अवसंरचना का विकास है। इसमें उभरकर आया कि 2020 तक 6–7 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन (हाईब्रीड सहित) की बिक्री के साथ 2.2–2.5 मिलियन टन की परिणामी ईंधन बचत हासिल की जा सकती है। इन प्रयासों से राष्ट्र की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अत्यधिक अपेक्षित आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। दरअसल भविष्य में प्रस्ताव व्यापक जीवाष्म ईंधन बचत से सरकार द्वारा किये गये निवेश से निवल सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है।

4.5.2 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड:

भारत में ऑटोमोटिव आरएंडडी मैट्रिक्स को आर्गेनिक सुपरस्ट्रक्चर की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आटोमोटिव बोर्ड की अवधारणा को नैट्रिप की स्वाभाविक प्रगति के तौर पर लिया जाता है जब यह वास्तव में अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) के गठन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 18.10.2012 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदित कर दिया। एनएबी सरकार की ओर से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए संचालित किये जा रहे सभी प्रयासों और कदमों के प्रति मार्गदर्शन, समन्वय और तालमेल का काम करेगा, विशेषकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, व्यवस्थित परिवहन प्रणाली, औटोमोटिव परीक्षण, सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास और ऑटोमोटिव प्लान 2006–16 की सिफारिशों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में योगदान करेगा। यह सरकार, उद्योग और शिक्षा के बीच सांगठनिक विचार विमर्श के लिए केंद्र बिंदु होगा और भारी उद्योग विभाग के अधीन ऑटोमोटिव क्षेत्र की विशेषज्ञता के भण्डार के तौर पर काम करेगा। एनएबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का) (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के अधीन एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार से अपेक्षित कुल अनुमानित वित्तीय सहायता लगभग ₹ 2.02 करोड़ है। एनएबी के लिए धनराशि ऑटोमोटिव सैस (भारी उद्योग विभाग के भीतर ऑटो और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद द्वारा संचालित) के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग के लाभ और विकास के लिए किया जाना है। बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया जाएगा। एनएबी के तीन वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है और इसके बाद सरकार से आगे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

4.5.3 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई):

डीसीएएआई की पिछली बैठक 04.10.2012 को सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में हुई थी जो कि क्षेत्र के विकास और एएमपी लक्ष्यों को हासिल करने के मुद्दों पर केंद्रित रही। यह मंच एक प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए अवसर उपलब्ध करवाता है जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित नीतियां बनाई जा सकें और अन्य कार्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

4.5.4 ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक:
ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना भारत–जर्मन औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग संयुक्त आयोग के तत्वावधान में की गई थी। ये पांचवां संयुक्त कार्य दल है, अन्य चार दल कृषि, कोयला, संरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 6.2.2009 को नई दिल्ली में हुई थी। पहली बैठक के दौरान निम्नलिखित तीन कार्य उप दलों का गठन किया गया 1. प्रौद्योगिकी, 2. व्यवसायीकरण एवं दायरा विकास और 3. सांस्थानिक सहयोग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। संयुक्त कार्य दल और इसके कार्यशील उप दलों की दूसरी बैठक फ्रेंकफर्स, जर्मनी में 21 से 22 सितंबर, 2009 को हुई। तीसरी बैठक अप्रैल, 2011 में नई दिल्ली में हुई। अप्रैल 2011 में जर्मन संघीय गणराज्य के माननीय परिवहन और शहरी मामलों के मंत्री प्रतिनिधिमण्डल के साथ थे। संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक जर्मनी में मार्च 2012 के दौरान आयोजित की गई।

4.5.5 पर्यावरण के अनुकूल वाहनों (ईएफवी) पर अनौपचारिक समूह:

हालांकि, ऑटोमोटिव विनियामों के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, भारी उद्योग विभाग को भी ऑटो क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय के तौर पर डब्ल्यूपी–29, ऑटोमोटिव विनियम तैयार करने के लिए यूएनईसी के अधीन एक वैश्विक संस्था की बैठकों में भाग लेना होता है क्योंकि भारत ने 1958 के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जीआरपीई (डब्ल्यूपी–29), यूएनईसीई के अधीन ईएफवी पर औपचारिक दल के लिए अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सचिवालय की जिम्मेदारी भारत को दी गई है। डब्ल्यूपी–29 नियमों के अनुसार, अनौपचारिक दल के लिए जीआरपीई/डब्ल्यूपी–29 की बैठकों के साथ–साथ बैठक करना और जीआरपीई/डब्ल्यूपी–29 को प्रगति रिपोर्ट देना अपेक्षित होता है। भारी उद्योग विभाग को भी 2012 तक अर्थात अगले ईएफवी सम्मेलन की अवधि तक जो कि अमरीका में होना है, औपचारिक दल के लिए सचिवालय के तौर पर कार्य करना है।

4.5.6 ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी):
भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, भारी इलेक्ट्रिकल, ऑटो उद्योग आदि क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण के साथ ''कौशल विकास योजना'' तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वर्तमान वित्त वर्ष में और भविष्य में सुव्यवस्थित और उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल अंतरों की पहचान का कार्य एएमपी 2006–16 तैयार करने के तौर बनाए गए विशेषीकृत दल के जरिए संचालित किया गया, जिसमें उद्योग को 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। विभिन्न अवसरों पर विभाग में हुए विचार विमर्श के आधार पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तदनुसार एनएसडीसी की देखरेख में एक ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद की स्थापना की गई है। पहले साल के लिए प्रायोगिक परियोजना के लिए ₹ 75 लाख का आरंभिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रायोगिक परियोजना ऑटो क्षेत्र से संबंधित 3 व्यापारों को शामिल करते हुए क्रियान्वित की गई।

4.5.7 वाहन की उपयोगिता समाप्त (ईएलवी) नीति:
जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श से वाहन की उपयोगिता समाप्त नीति के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में संलग्न है, इस मामले में भारी उद्योग विभाग की मुख्य भूमिका ऐसी नीति निर्धारित करने से पहले सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए एक उपयुक्त खाका उपलब्ध/तैयार करने की है। ईएलवी के एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए अवसंरचना तैयार किये जाने की जरूरत है। पुराने वाहन स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए देने हेतु लोगों में जागरूता और सहमति कायम करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए प्रोत्साहन या कुछ नीतिगत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ अन्य संबद्ध मुद्दे भी हैं जिनमें

वाहन मालिकों के प्रतिपूर्ति संरचना, स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/संरक्षा दायरों की स्थापना, स्क्रैपिंग/निस्तारण केंद्रों पर वाहनों के संग्रहण की व्यवस्था, कच्चे माल की रीसाइक्लिंग और स्क्रैपिंग केंद्रों के बीच संपर्क आदि शामिल हैं। इस उद्देश्य से वाहन की उपयोगिता समाप्त करके एक कोर ग्रुप का गठन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह कोर ग्रुप ऑटो रीकॉल और एंड ऑफ लाइफ (ईएलवी) पर अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करेगा। कोर ग्रुप की पहली बैठक 15.01.2013 को हुई।

4.5.8 उपकर कोष से अनुदान जारी करना: उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 की शर्तों के अनुरूप 1983 में जारी अधिसूचना के अनुसार एक प्रतिशत का 1/8 की दर से ऑटोमोबाइल्स की बिक्री पर उपकर लगाया जाता है। कानून के अनुसार इसे अनुसूचित उद्योग के लाभ और विकास के लिए विकास परिषद को उपलब्ध कराया जाता है (इस मामले में ऑटोमोटिव उपकर)। प्रशासनिक सुविधा के लिए इस उपकर का संग्रह उत्पाद कर के संग्रह के साथ किया जाता हैं, परंतु इसे अलग लेखा शीर्ष के तहत रखा जाता है। इस धन का इस्तेमाल ऑटोमोटिव एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष सचिव, भारी उद्योग विभाग हैं और इसमें सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में उपकर समिति की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए उद्योग के लाभ के लिए पूर्व–प्रतिस्पर्द्धा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है। प्रेषित प्रस्तावों की स्क्रीनिंग कमेटी और तकनीकी उप समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उपकर समिति के सभी फैसले और विभिन्न वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति डीसीएएआई को रिपोर्ट की जाती है और उन पर विचार विमर्श भी किया जाता है। 1984–85 और 2011–12 के बीच ₹ 379.28 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 194 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 2011–12 के दौरान ₹ 18.20 करोड़ अनुमोदित किये गये जिनमें ₹ 13.91 करोड़ 2009–10 से चालू 7 परियोजनाओं के लिए थे और ₹ 4.38 करोड़ 4 नई परियोजनाओं के लिए मंजूर किये गये थे। इस वर्ष उपकर समिति की बैठक 30.01.2013 को आयोजित की गई जिसमे ₹ 20 करोड़ की राशि जारी करने का फैसला किया गया।

4.5.9 यूनिडो–एसीएमए क्लस्टर विकास परियोजना: उपकर समिति ने तीन वर्षों के लिए ₹ 11.25 करोड़ की लागत पर वर्ष में यूनिडो–एसीएमए क्लस्टर विकास परियोजना के फेस–1 को भी सिद्धांततः मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अनुसार वर्ष 2012–13 में ₹ 3.1 करोड़ ऑटो उपकर कोष से जारी किये जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य ऑटोमोटिव संघटक उद्योग में घरेलू एसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि के लिए लघु और मझौले उद्यमों को व्यावहारिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने और संगत आपूर्ति श्रृंखला अपेक्षाएं पूरी करने (गुणवत्ता, लागत और सुपुर्दगी), निचले स्तर के आपूर्तिकर्ताओं सहित भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ लक्षित कंपनियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उन्नयन में सुविधा होगी।

अध्याय

5 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अनुसंधान और विकास

5.1 भारत ने व्यापक किस्म की बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है जिससे कि भारी इलेक्ट्रिकल, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योगों, प्रोसेस उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, जहाजों, विमानों, खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकतों को पूरा किया जा सके। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा काफी कम है। विकास की काफी क्षमता है जो कि एक वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में सुधार और प्रतिस्पद्धात्मकता से हो सकता है। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में नवीनीकरण और नई प्रौद्योगिकियों का अनुपालन प्रमुख कारक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था के मुक्त होने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के प्रवेश ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों और सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता काफी बढ़ा दी है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.2 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) को सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 2005 को अनुमोदित और भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया था। नेट्रिप इसकी स्थापना से छह वर्षों में ₹ 1,718 करोड़ (बाद में संशोधित ₹ 2288.06 करोड़) के कुल निवेश से भारत में विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और होमोलोगेशन सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केंद्रों दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक स्थापित करने में सरकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोजगार संभावना में महत्वपूर्ण वृद्धि करने और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में अभिसरण सुविधा जनक बनाते हुए अधिक मूल्यवर्धन का संवर्धन करना (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की काफी कम वैश्विक पहुंच को बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण, वैधीकरण और विकास अवसंरचना के अभाव को हटाना है।

5.2.1 यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:

(i) हरियाणा राज्य के मानेसर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और होमोलोगेशन केंद्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप किसी स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और होमोलोगेशन केंद्र।

(iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और होमोलोगेशन सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के निकट पीतहमपुर में 4,140 एकड़ भूमि पर परीक्षण ट्रैक और विकास परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाओं/सुविधाओं के साथ विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव प्रयाणन प्रमाणीकरण स्थल।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से अलग रहने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

5.2.2 अनुमोदित निधिकरण पैटर्न

व्यय वित्त समिति की सिफारिशों और सरकार के अनुमोदन के आधार पर सरकार और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से ₹ 1718.00 करोड़ का निवेश निम्मानुसार निधियन किया जाना प्रस्तावित है।

क. सरकार द्वारा योजना सहायता

अनुदान के जरिए: ₹ 817 करोड़

ऋण के जरिए: ₹ 273 करोड़

ख. ऑटोमोटिव उपकर से अंशदान

(ऑटो उद्योग से संग्रहित किया जाना है): ₹ 510 करोड़

ग. ऑटो उद्योग द्वारा भुगतान किया जाने वाला उपयोगकर्ता प्रभार: ₹ 118 करोड़

कुल परियोजना लागत (क+ख+ग): ₹ 1718 करोड़

5.2.3 हाल में अप्रैल 2011 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव, वैधानिक करों, इनपुट लागत में बढ़ोतरी, आपूर्ति की संभावना में परिवर्तन आदि जैसे अन्य कारणों से ₹ 570.96 करोड़ की बजटीय वृद्धि के साथ मूल अनुमोदित लागत अनुमान ₹ 1718 करोड़ के स्थान पर नेट्रिप के लिए संशोधित लागत अनुमान ₹ 2286.06 करोड़ का अनुमोदन किया है। कुल ₹ 570.06 करोड़ की बजटीय वृद्धि निम्नलिखित तरीके से मंजूर की गई है:

क. सरकार द्वारा योजना सहायता

अनुदान के जरिए: ₹ 427.29 करोड़

ऋण के जरिए: ₹ 142.77 करोड़

ख. ऑटोमोटिव उपकर से अंशदान

(ऑटो उद्योग से संग्रहित किया जाना है): शून्य

उप जोड़ (क+ख): ₹ 570 करोड़

ग. उपयोगकर्ता प्रभार की लघु रिकवरी पर अतिरिक्त ऋण संघटक : ₹ 95.51 करोड़

कुल परियोजना लागत (क+ख+ग): ₹ 665.57 करोड़

5.2.4 अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन

नेट्रिप केंद्र न केवल वैश्विक ऑटोमोटिव परीक्षण मानकों की अपेक्षाएं पूरी करेंगे बल्कि इनमें प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए कई ''उत्कृष्टता केंद्र'' भी उपलब्ध होंगे। ''उत्कृष्टता केंद्र'' आई टी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की शक्तियों का उपयोग अगली पीढ़ी की भारतीय ऑटोमोटिव सक्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु सुविधाजनक होगो। नेट्रिप के अधीन नियोजित उत्कृष्टता के उन्नत अनुसंधान एवं विकास केंद्र निम्नानुसार हैं:–

1. मानेसर केंद्र:
क संघटक
ख. शोर, कंपन एवं कठोरता

2. चेन्नई केंद्र:
क. पेसिव सेफ्टी,

ख. इलेक्ट्रो–मैगनेटिक सक्षमता,
ग. इन्फोट्रोनिक्स

3. एआरएआई, पुणेः

क. फ़टीग
ख पावर ट्रेन, ग.मैटीरियल्स

4. इंदौर प्रमाणन मैदानः
वाहन गतिशीलता

5.2.5 नेट्रिप सुविधाएं नए संघटकों के विकास की प्रकिया को पूरा करेगी, जिसमें शामिल हैः

1) अनुसंधान रणनीतिः बाज़ार लक्षित और आरएंडडी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग/निवेश

2) अवधारण विकासः स्टाइलिंग, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग

3) उत्पाद विकासः मैटीरियल्स और प्रोटोटाइपिंग

4) औद्योगिकीकरणः लागत में कमी, गुणवत्ता सुधार

5) उत्पाद जीवनः गुणवत्ता और फ़टीग

सभी नेट्रिप आर एंड डी केंद्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी और इनका उद्देश्य विश्व के विभिन्न हिस्सों से ग्राहकों को आकर्षित करना भी है। इन केंद्रों पर ऊपर वर्णित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान कार्य भी किए जाएंगे और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग भी होगा। रायबरेली केंद्र पर एक दुर्घटना डॉटा विश्लेषण केंद्र स्थापित किया गया है जो कि पुलिस कर्मियों और अन्य संगत लोगों को डॉटा संग्रहण और विश्लेषण में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह केंद्र दुर्घटना पुनर्निर्माण, कारण विश्लेषण के लिए भी काम करेगा और सुधारात्मक कार्रवाइ करने में मदद करेगा।

5.2.6 स्थल वार प्रगति

I. मानेसर साइटः

(i) दो पीडब्ल्यूटीआई एमएसीडी प्रयोगशालाएं पूरी कर ली गई हैं और सितंबर 2011 में प्रचालन शुरू कर दिया गया है। फ़टीग प्रयोगशाला उपस्कर निविदा सितंबर 2010 में प्रदान की गई और हाल में अगस्त 2011 में एनवीएच प्रयोगशाला उपस्कर प्रदान किये गए हैं।

(ii) जनवरी 2012 से त्वरित प्रोटोटाइपिंग सुविधा पूर्णतः प्रचालन में है और ईडी शैकर और जलवायु चैम्बर युक्त एफएटी2 पैकेज जुलाई 2012 से प्रचालन में है।

(iii) मानेसर साइट–ii का निर्माण प्रगति पर है।

II. सिल्चर

(i) सिल्चर में खुलने वाले घरेलू वाहन प्रबंधन केंद्र और पर्वतीय ड्राईविंग प्रशिक्षण केंद्र से सुरक्षित वाहन उपयोग और सुरक्षित ड्राईविंग विकसित करने में मदद मिलेगी। यह जनवरी 2010 से प्रचालन में है।

(ii) आईएमएस (निरीक्षणा) एवं अनुरक्षण केंद्र) भारत में अपनी प्रकार की पहली सुविधा है। नियत लेन सुविधा के चालू होने के साथ यह लगभग 2 वर्ष से है। मोबाइल लेन, जो कि शायद भारत में अपनी तरह की एकमात्र है, भी जनवरी, 2013 से चालू की जा चुकी है।

(iii) 24000 वर्गफुट परिसर आकार का मैकेनिक्स संस्थान, जिसमें बहुत सी कर्मशालाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, वैल्डिंग, डीजल, ऑटोमोटिव असेम्बली आदि, साथ में वातानुकूलित क्लासरूम और संकाय रूम तथा पुस्तकालय क्षेत्र है। भवन का उदघाटन किया जाना है परंतु इसमें कामकाज शुरू किया जा चुका है।

(iv) उक्त सुविधा के साथ संकाय हेतु आवासीय सुविधा के अलावा 150 प्रशिक्षुओं के लिए 25000 वर्गफुट से अधिक आकार की गेस्ट बिल्डिंग और कैंटीन है।

(v) एनएटीआईएस ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ मैकेनिक्स प्रशिक्षण संस्थान के लिए और ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्रमशः 30 मार्च, 2012

और 6 नवंबर, 2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(vi) फ्लैट रोड ट्रेनिंग ट्रैक्स 2010 में पूरे कर लिए गए और इनका उदघाटन अभी किया जाना है परंतु प्रशिक्षण पहले से आरंभ किया जा चुका है।

III. चेन्नई:

(i) तीन पीडब्ल्यूटी एमएसीडी प्रयोगशालाएं पूरी की जा चुकी हैं और अप्रैल 2011 में प्रचालन शुरू कर दिया है।

(ii) एफएटी2 पैकेज जिसमें ईडी शैकर शामिल है और जलवायु चैम्बर दिसंबर 2012 से प्रचानल में है।

(iii) परीक्षण ट्रैक्स कार्य प्रगति पर है।

(iv) प्रयोगशाला भवन, नामतः एडवांस्ड पेस्सिव सेफ्टी प्रयोगशाला, फ़टीग प्रयोगशाला बिल्डिंग, ईएमसी प्रयोगशाला बिल्डिंग और पावर ट्रेन प्रयोगशाला बिल्डिंग के अक्तूबर 2013 में पूरा होने की आशा है।

(v) गैर–तकनीकी भवन 2011 में पूरे हो गए और इन्हें सौंपे जाने का काम प्रगति पर है और मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा।

IV. इंदौर:

(i) मध्य प्रदेश सरकार ने पीथमपुर में 4140 एकड़ ज़मीन भारी उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दी है।

(ii) भवन निर्माण कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण में है।

(iii) साइट पर चेसिस डायनामोमीटर, केएंडसी मशीन जैसे उपकरण सुपुर्द कर दिये गये हैं और अन्य उपकरण जैसे कि स्टियरिंग टैस्ट रिग, इलास्तोमर टैस्ट रिग, शॉक एब्जार्बर टैस्ट रिग, एग्ज़ास्ट गैस एनालाइजर आदि निर्माणाधीन हैं।

(iv) मात्रात्मक विभिन्नता और लागत वृद्धि के अनुमोदन के कारण ट्रैक निर्माण कार्य लंबित है।

V. एआरएआई पुणे

(i) वन भूमि के इस्तेमाल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

(ii) वोक्सवैगन इंडिया प्रा. लिमि. से वैकल्पिक भूमि (55000 वर्ग मी) उप लीज़ पर प्राप्त कर ली गई है। इसे एमआईडीसी ने मई 2011 में स्वीकृत कर दिया था और इस भूमि का कब्जा एआरएआई ने प्राप्त कर लिया है। भवन योजना और साइट लेआउट के लिए एमआईडीसी से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त हो जाने की आशा है।

(iii) एफएटी2 पैकेज, जिसमें ईडी शेकर और जलवायु चैम्बर शामिल है, जनवरी 2013 से प्रचालन में है।

VI. वीआरडीई, अहमदनगर:

(i) नेट्रिप के तहत वित्तपोषित नई ईएमसी प्रयोगशाला पूरी हो चुकी है और वाहनों के परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ii) एबीएस टैस्ट ट्रक्स अप्रैल 2012 से चालू कर दिये गये हैं।

VII. रायबरेली:

(i) दुर्घटना डॉटा विश्लेषण केंद्र फरवरी, 2011 में चालू किया जा चुका है। एडीएसी, रायबरेली में दुर्घटना विश्लेषण एवं कौशल विकास पर एक प्रायोगिक परियोजना संचालित करने के लिए आईआईटी, दिल्ली के साथ एक समझौता करने का भी प्रस्ताव है।

(ii) उत्तर प्रदेश के छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिले में त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यूपीएसआईडीसी की जमीन की शेष एनसीवीआरएस सुविधाओं की स्थापना हेतु पहचान की गई है और भूमि के प्रापण की प्रक्रिया चल रही है।

अनुसूची–नेट्रिप सुविधाओं की तैयारी

सुविधा	एआरएआई, पुणे	वीआरडीई, अहमदनगर	आईसीएटी, मानेसर	जीएआरसी, चेन्नई	नेट्रेक्स, इंदौर	एनआईएआईएमटी, सिल्चर	एनसीवीआरएस, रायबरेली
पैसिव सेफ्टी लैब	मार्च 2014	....	जून 2013	दिसंबर 2013	...	....	....
पावर ट्रेन लैब	मार्च 2014	....	जुलाई 2014	अक्तूबर 2014	सितंबर 2013	....	
ईएमसी लैब	....	जनवरी 2009 पूर्ण	दिसंबर 2013	मार्च 2014	...	....	.....
फटीग एवं प्रमाणन लैब	फरवरी 2014	....	दिसंबर 2013	दिसंबर 2013	...	....	
परीक्षण ट्रैक्स	....	अक्तूबर 2012	दिसंबर 2013	चर्चा होनी है	चर्चा होनी है	....	
माडल आईएंडएम मैकेनिक्स प्रशिक्षण केंद्र	....	....	.....	....	....	धोलचोरा परिसर पूर्ण–सितं 2008 मार्च 2012	...
एनवीएच लैब	चर्चा की जानी है	.....	चर्चा की जानी है	.....	....	.....	.....
दुर्घटना डाटा विश्लेषण केंद्र	.....	.....	.....	.....	.....	.....	सितबंर 2010: पूर्ण
सीएडी / सीएई	.....	.....	दिसंबर 2013	दिसंबर 2013	दिसंबर 2013	.....	.....
इन्फोट्रोनिक्स	.....	.....	दिसंबर 2013	दिसंबर 2013	.....	.....	.....
वाहन डायनामिक्स	.....	.....	.....	.....	अगस्त 2013	.....	.....

5.3.1 आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

पुणे, महाराष्ट्र, भारत के पश्चिमी भाग में सुरम्य स्थलों के बीच स्थित और करीब 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में विभिन्न परीक्षण सुविधाएं हैं।

एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना 1996 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में भारतीय वाहन एवं ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं और भारत सरकार ने की है। एआरएआई भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से संबद्ध और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ 9001–2008, आईएसओ 14001–2004 और ओहसास 18001–2007 संगठन है और अपनी प्रमुख प्रमाणन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड (एनएबीएल) से भी मान्यता प्राप्त है।

एआरएआई 1860 के 21 वें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है और प्रमुख ऑटोमोबाइल तथा सहायक विनिनिमाता इसके सदस्य हैं। शासकीय परिषद में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से सदस्य और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एआरएआई सुरक्षित, कम प्रदूषण करने वाले और अधिक दक्ष वाहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और व्हीकुलर विनियम तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। एआरएआई की अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रायोजित और आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के साथ साथ होमोलोगेशन गतिविधियों के लिए विस्तारित उपयोग किया जा रहा है।

एआरएआई के पास 562 (प्रशिक्षुओं सहित) अनुभवी और सुप्रशिक्षित मज़बूत मानव संसाधन हैं जिनमें से 447 तकनीकी हैं। इनमें से अधिकतर को विदेशों में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5.3.2 कार्यनिष्पादन

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एआरएआई की कुल आय ₹ 147.51 करोड़ थी जिसमें से प्रचालन आय ₹ 135.37 करोड़ थी। इस वर्ष 30 सितंबर 2012 तक कुल आय ₹ 65.74 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कुल संभावित आय ₹ 165.90 करोड़ है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान खोले गए कुल प्रकृति अनुमोदन मामले 1492 थे। इस वर्ष 30 सितंबर 2012 तक कुल 938 मामले खोले गए हैं।

डिविजन (एआरएआई–एफआईडी), एआरएआई का एक प्रभाग है। यह चाकन, पुणे में फोर्जिंग उद्योग के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजना के तहत स्थापित आर एंड डी, परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र है। एआरएआई, एफआईडी फटिग एवं धातुकर्मीय परीक्षण, फोर्जिंग, प्रोसेस सिमुलेशन और प्रशिक्षण संबंधी क्षेत्रों में सेवाएं मुहैया कराता है। वर्ष 2011–12 के दौरान, एआरएआई–एफआईडी में फटिग लाइफ मूल्यांकन, अवशिष्ट तनाव विश्लेषण, फोर्जिंग सीमुलेशन और विफलता विश्लेषण संबंधी परियोजनाओं का निष्पादन किया गया। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, दक्षता सुधार कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 464 औद्योगिक व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया गया। एआरएआई–एफआईडी को "हॉट फोर्जिंग सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना और प्रॉपर्टीज पर विरूपण तापमान का प्रभाव" विषयक उप परियोजना वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है।

5.3.3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत, एआरएआई उद्योग की संगत और वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित करता है जिनमें भवन सक्षमता और प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण शामिल है। वर्तमान में संचालित की जा रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	चार पहिया ऑटोमोटिव वाहनों के पहिया बलों का मापन और ग्राहकों के उपयोग पैटर्न के साथ उनके संबंध का अध्ययन	दिसंबर 2012
2.	भारतीय सड़क स्थितियों के तहत वाहन प्रणाली ड्यूटी चक्र / प्रचालन पद्धति का अध्ययन	दिसंबर 2012
3.	गर्म गढ़ी हुई सामग्रियों के सूक्ष्म ढांचे और प्रोपर्टीज पर तापमान संबंधी विकारों का प्रभाव	जून 13
4.	लाइट वेट सिटी बस के लिए डिज़ाइन दिशानिर्देशों का विकास (#)	मार्च 13
5.	ईवी और एचईवी अनुप्रयोग के लिए ऑफलाइन और रियल टाइम सिमुलेटर का विकास (#)	मार्च 14
6.	उच्च कार्यनिष्पादन 3 सिलेंडर सीआरडीआई यूरो 4 डीजल इंजन का डिज़ाइन और विकास	मार्च 13
7.	आईएसओ 26262 के अनुरूप ऑटो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम के डिज़ाइन और मूल्यांकन के लिए सक्षमता विकास	अप्रैल 13
8.	एलसीवी अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पारेषण का विकास	नवं 13
9.	वर्चुअल और प्रायोगिक क्षेत्र में 3डी रोड प्रोफाइल्स का प्रयोग करते हुए स्थायित्व और राइड के मूल्यांकन हेतु सड़क वाहन इंटरेक्शन विश्लेषण अध्ययन	मई 14
10.	गैसोलीन डायरेक्ट इंलेक्शन ईसीयू नियंत्रण रणनीतियों का विकास	अगस्त 14
11.	अंतर–शहर सार्वजनिक परिवहन अनुप्रयोग हेतु प्रोटोटाइप ईवी क्वाड्री–साइकल का निर्माण	अगस्त 15

ये भारी उद्योग विभाग द्वारा सौंपी गई कंसोर्टियम परियोजनाएं हैं जिनमें एआरएआई की प्रमुख भूमिका है।

एआरएआई सतत रूप से नई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और वर्तमान उपकरणों के उन्नयन के जरिए अपनी सक्षमताओं और प्रौद्योगिकियों में विस्तार कर रहा है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के संबंध में वर्द्धित और उन्नत की गई विभिन्न सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

इलेक्ट्रो–डायनामिक वाइब्रेशन शॉकर प्रणाली

हीड रिस्ट्रेंट परफारमेंस टैस्ट रिग

अनुप्रयोग आधारित टैलीमीट्री प्रणाली

ऑन बोर्ड उत्सर्जन मापन प्रणाली

5.4 फ्लूइड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल

5.4.1 फ्लूइड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) सेवाओं और समाधान से जुड़ा प्रवाह मापी प्रमुख संस्थान है। एफसीआरआई स्थित प्रवाह केंद्र में प्रवाह मापन के लिए अनुमार्गणीय अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जहां दुनिया के प्रवाह परीक्षण सुविधा के सबसे विस्तृत सेट हैं और भारत में उद्योग को अनोखे साधन प्रदान करते हैं। अंशशोधन, मूल्यांकन और अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं।

5.4.2 तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रोसेस/विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि के साथ संयुक्त उद्योग परियोजनाओं के जरिए और प्रवाह मापन से संबंधित विषयों पर नियमित संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करके घनिष्ठ संबंध कायम किया है।

5.4.3 संस्थान प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी संचालित करता है और अब तक उसने करीब 141 परियोजनाएं पूरी करके इसे एक विशेष अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थान बना दिया है जो निजी और सार्वजनिक संगठनों की अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं जैसे परामर्श कार्य, परीक्षण, प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। संस्थान प्रवाह मापन उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संगठन के तौर पर कार्य करता है। यह आईएसओ 9000/आईएसओ 17025 श्रृंखला मानकों के अनुसार गुणवत्ता की पुष्टि करने का काम करता है। एफसीआरआई को अपनी सुविधाओं के लिए निम्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राधिकृत किया गया है:–

- फ्लूइड प्रवाह मापन (अंशांकन और परीक्षण), मैकेनिकल मापन और इलेक्ट्रिकल–थर्मल मापन के क्षेत्र में एनएबीएल प्रमाणन।
- एनएमआई, नीदरलैंड ने प्रमाणित किया है कि एफसीआरआई की क्लोज्ड लूप एयर टेस्ट सुविधा (सीएलएटीएफ–20 बार, 400 एम3/एच) में गुणवत्ता प्रणाली, अंशांकन और प्रवाह मापन आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए अंशशोधन प्रयोगशाला के मानदंड का पालन करती है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने बीआईएस प्रमाणीकरण मार्क योजना के अंतर्गत उत्पादों के नमूने परीक्षण करने के लिए एफसीआरआई को प्राधिकृत किया है।
- डीएसटी और डीएसआईआर ने प्रवाह मापन के लिए एफसीआरआई को अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में मान्यता दी है।
- माप एवं तोल विभाग, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (भारत सरकार) ने ओआईएमएल मानकों के अनुरूप तेल एवं गैस कस्टडी ट्रांसफर के लिए हाईड्रोकार्बन उद्योग के लिए मात्रा मापन उपकरणों और प्रवाह मीटरों के "आदर्श अनुमोदन" के लिए मान्यता प्रदान की है।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर ने संरक्षा राहत वाल्वस के परीक्षण के लिए एफसीआरआई को अनुमोदित किया है।

- अंडरराइटर्स लैबोरेट्री, अमरीका ने एफसीआरआई को फायर फाइटिंग उपकरणों और उत्पाद संरक्षा प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित किया है।
- विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय (कोलंबो योजना) ने एफसीआरआई को विदेशी नागरिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए अधिकृत किया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट शोर की सीमा का पालन करने की टाइप मंजूरी के लिए एफसीआरआई को मंजूरी दी है।
- आईएसओ 9001 : 2000 के लिए जीसीएएस गुणवत्ता प्रमाणीकरण।

5.5 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ अन्य मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.5.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

भेल के उत्पाद और प्रणालियां प्रौद्योगिकी सघन हैं और एक संपूर्ण इंजीनियरिंग उद्यम बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में इसमें अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास को कार्यनीतिक महत्व प्रदान किया जाता है।

इसके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उच्च स्तर विश्व की प्रमुख कंपनियों से कुछेक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण और अनुकूलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अनुपालना के कारण है। इन कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अलस्टोम एसए, सीमैन्स एजी और मित्सुबिशि हैवी इंडस्ट्रीज लिमि शामिल हैं। साथ ही इसके अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों का भी योगदान है।

2011–12 के दौरान कुल 351 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किये गये और वर्तमान वर्ष में सितंबर 12 तक 207 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किये गये हैं।

भेल ने निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2011–12 के दौरान 4 नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है:

(i) उन्नत फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी

(ii) कोयला अनुसंधान

(iii) नैनो टेक्नोलोजी अनुप्रयोग

(iv) जीआईएस विकास के लिए यूएचवी प्रयोगशाला

इसके साथ ही नए उत्पाद विकास, प्रोसेस विकास और वर्तमान उत्पादों में जीवन चक्र/दक्षता वृद्धि पर केंद्रित कुल तेरह उत्कृष्टता केंद्र प्रचालन में हैं।

कार्पो. आरएंडडी में स्थापित यूएचवी परीक्षण प्रयोगशाला

वर्ष 2011–12 के दौरान भेल ने अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 1198.82 करोड़ का निवेश किया है जो कि पिछले वर्ष से 22 प्रतिशत अधिक है। अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2011–12 के दौरान कुछेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

- भेल ने वर्तमान 270 मे.वा. रेटिंग पर हीट रेट में 3 प्रतिशत के सुधार के साथ 300 मे.वा. थर्मल सेटों की नई रेटिंग शुरू की है जिससे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल विद्युत उत्पादन हो सकेगा।

- राष्ट्र के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित विद्युत संयंत्र के लिए, संयंत्र के सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहली बार नई प्रणाली जैसे कि ओजीडीएचआर ओपरेशन ग्रेड डिके हीट रिमूवल सिस्टम और एसजीटीएसडीसी (स्टीम जनरेटर ट्यूब साइड डिप्रेशराइजेशन सर्किट) आदि विकसित की गई है।

- 660 मे.वा. सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए मेन स्टीम स्टॉप के लिए एक स्वदेशी डिजाइन एवं विनिर्माण क्षमता स्थापित की गई है। 600 मे.वा. परियोजनाओं के लिए इकानोमाइज़र इनलेट लाइन तथा 660 मे.वा. सुपरक्रिटिकल बायलर्स की वाटर स्टोरेज डाउन कोमर लाइनों के लिए वाल्व खोलने के दौरान अचानक प्रेशर सर्ज की देखरेख के लिए स्विंग चैक गैर वापसी वाल्व का लागत प्रभावी नया डिजाइन वेरिएंट भी विकसित किया गया है।

- सोलर पीवी प्रणाली की लागत में सुधार करने के अपने सतत प्रयासों में बीएचईएल ने उच्चतर पहलु अनुपात (ग्रिड लाइन ऊंचाई/ग्रिड लाइन चौड़ाई) हासिल करने के लिए सोलर सैल्स के लिए एक आप्टिमाइज़्ड प्रिंटिंग प्रोसेस विकसित किया है जिसके परिणामस्वरूप 227 वाट से 240 वाट तक बढ़ी हुई पीवी मॉड्यूल आउटपुट के साथ 18 प्रतिशत की अब तक की सबसे ऊंची सोलर सैल कन्वर्जन दक्षता प्राप्त की जा सकी है।

- फैब्रिकेशन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के इसके प्रयासों के तहत बीएचईएल ने फॉसिल बायलर्स के री–हीटर काइल्स और कम तापमान सुपर हीटर कोइल्स (एलटीएसएच) में प्रयुक्त 'मेन्युफैक्चर ऑफ बाइफरकेट कम्पोनेंट्स' के लिए वैल्डिंग प्रक्रिया को स्वचालित किया है। स्वचालित प्रक्रिया से उत्पादकता में वृद्धि हुई है और दोष दर में कमी आई है।

- अपने ग्राहकों को उन्नत उत्पाद जीवन के तौर पर कोल नोज़ल टिप्स के लिए सिरेमिक की एक लागत प्रभावी नई किस्म, जिसमें बेहतर थर्मल शॉक रेसिसटेंस है, भारत में पहली बार विकसित की गई है। इन लाइनर्स ने नोज़ल टिप्स के जीवन में वृद्धि की है और इन्हें 660/800 मे.वा. सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्रों में तैनात किया जाएगा।

- बाज़ार में ऊर्जा दक्ष उत्पादन शुरू करने के वास्ते भेल ने घरेलू ज्ञान आधार के साथ कंडेन्सेट एक्सट्रैक्शन पंप की नई उत्पाद किस्म का विकास और परीक्षण किया है। ये 270/300 मेवा रेटिंग के लिए प्रस्तुत किए जा रहे पंप की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक दक्ष है।

- भेल ने चक्र के समय को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से चरणबद्ध सारणी की है जोकि उच्च दवाब से ट्यूब वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए गैर–विनाशकारी परीक्षण (एडीसी) तकनीक है। इस तकनीक के कई फायदे हैं जैसे उन्नत उत्पादकता, एनडीटी के चक्र समय में कमी और उच्च विश्वसनीयता।

- वियर रेसिसटेंट कोटिंग की गुणवत्ता की जांच के लिए भेल ने कोटिंग में करैक्ट्राइजिंग और भूतल दोषों का पता लगाने के लिए ''पल्सड थमोग्राफी टेक्नोलोजी नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीक विकसित की है।

- भेल ने हाइड्रो टरबाइन संघटकों के लिए सिल्ट रेसिसटेंट लेअर के अनुप्रयोग हेतु तैनात किये जाने वाले ''प्लाजमा नाइट्रो काबुराइजिंग नामक नई प्रक्रिया की स्थापना की है जो कि भारतीय हिमालय में खेती और मिट्टी कटाव के संयुक्त प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित होती हैं।

प्लाज़्मा नाईटराईडिंग प्रणाली कॉरपोरेट आर एण्ड डी, हैदराबाद

- कार्पोरेट आरएंडडी, हैदराबाद में प्लाज़्मा नाइटराइडिंग प्रणाली

- कार्बन डाई ऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य से भेल ने एक मैम्ब्रेन कान्ट्रैक्र सिस्टम स्थापित किया है जिसमें नोवेल आब्जर्बेंट के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए मेम्ब्रेन का विकास शामिल है। इस विकास के जरिए प्रयोगशाला स्तर पर 99 प्रतिशत से अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड को कैप्चर करने बात हासिल कर ली गई और इसे बढ़ाकर आईजीसीसी संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- भेल ने लाइट साइकल ऑयल (एलसीओ) और रिफाइनरी गैस को संयुक्त ईंधन के रूप से इस्तेमाल करते हुए गैस टरबाईन जनरेटर प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित की है और इसे सेवा में (जीटीजी) लगा दिया है। एलसीओ और रिफाइनरी गैस के संयोजन का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जीटीजी को पूर्ण गति कोई लोड नहीं (एफएचएण्डएल) आधार एक साइट पर संचालित किया गया।

- भेल ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों के विकास के लिए प्रयोगशाला स्तर पर पानी और तेल आधारित नैनो फ्लूइड के विकास, उत्पादन और परीक्षण के लिए नई प्रक्रिया स्थापित की है। इस विकास कार्य में नैनो फ्लूइड से संबंधित सभी मुद्दों का अध्ययन शामिल है जो कि नैनो पार्टिकल्स बेस फ्लूइड का प्रभाव, विभिन्न विश्लेषणात्क तकनीकों से पृथक्कीकरण, प्रोसेसिंग पद्धतियां आदि शामिल हैं।

- भेल ने सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स के जरिए मल्टी–लोब एरोफोइल डक्ट हेतु डिजाइन प्रकिया का ऑटोमेशन पूरा कर लिया है। इन घरेलू ऑटोमेशन विकास कार्य से मानवीय गलतियां दूर हुई हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग मानव घण्टों और डिजाइन साइकिल समय में बचत हुई है।

- एक लागत प्रभावी ''600 मे.वा. विद्युत संयंत्र के लिए उच्च दबाव फीड वाटर हीटर'' का कम विनिर्माण चक्र समय के साथ विकास, विनिर्माण और सफल परीक्षण किया गया। पहली बार हुए इस विकास कार्य में थर्मल, वाइब्रेशन विश्लेषण, मैकेनिकल डिजाइन के साथ–साथ सभी प्रचालन स्थितियों के लिए डिजाइन सत्यान का काम एएसएमई, एचईआई, टीईएमए और आईबीआर विनियमों की अपेक्षाएं पूरा करने वाले घरेलू विकसित साफ्टवेयर कार्यक्रमों का प्रयोग करते हुए किया गया।

- 660 मे.वा., 700 मे.वा. और 800 मे.वा. के सुपर क्रिटिकल बायलर री–हीटर आउटलेट अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित एक नये उत्पाद 'स्प्रिंग लोडिड सेफ्टी वाल्व'' का विकास किया गया है। नई रेटिंग सेफ्टी वाल्व की प्रवाह क्षमता के लिए आईबीआर की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। इस डिज़ाइन ने वर्तमान में आयात किये जा रहे वाल्व का स्थान ले लिया है।

- बेस फ्रेम डिज़ाइन के साथ स्पलिट केसिंग डिजाइन की रिप्लेसमेंट, टैपड रोटर सब स्लाट की शुरूआत, 60 मे.वा. तक के जनरेटरों के लिए फ्रेम आकार के लिए लागू टीएआरआई 860–33पी फ्रेम आकार में जनरेटर की फिटिंग जैसी नई उत्पादन

डिजाइन अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए ओवरहैंड ब्रशलैस एक्साइटर के साथ लाइट वेट और लागत प्रभावी 67.5 मे.वा. 3000 आरपीएम एअर कूल्ड टर्बोजनरेटर का विकास किया।

- भेल द्वारा डिजाइन किये गये ''इलेक्ट्रो–हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम'' के साथ 110 मे.वा. (स्कोडा डिज़ाइन) से 120 मे.वा. (सीमैन्स डिज़ाइन) तक स्टीम टरबाईन की रीफर्बिशमेंट और अप–रेटिंग'' को पूरा किया गया और चालू किया गया। इलेक्ट्रो–हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम की शुरूआत से सरल प्रचालन, तेल लीकेज में कटौती, सिस्टक के बेहतर ट्रांजिएंट रिस्पांस (एक तिहाई) प्राप्त किया जा सका।

- मेटसो डीएनए प्लेटफार्म पर 500 मे.वा. यूनिफाइड सीएंड आई डीसीएस की इंजीनियरिंग के जरिए ''डीसीएस विद मेटसो डीएनए टेक्नोलॉजी'' को डिजाइन और विकसित किया गया जिसमें कंट्रोल लॉजिक्स और स्टीम जनरेटर, टरबाईन सीएंडआई, स्टेशन सीएंडआई के कंट्रोल और परमाणु विद्युत संयंत्र की महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करते हुए 500 मे.वा. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए कॉमन डीसीएस प्लेटफार्म पर यूनिफाइड ऑटोमेशन के तौर पर विभिन्न फंक्शनल समूहों में शामिल सहायक बॉयलर कंट्रोल्स सम्मिलित हैं।

- एक बार बॉयलर के जरिए, 4 एलपी हीटर, 3एचपी हीटर, सीरिज कंडेंसर साथ में डुप्लेक्स प्रकार हीटर्स, एचपी टरबाइन से टोप एचपी हीटर के लिए एक्सट्रैक्शन और डीसेक्रेटर के लिए एक्सट्रैक्शन और आईपी टरबाईन से बीएफपी के साथ पूर्णतः नए चक्र के डिजाइन के जरिए एएसएमई'पीटीसी–6 के साथ 800 मे.वा. सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजैक्ट के लिए हीट रेट की खपत के लिए पीजी परीक्षण योजना विकसित की और इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग चक्र समय में कमी आई।

- वैल्डिंग के दौरान आर्क के अधिकतम पेनेट्रेशन प्राप्त करने के लिए स्टेनलैस स्टील के लिए एक्टिवेटिड फलक्स टीआईजी (ए–टीआईजी) वैल्डिंग प्रोसेस के लिए एक नोवल फलक्स मैटीरियल विकसित किया गया। इस विकास ने बट ज्वाइंटों के लिए अपेक्षित एज की तैयारी की जरूरत को समाप्त कर दिया, चक्र समय और विद्युत खपत और तार खपत में कमी आई।

- "सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र अनुप्रयोग के लिए उच्च तापमान एलायज की क्रीप माडलिंग" के लिए तकनीक का विकास किया। इस विकास के साथ भेल ने सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए आईएन 617, सुपर 304एच और आईएस625 जैसे नए सुपर एलायज के लिए माडल आधारित समान कांटिनुम डेमेज मशीनें विकसित करने के लिए क्षमता का का निर्माण कर लिया है।

- हाइड्रो परियोजनाओं में अल्प क्लीयरेंस अनुरक्षित करते हुए परिवहन और न्यूनतम डिफलेक्शन के संबंध में भार सीमांकन (50 टन से कम) की अपेक्षा को पूरा करते हुए अत्याधुनिक साफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हुए ''स्फेरिकल वाल्व असेम्बली का संरचनात्मक डिज़ाइन'' का इण्टलम उपयोग।

- एचवीडीसी परियोजना के लिए ''एचवीडीसी थाइरिस्टर मॉडयूल के लिए करंट टैस्ट हेतु कंट्रोलर'' विकसित। इस कार्य में मैक्स डीएनए कंट्रोलर, पल्स जनरेशन सर्किट, पल्स ट्रांसफार्मर के प्रावधान और थाईरिस्टर मॉडयूल के अंतरापृष्ठ के लिए इंटरपोजिंग रिलेज और अधिकतम 9 लेवल थाईरिस्टर माडयूल के परीक्षण की करंट साइक्लिंग परीक्षण सुविधा के लिए कूलिंग सिस्टम के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर का विकास करना शामिल है।

- थिन फिल्म सोलर सैल एप्लीकेशन्स के लिए सीआईएस/सीआईजीएस नैनो लिंक'' पहली बार विकसित किया गया। इस कार्य में ''कोपर–इनडियम–डी–सेलेनाइड (सीआईएस और कॉपर इंडियम डी–सेलेनाइड (सीआईजीएस) नैनो इंक'' का सोलर सैल के लिए एब्जार्बर लेअर मैटीरियल के तौर पर विकास करना शामिल है।

- औद्योगिक खण्ड के लिए 150 मेवा भाप टरबाईन के लिए ऑयल कूलर के साथ अधिक विश्वसनीय, कम्पैक्ट और लागत प्रभावी एकीकृत उच्च दबाव आयल आपूर्ति यूनिट को डिज़ाइन किया गया साथ में आयल कूलर्स के लिए अपेक्षित अलग थलग फाउण्डेशन, कूलर्स के बीच पाइपिंग व्यवस्था और रिडयूस्ड फुट प्रिंट और ईएंडसी साइकल टाइम फॉर आयल कूलर्स शामिल है।

- केएन श्रृंखला 150 मे.वा. टरबाईन्स के एचपी और आईपी इनलेट के लिए बिल्ट–इन स्टीम स्ट्रेनर्स के साथ वाल्व के नए कम्पैक्ट डिज़इान का विकास। इंजीनियरिंग कार्य के परिणामस्वरूप न केवल अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी एकीकृत प्रणाली तैयार हुई बल्कि स्ट्रेनर के लिए अपेक्षित अलग हाउसिंग का निर्माण, स्ट्रेनर बाडी के लिए अपेक्षित दबाव परीक्षण और विनिर्माण चक्र समय में कमी तथा अलग स्ट्रेनर से संबद्ध ईएंडसी चक्र समय शामिल है।

- ''50 केडब्ल्यू स्थाई चुम्बक आधारित फ्रीक्वेन्सी कन्वर्टर'' नामक एक नए उत्पाद का विकास किया। पहली बार विकसित किये गये इस काम में प्रथम सिद्धांत से लेकर पीएम मशीन का संपूर्ण डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी तक का कार्य और आकार एवं भार कटौती हासिल करने, अनुरक्षण मुक्त और रिडयूस्ड वाइब्रेशन और शोर के स्तर तक, जो कि रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित होता है, अधिकतम तौर पर डिज़ाइन आप्टिमाइजेशन हासिल किया गया।

5.5.2 2012–13 में मार्च 13 तक नियोजित विकास

- एसपीवी पावर प्लांट के लिए कंट्रोल एवं इंस्ट्रयुमेंटेशन का विकास

- एडवांसड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल बायलर मैटीरियल्स (आईएन617, सुपर 304एच, हेयन्स 230) के लिए होट वायर टिग वैल्डिंग टेक्नोलॉजी का विकास

- विष्णुगाद पिपल कोटली एईपी (4x111 मेवा) के लिए उपयुक्त फ्रांसिस टरबाईन मॉडल का विकास।

- सेलेक्टिव एमिटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सिलिकान सौलर सैल्स, बड़ा क्षेत्र, उच्च दक्षता (>18%) का विकास

- 156 एमएम मोनो क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन सोलर सैल्स के 120 नगों का इस्तेमाल करते हुए 500–डब्ल्यूपी पीवी मॉड्यूल का डिज़ाइन और विकास

5.5.3 भेल में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

(1) सेरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीटीआई), बेंगलूरु

इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सेरामिक उद्योग की अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने और उन्नत सेरामिक्स के नए उत्पाद विकसित करना है। सीआईटी में अनुसंधान के क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलाजी, सेप्रेशन टेक्नालोजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, संयंत्र संबंधी अन्वेषण और विशेष परियोजनाएं शामिल हैं। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, सं. रा. अ. और एनआईएफएस, जापान के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करता रहा है। सीटीआई में कुछ मुख्य विकास हैं, कोर्डिएराइट किल्न फर्नीचर, सेरामिक आर्मर, उत्प्रेरक कन्वर्टर के लिए सेरामिक हनीकॉम्ब डीजल विविक्त पदार्थ फिल्टर और सेरामिक प्रेषण माध्यम। प्रमुख संचालित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में

औद्योगिक पानी शोधन के लिए पोरस सिरेमिक्स, गैस पृथक्कीकरण और पार्टिकुलेट के लिए मेम्ब्रेन्स, कम्पोजिट इन्सुलेटर्स साथ में नैनो–एडीटिव्स और नैनो मैटीरियल सिंथेसिस, इंटेग्रल कूलर्स के साथ सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स की फैब्रिकेटिंग की नई प्रक्रियाएं शामिल हैं। सीटीआई ने नैनो–साइज़्ड और पोरस सिरेमिक पाउडर्स के लिए गैस–फायरड स्प्रे पाइरोलिसिस प्रणाली और सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स के लिए ब्रस्ट स्ट्रैंथ परीक्षण सुविधा की भी स्थापना की है।

कई विकासात्मक परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरणार्थः माइक्रोवेव प्रोसेसिंग से बड़ी मात्रा में स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर्स और सिंटरिंग की ड्राईंग, नोवेल मैटीरियसल्स और सीओ2 कैप्चर के लिए मैम्ब्रेन्स का विकास।

(2) विद्युत परिवहन केंद्र (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परियोजना जुलाई, 1988 में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अनुमोदित की गई थी। केंद्र की दक्षता विद्युतीय चालित वाहनों का कार्य निष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता सुधारने के लिए उनकी डिजाइन के सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए विकसित की गई है।

इसकी कुछ उपलब्धताओं में अंगोला के लिए केप गेज डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, एसीईएमयू के लिए 3 चरण आधारित ड्राइव्स के लिए ट्रैक्शन मोटर्स पर टाइप परीक्षण, एमजी डीईएमयू की संयुक्त प्रणाली परीक्षण, मध्य रेलवे के लिए 1500 वोल्ट डीसी/25 केवी एसी दोहरी वोल्टता वाले ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3–फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, संयुक्त प्रणाली परीक्षण–आईजीबीटी आधारित 700 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, भारतीय रेल के लिए 4000 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए आयात स्थानापन्न ट्रैक्शन अल्टरनेटर का परीक्षण।

(3) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन शीर्ष एजेंसी के रूप में भेल के हरिद्वार संयंत्र में की गई थी। पीसीआरआई का उद्देश्य जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में पर्यावरण और प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। संस्थान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशाला के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां जैसे कि पौध प्रजातियों के चयन के जरिए व्यापक हवा से धूल का फाइटोरेमेडिएशन, भारत में धार्मिक स्थानों के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार करना, गंगा और शिप्रा नदियों में कुंभ मेलों के समय हरिद्वार और उज्जैन में महा स्नान का प्रभाव, चयनित खण्डों में गंगा और पश्चिमी यमुना नहर के लिए नदी जल गुणवत्ता का मूल्यांकन, ताप विद्युत संयंत्रों से भारी धातु उत्सर्जन का मूल्यांकन आदि के संबंध में काफी संख्या में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित की हैं। इस समय उसके हाथ में जो प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजना हैं उनमें ताप विद्युत संयंत्रों से एफ्ल्युऐंट्स के पृथक्कीकरण और सूक्ष्म–जैविकीय विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नदी के पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन, पलायक उत्सर्जन का मूल्यांकन और ताप विद्युत संयंत्रों में पलायक उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है। पूर्व में पीसीआरआई द्वारा राज्य/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रमुख उद्योगों के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण के एक भाग के तौर पर संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन, वायु

गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन, नगर ठोस कचड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीसीबी के साथ मिलकर संचालित किये गये हैं।

संस्थान ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और तेल टर्मिनलों आदि जैसी बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्षों जारी रहने वाली समग्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पीसीआरआई भेल द्वारा आपूर्ति किये गये पूर्ण पैकेज के भाग के तौर पर विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय और रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापनाके काम में भी सक्रियता के साथ संलग्न है। हाल में पीसीआरआई ने बेल्लारी–1 यूनिट और सांतलडिह यूनिट–5 के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित जो आर्डर उसके हाथ में/निष्पादनाधीन हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:– चंद्रपुर यूनिट–7 और 8, मेजिया फेस–2, जीआईपीसीएल, डीएसटीपीएस, दुर्गापुर, हज़ीरा, कोडरमा, अनपाड़ा डी, पिपापाव, ओटीपीसी, नार्थ चेन्नई और अवंथा भण्डार

(4) वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई) तिरुचिरापल्ली

देश में अपने किस्म का केवल एक वेल्डिंग अनुसंधान केंद्र (डब्ल्यूआरआई) पारम्परिक आर्क वेल्डिंग के लिए सुविधाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और लेजर बीम फलैश बट, फ्रीक्शन और प्लाज्मा वेल्डिंग जैसी अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाओं से सज्जित है। इसके अतिरिक्त, इसके पास थकान परीक्षण, अपशिष्ट दबाब मापन, अवशिष्ट अवधि अनुमान आदि के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं हैं। यह संस्थान इसरो, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों को सेवाएं प्रदान करता रहा है। संस्थान वैल्डिंग से संबंधित क्षेत्रों में विकासों को परस्पर बांटने और प्रचारित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशनों/संगठनों, प्रमुख ग्राहकों और शोधकर्ताओं के साथ निकट संपर्क रखता है। यह वैल्डर्स के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। संस्थान केंद्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार के अनुरूप वैल्डर्स के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक अनुमोदित केंद्र है। संस्थान वैल्डिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण में कार्यरत इंजीनियर्स और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण/प्रमाणन कार्यक्रम नियमित आधार पर संचालित करता है।

डब्ल्यूआरआई द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रिंग हैडर फैब्रीकेशन के लिए प्रयुक्त एसएडब्ल्यू में कोल्ड वायर विस्तार, बायलर कम्पोनेंट्स के लिए वायर स्प्रेइंग टेक्नालोजी और एचवीओएफ का विकास, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा क्रिटिकल बायलर्स के लिए नई सामग्रियों में फैब्रिकेशन और प्रक्रियाओं का विकास, फ्रिक्शन स्टर वैल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास, एक नई "चुंबकीय संचालित आर्क बट" की स्थापना, जो कि स्वचालित वैल्डिंग प्रक्रिया है और अनियमित या गैर सर्कुलर कम्पोनेंट सर्कुलर के तौर पर संचालित होने में सक्षम है, रोबोटिक टाइम टिवन टेक्नोलॉजी का विकास, वैल्डिंग बायलर और स्थल पर टरबाईन पाइपिंग के लिए आर्बिटल जीएमएडब्ल्यू/एफसीएडब्ल्यू प्रौद्योगिकी आदि।

5.5.4 भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)

अप्रैल से सितम्बर, 2012 के दौरान संचालित की गई गतिविधियों में मैसर्स एचएएल बंगलौर के लिए तेजस विमान की श्रृंखला उत्पादन (एसपी) के लिए कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स का फैब्रिकेशन, परीक्षण और आपूर्ति शामिल है। उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 128.73 लाख़ मूल्य के सफलतापूर्वक निर्मित और परीक्षित नौ कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स की आपूर्ति मैसर्स एचएएल, बंगलौर को की गई है। उक्त अवधि के दौरान नौ प्री–कूलर जिनका

मूल्य ₹ 18.75 लाख है, का निर्माण, परीक्षण और एडीए, बंगलौर को आपूर्ति की गई। उक्त अवधि के दौरान ₹ 31.97 लाख मूल्य के दो प्लेट फाइन हीट एक्सचेंजर का विनिर्माण और परीक्षण कार्य भारी जल बोर्ड, मुंबई हेतु संचालित किया गया।

5.5.5 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

आरईआईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षा करते हुए प्रतिस्पर्द्धी सस्ते और विश्वसनीय उत्पादों/समाधानों को सुपुर्द करने के लिए वर्तमान उत्पादों/प्रक्रियाओं के उन्नयन और नए उत्पादों के अन्वेषण के जरिए ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

कंपनी ने सांगठनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम उपकरणों और सक्षमत मानवशक्ति से सज्जित अनुसंधान एवं विकास यूनिट की स्थापना की है। आरएंडडी सेंटर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पिछले दो दशकों से मान्यता प्राप्त है।

5.5.6 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान सहित विभिन्न उत्पादों की अनुसंधान और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना की है।

कंपनी में, अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और आधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने के अपने लक्ष्य के साथ अनुसंधान एवं विकास पर फ़ोकस रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, विश्वस्नीयता और मूल्य प्रतिस्पर्द्धा में ग्राहकों की आवश्यकतों के संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की जाती हैं। मुख्य ज़ोर वर्तमान उत्पादों का अतिरिक्त फीचर्स के साथ उन्नयन करना, डिजाइन आप्टिमाइजेशन और एस्थेटिक्स में सुधार पर है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई नए उत्पाद सामने आए हैं और साथ ही वर्तमान उत्पादों का उन्नयन हुआ है। एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों मे किए गए/योजनाबद्ध अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की विशिष्टता निम्नानुसार है:

एचएमटी ट्रैक्टर्स

- साइलेंट जनरेशन सेट रेटिंग 25केवीए का विकास।
- रोटावेटर का विकास–पायलट बैच पूर्ण और परीक्षण के लिए कृषि विश्वविद्यालय हिसार को प्रस्तुत
- एचएमटी ट्रैक्टर इंजनों का विकास 25–50 एचपी और 50एचपी एवं ऊपर के लिए भारत (ट्रैम) स्टेज 3ए ट्रैक्टर उत्सर्जन नियमों को पूरा करने के लिए मैसर्स एआरएआई, पुणे के साथ मिलकर किया गया।
- ट्रैक्टर अनुप्रयोग के लिए नई हाईड्रोलिक लिफ्ट का विकास किया गया।
- एचएमटी 2522 और 3522 ट्रैक्टर्स के उत्पादन परीक्षण की पुष्टि की गई।

5.5.7 एचएमटी मशीन टूल लिमिटेड

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयों में अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं हैं। अनुसंधान एवं विकास का फ़ोकस उत्पाद प्रौद्योगिकी में प्रगामी रूप से आत्म निर्भरता हासिल करना और अतिरिक्त विशेषताओं के साथ वर्तमान उत्पादों के उन्नयन पर है। इस दृष्टिकोण के परिणमस्वरूप 2011–12 के दौरान निम्नलिखित उत्पादों का विकास हो पाया है:–

- क्षैतिज मशीनिंग केंद्र एचएमसी 500 एसएलडी (एकल लिफ्ट)
- हैवी ड्यूटी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन एचसीजी 840 x 3000

- सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन स्मार्ट 150 सीएनसी
- डबल डिस्क ग्राइंडिंग मशीन पर कोन रोड की ऑटो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रोबोटिक अंतरापृष्ठ।

उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ–साथ अत्याधुनिक और प्रौद्योगिकी केंद्रित विशेष वाली उद्देश्य मशीनों के अनुरूप नए उत्पादों के घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं मूल्य इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादन की लागत में कमी लाने पर केंद्रित हैं जिससे कि उचित आयात संस्थापना उपलब्ध हो सके और उपयोगकर्ता क्षेत्रों को ऑटोमेशन अपेक्षाओं और कम लाग प्रभावी उत्पादों के साथ प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों के लिए बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सके। उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाः

- सीएनसी एंगुलर व्हील हैड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन स्विंग
- 540 एमएम एबीसीः 1000 एमएम व्हील हैड
- जार्ज स्वींग एसबीसीएलसी 80-100
- हाई स्पीड, 5–एक्सिस ड्रिल मिल सेंटर माडल डीएमसी400
- मिल टर्न सेंटर एमटीसी500

5.5.8 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

प्रत्येक विनिर्माण इकाई में नियमित रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्य संचालित किए जाते हैं। 2011–12 के दौरान कंपनी ने क्वार्टज़ खण्ड में 70 नए माडल्स विकसित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी का 75 नए मॉडल्स जारी करने का लक्ष्य है और 1 दिसंबर 2012 तक उसने 43 मॉडल्स विकसित कर लिये हैं।

5.5.9 एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

एचएमटी बियरिंग के अनुसंधान एवं विकास का फोकस रेलवे और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए नए किस्म के बेयरिंग्स का विकास करने पर रहता है। घरेलू अनुसंधान एवं विकास के जरिए कई नए किस्म के बेयरिंग्स तैयार किए गए हैं।

5.5.10 नेपा लिमिटेड

अनुसंधान और विकास कार्य ने नेपा लिमि. को एक नया आयाम दिया है। ओएनपी/ओआईएनबी की ब्लीचिंग में विभिन्न डाइंकिंग रसायनों के आरएंडडी ट्रायल्स ने न केवल चमक को सुधारा बल्कि उत्कृष्ट मशीन चलन योग्यता को बढ़ाया और नेपा न्यूजप्रिंट में ग्राहकों का विश्वास मज़बूत किया। इस पद्धति के अन्य लाभ में डिफार्मर, स्लिमिसाइड और सल्फ्युरिक एसिड जैसी गतिविधियों की खपत में बचत हुई है। नावथा जल शोधन संयंत्र में पॉली एल्युमीनियम क्लोराइड और क्लोरीन का डिस्इन्फेक्टेंट के रूप में प्रयोग किए जाने से उसका पेयजल विश्व स्वास्थ्य संगठन की शर्तों के अनुरूप होता है। एल्लम को ग्रेड'1 संयंत्र में आउटलेट पानी, जिसे प्रोसेस में पुनःशोधित किया जाता है, की टर्बिडिटी घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

5.5.11 हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

नागांव और कच्छार पेपर मिल्स में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियांः

अनुप्रयुक्त आर एंड डी गतिविधियांः

- परंपरागत अमल साइजिंग को रिप्लेस करते हुए एकेडी के साथ अल्काइन साइजिंग के संयंत्र ट्रायल।
- प्रत्यक्ष/पिगमेंट डाई के साथ बेसिक डाई को रिप्लेस करने के लिए प्रयोगशला पैमाना ट्रायल।
- फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हुए डिक्लोनाइजेशन का ई फिल्ट्रेट।
- ब्लीचिंग लागत को न्यूनतम करने के वास्ते क्लोरीन डाई ऑक्साइड के आंशिक रिप्लेसमेंट के लिए फार्मडिहाईड के उपाय

- विभिन्न चमकीली/सफेदी बढाने वाली गतिविधियों का प्रयोग करते हुए उच्च चमक/सफेदी पैदा करने के लिए प्रयोगशला/संयंत्र पैमाना ट्रायल।
- विभिन्न प्रतिशतता की लकड़ी के साथ बांस को पकाने के लिए इष्टतमीकरण अध्ययन।

5.5.12 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य किए गए:

i) डिइंकिंग रसायन के रूप में कच्चे पाम आयल की उपयुक्तता।

ii) हरे बांस की तुलना में विभिन्न भण्डार अवधियों के लिए फ्लावर्ड बांस से गोंद का पृथक्कीकरण।

iii) भण्डारण में फ्लावर्ड बांस को सड़ने से बचाने के लिए बोरिक एसिड से इलाज का प्रभाव।

5.5.13 हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (एचईसी)

कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पाद/प्रणाली विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे। कंपनी द्वारा जिन विशिष्ट क्षेत्रों में वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की गईं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- सीएनसी गहरी छिद्र बोरिंग मशीन के लिए रोटेटिंग हैड स्टॉक स्पाइंडल असेम्बली, बोतल बोरिंग सुविधा और प्रोग्रामेबल मूमैंट ऑफ स्टीडी रेस्ट का डिजाइन, विकास और विनिर्माण। मशीन ओएफसीसी, कानपुर को सप्लाई की गई।
- रेडियल ड्रिलिंग मशीन के लिए बाजूओं की मोटराइज्ड स्वाइवलिंग का विकास। संशोधित मशीन भेल, जगदीशपुर को सप्लाई की गई।
- 100 टन क्षमता टंडिश ट्रावसर्ड का विकास आईएसपी के लिए किया गया।
- बीएसपी और आईएसपी के लिए क्रमशः 65 टन और 60 टन स्क्रैप चार्जिंग ट्रावर्स का विकास।
- डीएसपी के लिए 4.45 एम कोक ओवन बैटरी के लिए कोक पुशर के लिए ड्राइव के साथ पूशिंग यंत्र के डिज़ाइन का विकास।
- सीएनसी वीटीबी के वर्तमान माडल में सी एक्सिस, लाइव स्पाइंडल और एटीसी का विस्तार कार्य शुरू किया गया है।

5.5.14 एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास व्यवस्था को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रभागों में संचालित की गई कुछ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

(क) इंजीनियरिंग प्रभाग ने औद्योगिक पंखों के निम्नलिखित उपकरण और असेसरीज का विकास किया है:–

- उच्च लचीलेपन वाली स्टेनलैस स्टील की प्लेट का विकास करते हुए गैस बूस्टिंग अनुप्रयोग के लिए उच्च गति वाले आईडी पंखे का विकास किया गया।
- विभिन्न पंखों के अनुप्रयोगों के लिए साइलेंसर्स के डिजाइनों को सरलीकृत और निष्पादित किया गया है।
- विभिन्न पंखों अनुप्रयोगों के लिए इव्स डिजाइन को उपयुक्त रूप में संशोधिक और निष्पादित किया गया है।

(ख) इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने 33केवी पीसीवीसीबी का विकास का काम पूरा कर लिया है और इसे शेष परीक्षण पूरा करने के उपरांत अंततः वैधीकृत कर दिया गया।

(ग) 220 केवी श्रेणी ट्रांसफार्मर्स के परीक्षण के लिए इम्पल्स वाल्टेज जनरेटर के रेंज उन्नयन के लिए डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

5.5.15 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

पिछले दस या अधिक वर्षों के दौरान कंपनी अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर

जोर दे रही है क्योंकि कंट्रोल और इंस्ट्रमेंटेशन में आरएंडडी बेसिस त्वरित रूप से इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अंतः उपयोगकर्ताओं द्वारा ''प्रामाणिक प्रौद्योगिकी'' के लिए ज़ोर दिया जाता है जो कि बड़ी उद्योग प्रक्रिया है। लेकिन विभिन्न उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट लाइट सेंसिंग स्विचिंग उपकरण, उच्चक्षमता के कंट्रोल वाल्व, कंपैक्ट स्प्रिंग वाहित एक्चुएटर और उनके परिवर्ती, शीघ्र परिवर्तन ट्रिम सहित दाब संतुलित कंट्रोल वाल्व (जो 500 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम सहन कर सकते हैं) जैसे विभिन्न उत्पादन, नोज पफयूज, आरपीएल डोसीमीटर रीडर, पफायरिंग उपकरण आदि जैसे रक्षा सेवा की मदें विकसित की गई हैं। ये सभी उत्पाद रेंज में वृद्धियां हैं।

कंपनी प्रचलित उत्पाद रेंजों में प्रयुक्त विभिन्न संघटकों के पैनल/डेस्क और यांत्रिक प्रोसेसिंग की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते विनिर्माण सुविधाओं का भी उन्नयन कर रही है। वाल्वस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी वाल्वस और इसकी असेसरीज का निर्माण कोटा वर्क्स में शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। रूट वाल्वस का विकास किया जा चुका है और अपेक्षित विशिष्टता के अनुरूप ग्राहकों को आपूर्ति कर दी गई है। उपलब्ध अवसंरचना के साथ बहुतायत में वाल्व और अन्य छोटे वाल्व्स के विकास के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। कंट्रोल वाल्व के लिए कोटा वर्क्स में उत्पादन शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सीएनसी और अन्य संबद्ध मशीनें उत्पादन में सहायता के वास्ते संस्थापित की जा रही हैं।

उपलब्ध क्षमता का सदुपयोग करने के लिए कोटा वर्कस ने रेलवे वैगन और इसकी असेसरीज की साइड वाल का विनिर्माण भी शुरू किया है।

पलक्कड़ इकाई ने बेला सील्ड वाल्व विकसित किया है, जो न्यूक्लियर विद्युत अनुप्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण अनुप्रयोग है। इस इकाई ने इसके लिए डीजीटीडी से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया। पूर्व के वर्षों में कोटा यूनिट को निम्नलिखित उत्पादों के लिए आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

- परमाणु अनुप्रयोगों के लिए सोलेनायड वाल्वस
- मोल्टेन धातु तापमान के मापन के लिए थ्रो–अवे थर्मोकपल्स
- मिनियचर इलेक्ट्रानिक इंडिकेटर्स

इसने इसने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के जरिए तकनीकी सामता विकसित की है और इंजीनियरिंग क्षमताओं के विकास से उत्पादों में और सुधार हुआ है और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम हुई है। आईएल ने विशेश सोलेनायड वाल्वस और प्रवाह नोज़ल्स का विकास किया है जो कि न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन की नरोरा, आरएपीपी और एमएपीपी यूनिटों में व्यापक इस्तेमाल हो रहे हैं।

5.5.16 भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

- पाइप विश्लेषण कार्य के लिए कैसर II 5.10 उन्नत साफ्टवेयर प्राप्त किया गया है और कई परियोजनाओं के निष्पादन कार्य में इस्तेमाल हो रहा है।
- इंजीनियरिंग ड्राईंग/ड्राफ्टिंग पद्धति में 2–डी ड्राफ्टिंग के स्थान पर 3–डी मॉडलिंग शुरू करके सुधार किया गया है जिससे मल्टी लेवल लेआउट तैयार किया जा सकता है।
- पुराना डिजाइन 83–20 प्लंजर पंप बिल्ट–इन गियर रीडक्शन सिस्टम युक्त था। नए डिजाइन में इस सिस्टम को बदलकर बाहरी गति रीडक्शन गियर लगायाा गया है और इसके परिणामस्वरूप फ्रेम के आकार में भी कमी आई है।
- सेंट्रीफ्युगल पंपों के विभिन्न माडल्स के लिए नवीनतम एपीआई 610, 10वां संस्करण के उन्नयन का काम शुरू किया गया है।

- एपीआई 610, 10वां संस्कारण के अनुरूप पाइप लाइन अनुप्रयोग के लिए डीवीडी पंप का उन्नयन।
- न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन की 500 मेवा विद्युत परियोजना के लिए परमाणु डिजाइन कोड के अनुरूप पंप माडल वीएमबीएस और वीबी का संशोधन और विकास।
- कलपक्कम में 700 मेवा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए उच्च दबाव, उच्च तापमान पंपों का विकास। इस पंप को भारत में पहली बार विकसित किया जा रहा है।

5.5.17 ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

बढ़ते प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में बीबीजे ने अपनी नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास की महत्ता को मान्यता प्रदान की है। सीमित संसाधानों और कर्मचारियों के कठोर प्रयासों के बीच प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के वास्ते बीबीजे ने इस्पात पुलों के लिए नई लांचिंग स्कीम विकसित की है और चालन लाइन पर पूर्व के स्टील ब्रिज को बहुत अल्पावधि में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। हाल ही में बीबीजे ने 60एम/450एमटी ट्रस्ड ब्रिज का अग्र प्रारंभ विकसित किया है, जिसका प्रयोग सफलतापूर्वक डीएमआरसी की परियोजना में किया गया था। बीबीजे ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्माण व्यवसाय में प्रमुख पीएसयूज के साथ मिलकर समझौता किया है जो कि कंपनियों के लिए टेक्नो–इकोनोमिक तालमेल में लाभ के लिए उच्च मूल्य की संभावित रेलवे निविदाओं में भागीदारी को लेकर है।

रेलवे से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में भारतीय रेल द्वारा पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) की शुरूआत से बीबीजे अपनी समय परीक्षित प्रौद्योगिकी, वचनबद्धता और दृष्टिकोण के साथ चाहे अकेले अथवा संयुक्त उद्यम प्रक्रिया में, सरकार के मिशन में शामिल होने के प्रति वचनबद्ध है।

5.5.18 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

तरलता के अभाव में आरएंडडी गतिविधियां सीमित हैं। बोकाजन यूनिट की 100 प्रतिशत क्षमता विस्तार के लिए कार्य आदेश (1200 टीपीडी क्लिंकेरिसेशन स्ट्रम की अलग लाइन की स्थापना करके), जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी, जारी किया जा चुका है। कार्यान्वयन की अवधि 18 माह है। टांडुर यूनिट की विभिन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं स्वीकृत योजना के एक भाग के तौर पर कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं।

5.5.19 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां नए उत्पाद विकास, उत्पाद/प्रक्रिया सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आयात प्रतिस्थापन, लागत कटौती और 3 विशिष्ट रसायनों के संबंध में कंपनी की आवश्यकताएं उनका कार्बनिक संश्लेषण इकाई में विनिर्माण करके पूरी की जाती हैं, जिनसे लागत में ₹ 4.14 लाख की बचत हुई। ग्राफिक कला रेड लेजर स्कैन फिल्म, इंकजेट पेपर, पॉलिएस्टर की सबिंग, एक्स–रे आधार, डिजिटल एक्सरे फिल्म, मेडिकल इमेजिंग फिल्म (पेन्क्रोमेटिक) और लेजर प्रिंटर फिल्म तथा डाइज का आयात प्रतिस्थापन के लिए संयंत्र ट्रायल प्रगति पर हैं।

5.5.20 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

ईपीआई की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में कन्वेयर साइजिंग गणनाओं, सिविल कोस्टिंग एवं एस्टिमेशन और स्ट्रट जैसे साफ्टवेयर का विकास शामिल है। कन्वेयर साइजिंग गणना साफ्टवेयर कन्वेयर लोड आवश्यकता पर आधारित कन्वेयर चित्रित डाटा का सृजन करता है। सिविल कास्टिंग एवं ऐस्टिमेशन साफ्टवेयर सिविल मदों जैसे कि आरसीसी, पीसीसी आदि के लिए मौलिक दर सृजित करता है और स्ट्रड इस्पात अवसंरचना निर्माण और गुणवत्ता के बिल

अनुमानन की डिजाइनिंग में मदद करता है। साफ्टवेयर्स के विकास करने के अलावा, कार्य की गुणवत्ता में सुधार तथा साइट लेखाकरण, सामान्य पर्यवेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, कारपेंटरी, बार–ब्लेंडिंग आदि जैसे निर्माण उद्योग से संबंधित ट्रेडों में कौशल विकास के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों द्वारा निर्माण में दक्षता के प्रति भी प्रयास केंद्रित किये गये। प्रबंध कौशल को मज़बूत करने के वास्ते विभिन्न साफ्टवेयर संस्थापित किये गये। इसके अलावा ईपीआई द्वारा निष्पादित परियोजनाओं में व्यवहार में प्री–इंजीनियर्ड बिल्डिंग की अवधारणा को लाया गया।

ईपीआई विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/परामर्शदाताओं के साथ सहयोग/एसोएिशन के लिए संभावनाओं का पता लगा रहा है। ईपीआई ने भारत और विदेश में मोनोरेल/एमआरटीएस के निर्माण की परियोजनाएं संचालित करने के लिए मैसर्स स्कोमी इंजीनियरिंग बरहाद, मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

5.5.21 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएण्डआर)

कंपनी लागू सीमा में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता मानकों को अपग्रेड करने के लगातार प्रयास कर रही है।

कंपनी पहले ही कई विविध क्षेत्रों में सफल प्रचालन स्थापित कर चुकी है। इनमें पीओटी शैल्स, क्रास कंट्री पाइपलाइन, राजमार्ग और एक्सप्रेस, दिल्ली में मेट्रो रेल, फर्नेस और हीटर्स, ताप विद्युत केंद्र में मुख्य बायलर कार्य, एल्युमिना के लिए स्टोरेज सिलोज, बैले पुल, जलापूर्ति एवं सीवेज प्रणाली, एलएसटीके परियोजनाएं, रेलवे वैगन्स शामिल हैं। कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अद्यतन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।

कंपनी का भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव हैः इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण, प्रेशर और नॉन–प्रेशर वैसल्स का विनिर्माण, फलाईओवर निर्माण, पम्पड स्टोरेज/हाइडल प्रोजैक्टस, फायर फाइटिंग सिस्टम्स।

5.5.22 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का अब तक का उद्देश्य वर्तमान उत्पादों में सुधार पर रहा है। बाजार असफलता रोकने के वास्ते वर्तमान उत्पादों में सुधार, रिवर्स गियर स्प्रोकेट असेंबली में सुधार, प्रेसड व्हील रिम के स्थान पर रोल्ड व्हील रिम का विकास, वैल्डिड फ्रंट–फोर्क/स्टियरिंग कॉलम असेम्बली पर रहा है। 265 सीसी गैसोलीन के साथ छोटे तिपहिया और रियर माउंटिड इंजन के साथ तिपहिया का प्रोटोटाइप विकास कार्यान्वयनाधीन है। अन्य विकास कार्यों में फ्रंट लाइटिंग सिस्टम के लिए नया बेज़ेल असेम्बली का विकास और एल्युमीनियम डाई–कास्ट वैट क्लच सिस्टम का डिज़ाइन करना शामिल है।

कंपनी ने इसकी बिजनेस पुनरूद्धार योजना में विचारयोग्य सुधार गतिविधियों की योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत सीएनजी/एलपीजी पद्धति में रियर माउंटिड गैसोलीन इंजिन के साथ 3–पहिया 3–सीटर यात्री वाहन जैसे नए उत्पादों का विकास, पूर्णतः तैयार निर्मित बॉडी और 4–व्हीलर छोटा व्यावसायिक वाहन का विकास शामिल है।

कंपनी ने उत्पाद और प्रोसेस टेक्नोलोजी के उन्नयन और कम्प्यूटर एडिड डिजाइन(कैड)/कम्प्यूटर एडिड इंजीनियरिंग(सीएई) सुविधाओं, उत्पाद परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाएं, वर्तमान तिपहियाओं का उन्नयन, सीएनसी मशीनों को लागू करते हुए विनिर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण, अनुरक्षण और अवसंरचना के उन्नयन के लिए भी योजना बनाई है।

अध्याय

6 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विषय पर सरकार के निर्देशों के आलोक में अल्पसंख्यकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्व के संबंध में यह विभाग अत्यधिक सजग है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.,विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अनुपालन करते हैं।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की उचित निगरानी के लिए उपसचिव के स्तर के संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन एक अजा/अजजा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। अजा/अजजा कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामांकन पर विचार करते समय अथवा आवास सुविधा के आबंटन के दौरान वरीयता दी जाती है।

6.3 सीपीएसईज के कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी सीपीएसईज में उनके मुख्य कार्यबल में एकीकरण पर ज़ोर दिया जाता है और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आवास आदि सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान शर्तों पर प्रदान की जाती हैं। हर वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है जहां समाज के सभी वर्गों के कर्मचारी और उनके परिवारजन एकता, राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की भावना को अपनाने और विस्तारित करने का संदेश ग्रहण करते हैं।

6.4 इस विभाग के अधीन प्रचालनरत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को "अशक्त व्यक्ति" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का परामर्श दिया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, उपयुक्त टायलटों, लिफ्ट आदि की सुविधा से युक्त भूतल पर रिहायशी आवास, व्यावसायिक कर के भुगतान से छूट, आने–जाने की परिवहन सुविधा, चिकित्सा उपस्करों और सामान्य चिकित्सा सहायता के प्रावधान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों को ब्रेल प्रतीक चिह्न प्रदान किए जाते हैं और वे टेलीफोन बूथ चलाने, बेंत की कुर्सी की मरम्मत आदि के कार्य में लगे हैं। मंद बुद्धि बच्चों और दृष्टिहीनों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं। भेल भी त्रिची, भोपाल, हैदराबाद और हरिद्वार केंद्रों पर विशेष देखभाल विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रहा है।

6.5 भारी उद्योग विभाग शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को संशोधित कारें खरीदने के लिए उत्पाद कर पर पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करता है। विस्तृत पात्रताा शर्तें विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। 1.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान 38 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जबकि 36 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

6.6 अजा, अजजा, अपिव और विकलांग व्यक्तियों के बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियानः—

1.11.2008 को अजा, अजजा और अपिव के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई थी। विभाग के अधीन प्रचालित 32 सीपीएसईज में से अधिकतर रूग्ण/घाटे में चल रही है, इसलिए इन सीपीएसईज में कोई अतिरिक्त जनशक्ति शामिल नहीं की जा रही है। ऐसे रूग्ण सीपीएसईज जहाँ कोई भर्ती नहीं की जा रही है, को विशेष अभियान के दायरे से छूट प्रदान की गई है। लेकिन, जिन अन्य सीपीएसईज ने विशेष भर्ती अभियान के तहत संबंधित श्रेणियों के लिए बकाया रिक्तियों की पहचान की है उनसे इन बकाया रिक्तियों को भरने की कार्रवाई तेज़ किए जाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के का.ज्ञा. दिनांक 26.7.2011 के अनुरूप अजा, अजजा और अपिव के लिए विशेष भर्ती अभियान पुनः शुरू किया गया है और विभाग के अधीन सभी सीपीएसईज से शेष बकाया रिक्तियों को 31.3.2013 तक भरने का अनुरोध किया गया है। सभी सीपीएसईज को बकाया रिक्तियां भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

अध्याय

7 महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो। स्टॉफ के सभी सदस्यों को भारत के संविधान में व्यवस्थित लिंग आधारित समान मुख्यधारा और न्याय के सिद्धांतों के प्रति सचेत किया जाता है।

7.2 सरकार द्वारा लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मानवाधिकारों के प्रति, विशेषकर महिला कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। विभाग महिलाओं को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतिस्पर्द्धाओं, प्रशिक्षण आदि जैसी सभी गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनके कार्यबल की मुख्य धारा में आगे एकीकरण की दिशा में मदद मिलेगी।

अध्याय

8 सतर्कता

8.1 इस विभाग में विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की देखरेख के लिए संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उनके सहयोग के लिए सतर्कता अनुभाग के साथ साथ एक निदेशक तथा एक अवर सचिव हैं।

8.2 सतर्कता अनुभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र है:—

- भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के साथ साथ विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की देखरेख, सतर्कता मामलों की आवधिक समीक्षा करना।
- सीपीएसईज में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और पीईएसबी की सिफारिश के आधार पर अन्य सभी नियुक्तियों के संबंध में, जिनमें एसीसी की स्वीकृति अपेक्षित होती है, सतर्कता मंजूरी जारी करना।
- सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के सुचारू प्रवाह के लिए सीवीसी, सीबीआई और भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के सीवीओज के साथ संपर्क रखना।
- प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के मुद्दों पर परामर्श देना।
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध आरोप पत्र की संवीक्षा करना।
- विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणिकाओं की निगरानी तथा उनकी पूर्णता और इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में इनका अनुरक्षण।

8.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी ज़ोर देता है और व्यापक पारदर्शिता लाने के बारे में आईटी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जहां कहीं अपेक्षित है उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं और इसके बाद अति सावधानी रखी जाती है।

8.4 भारी उद्योग विभाग ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता फैलाने/जानकारी देने के वास्ते 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था।

8.5 पूर्व के वर्षों की भांति, विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक बैठक सचिव भारत उद्योग विभाग के अधीन उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18/11/2011 को आयोजित की गई जिससे मंत्रालय और सीवीओज के बीच विचारविमर्श की सुविधा प्राप्त हुई और सीपीएसईज में पूर्ण सतर्कता प्रशासन में सुधार के दृष्टिगत सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा की गई।

8.6 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ—साथ सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत किए जाने की निगरानी रखने के अलावा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को पूरा करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

8.7 सर्तकता मामले सामान्यतः गंभीर प्रकृति के होते हैं और इन पर सीपीएसईज के सीवीओज की सहायता से आरोपों के संबंध में भिन्न और विस्तृत सूचना/टिप्पणियां और विश्लेषण करना अपेक्षित होता है। लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान के लिए ठोस प्रयास किये गये और पुराने मामलों की तर्कपूर्ण निष्कर्ष हेतु जांच की गई। वर्ष 2012 की शुरूआत में 42 सतर्कता मामले थे। वर्ष के दौरान दस नए मामले प्राप्त हुए। 29 मामलों में जांच पूरी की गई और वे अब बंद कर दिये गये हैं।

8.8 सीपीएसईज के बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर के अधिकारियों के 40 मामलों में भर्ती/पुष्टि/विस्तार/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र से संबंधित सतर्कता मंजूरी प्रदान की गई।

अध्याय

9 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 भारी उद्योग विभाग का हिंदी अनुभाग विभाग में राजभाषा अर्थात हिंदी के प्रसार और विकास तथा प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा सक्रिय प्रयास जारी रहे। हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए गए।

9.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने (i) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, उ.प्र. का निरीक्षण किया और हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्याकंन करने हेतु यूनिटों/कार्यालयों का निरीक्षण किया और उसके दौरान यूनिटों/कार्यालयों के कार्यपालकों को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

9.3 सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, टिप्पणियों और परिपत्रों तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे गए संसद – प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट–निष्पादन, सामान्य आदेश और अन्य कागजात को हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया । हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्वि करने के लिए दिनांक 03 सितबंर, 2012 से 15 सितंबर, 2012

श्री एस सुंदरेशन, सचिव, भारी उद्योग विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण

तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सामान्य हिंदी ज्ञान, टिप्पण और आलेखन, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को सचिव, (भारी उद्योग) ने पुरस्कार प्रदान किए। अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, **''आज का शब्द''** और **''आज का विचार''** के माध्यम से हिन्दी सीखने के कार्यक्रम को सक्रियता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इंटरनेट पर विभाग की एक ई–पत्रिका भी शुरू की गई है। इसमें आलेखों, कविताओं के साथ साथ विभागीय गतिविधियों की सूचना भी है।

9.4 विभाग के प्रशासनाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र–प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में भी **हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी माह** बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया।

अध्याय

10 सेवोत्तम का कार्यान्वयन

10.1 भारी उद्योग विभाग प्रभावी और ज़िम्मेदार प्रशासन के लक्ष्य और सुपुर्दगी उत्कृष्टता सेवा के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार का सेवोत्तम ढांचे को इस विभाग में कार्यान्वित किया गया है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) भारी उद्योग विभाग का सिटीजन्स/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। विभाग नागरिकों, विभाग के अधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग एसोसिएशनों, वैधानिक संस्थाओं, प्रशासनिक प्राधिकारियों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभाग, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सिटीजन्स/ग्राहक चार्टर में इंगित सेवा मानदंडों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करता है। सिटीजन्स/ग्राहक चार्टर में सम्मिलित विभिन्न सेवाओं के सेवा मानदंड निर्धारित किये गये हैं। सिटीजन्स/ग्राहक चार्अर की अंतिम समीक्षा जनवरी 2012 में की गई थी।

(ii) विभाग में एक शिकायत निपटारा तंत्र कार्यान्वित किया गया है। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को जन शिकायत निदेशक के तौर पर पदनामित किया गया है। कर्मचारियों और पेन्शनधारकों की शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से नोडल अधिकारी पदनामित किए गए हैं। सेवा प्राप्तकर्ता अपनी शिकायतें डीएआरपीजी के शिकायत पोर्टल– http://pgportal.gov.in पर केंद्रीयकृत जन शिकायत निपटारा और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) अथवा पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग के पेन्शनर्स पार्टल http://pensionserportal.gov.in/cpengrams पर केंद्रीयकृत शिकायत निपटारा एवं निगरानी तंत्र (सीपीईएनजीआरएएमएस) पर अथवा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर दर्ज़ कर सकते हैं अथवा वे इसे व्यक्तिगत तौर पर या डाक से या ई–मेल से या फैक्स से निदेशक–शिकायत के पास भेज सकते हैं। भारी उद्योग विभाग में प्राप्त शिकायतों की केंद्रीयकृत लोक शिकायत निपटारा एवं निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) में निगरानी की जाती है। शिकायतों को ऑनलाइन संबंधित सीपीएसईज को स्थानांतरित कर दिया जाता है और निपटान की स्थिति की निगरानी की जाती है। 1.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान कुल 162 शिकायतें प्राप्त हुईं थी और कुल 171 शिकायतों का निपटान किया गया। कुल मिलाकर निपटान दर 93 प्रतिशत से अधिक थी।

10.2 विभाग द्वारा उठाए गए आई टी संबंधी कदम

10.2.1 विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित आई टी कदम उठाए गए हैं:–

(i) विभाग की वेबसाइट जीआईजीडब्ल्यू कम्पलायंड बनाई गई है और आवधिक अद्यतन किया जाता है।

(ii) व्यय विभाग द्वारा विकसित केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) को विभाग और सीपीएसईज में क्रियान्वित

किया गया है। अब सभी निविदा इन्क्वायरीज सीपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की जाती हैं।

(iii) आईपीवी 6 नीति का कार्यान्वयन।

(iv) लोक सभा पटल पर रखे गए कागज़ातों को भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना और लोकसभा वेबसाइट के होम पेज से लिंक उपलब्ध करवाना।

(v) राज्य सभा सचिवालय द्वारा विकसित 'ई उत्तर' प्रणाली पर राज्य सभा प्रश्नों के उत्तरों को अपलोड करना।

(vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन।

(vii) नेशनल डॉटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 (एनडीएसएपी 2012) के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदम।

(viii) दौरे पर अधिकारी सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है।

(ix) भारी उद्योग विभाग में ई–ऑफिस मिशन पद्धति परियोजना का कार्यान्वयन करना

10.2.2 विभाग ने ई–गवर्नेंस के तहत निम्नलिखित प्रणालियों के विकास हेतु भी कदम उठाए हैं जो कि आरंभिक चरण में हैं:

(i) शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद कर की पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति हेतु साफ्टवेयर का विकास।

(ii) पूंजीगत सामग्री क्षेत्र अर्थात भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपस्कर के संबंध में ''परियोजना आयात योजना' के तहत सीमा शुल्क रियायत के लिए सॉफ्टवेयर का विकास।

अध्याय

11 सूचना का अधिकार

11.1 भारी उद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारत सरकार, लोक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेशों को नियमनिष्ठ कार्यान्वित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग से लोक प्राधिकारी बनाए गए हैं।

11.2 भारी उद्योग विभाग में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के वास्ते उप सचिव के रैंक के अधिकारी को सीपीआईओ तथा एक संयुक्त सचिव को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप विभाग की वेबसाइट पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में एक उप सचिव के रैंक का अधिकारी पदनामित किया गया है।

11.3 आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के तहत अद्यतन सूचना विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। विभाग में प्रयोग की जाने वाली मुद्रित स्टेशनरी पर आरटीआई लोगो का प्रयोग किया जा रहा है। विभाग और डीएचआई के अधीन सीपीएसईज द्वारा सीआईसी को तिमाही आरटीआई रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत की गईं।

11.4 विभाग में वर्ष 2011–12 के दौरान आरटीआई के तहत 212 आवेदन और 23 अपीलें प्राप्त हुईं और 211 आवेदन और 21 अपीलों का निपटान किया गया। 1.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि में 238 आवेदन और 32 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 231 आवेदनों और 30 अपीलों का निपटान किया गया।

अध्याय

12 परिणाम कार्य-ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) 2011-12

12.1 परिणाम–ढांचा दस्तावेज(आरएफडी) जनादेश का प्रतिनिधि कर रहे मंत्री और इस जनादेश को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार विभाग के सचिव के बीच समझ का एक रिकार्ड होता है। प्रधानमंत्री ने सरकारी मंत्रालयों/विभागं के लिए ''कार्यनिष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)'' की रूपरेखा का अनुमोदन कर दिया है। सरकारी कार्य निष्पादन पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग (एचपीसी) ने मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में 3.3.2011 को हुई अपनी बैठक में विभागीय आरएफडी, तत्स्थानी उपलब्धियों और संयोजित स्कोर को विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने का अनुमोदन किया था।

12.2 आरएफडी में उन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश उपलब्ध कराया जाता है जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल कर लिये जाने की आशा होती है। इस दस्तावेज में न केवल सहमत उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ब्यौरा होता है बल्कि इनके कार्यान्वयन में प्रगति के आकलन के लिए सफलता संकेतक और लक्ष्य भी होते हैं।

12.3 पीएमडी की सरकारी कार्य निष्पादन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भारी उद्योग विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और आरएफडी 2011–12 पर भारी उद्योग विभाग को कुल मिलाकर कार्य निष्पादन पर 78.86 प्रतिशत का समग्र स्कोर प्रदान किया है।

12.4 आरएफडी 2011–12 में निहित विस्तृत उद्देश्यों, उनकी तत्स्थानी उपलब्धियां और समग्र स्कोर निम्नवत् है।

आरएफडी 2011–12, तत्स्थानी उपलब्धियां एवं समग्र स्कोर

उद्देश्य	कार्रवाइयां	सफलता संकेतक	यूनिट	संगत भार %	लक्ष्य					उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित कच्चा स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	अल्प			
					100%	90%	80%	70%	60%			
उद्देश्य 1 (भार-23%): भेल की सतत उच्च वृद्धि हासिल करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनने हेतु सहायता करना	**कार्रवाई 1:** विनिर्माण क्षमता विस्तार	सुपुर्द करने की क्षमता	मेवा	8.00	20000	16000	15500	15000	14999	20000	100.0	8.0
	कार्रवाई 2: आदेश प्राप्त करने के लिए भेल का समर्थन करना	(i) निर्यात आदेश	रू करोड़ में	3.00	3500	3000	2850	2700	2549	234	0.0	0.0
		(ii) घरेलू आदेश	रू करोड़ में	4.00	56500	56000	55000	50000	44999	21862	0.0	0.0
	कार्रवाई 3 : विद्युत क्षेत्र क्षमता विस्तार	क्षमता पूर्ण *	मेवा	4.00	12200	10000	9000	8000	7000	11530	96.95	3.88
	कार्रवाई 4: वर्ष के दौरान भेल द्वारा तकनीकी मानव शक्ति का विस्तार	नियुक्त अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या	नहीं	4.00	3600	3500	3400	3300	3200	4711	100.0	4.0

उद्देश्य	कार्रवाइयां	सफलता संकेतक	यूनिट	संगत भार %	लक्ष्य					उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित कच्चा स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	अल्प			
					100%	90%	80%	70%	60%			
उद्देश्य 2 (भार 19%): अन्य लाभ कमाने वाले सा.क्षे.उ.(भेल को छोड़कर) को उच्चतर कारोबार और लाभ प्राप्ति हेतु समर्थन करना	**कार्रवाई 1:** सा.क्षे.उ. कार्यनिष्पादन की ढांचागत समीक्षा	(क) 2011–12 में कुल कारोबार में % वृद्धि (वाई ओ वाई)	%	7.00	20	19	18	17	16	11.94	0.0	0.0
		(ख) पिछले वर्ष के मुकाबले 2011–12 के लिए (वाईओवाई) कुल शुद्ध लाभ %	%	7.00	2.5	2	1.5	1	0.9	4.46	100.0	7.0
	कार्रवाई 2: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार	एमओयू में उत्कृष्ट रेटिंग की उपलब्धि	संख्या	5	5	4	3	2	1	4	90.0	4.5

उद्देश्य	कार्रवाइयां	सफलता संकेतक	यूनिट	संगत भार %	लक्ष्य					उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित कच्चा स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	अल्प			
					100%	90%	80%	70%	60%			
उद्देश्य 3 (भार-18%): **रूग्ण और घाटा उठाने वाले सा.क्षे. उपकमों और उनकी नकद हानियों को कम करने के लिए उनका पुनर्गठन**	**कार्रवाई 1:** सा.क्षे.उ का पुनरूद्धार/पुनर्गठन. एचएमटी लिमि., एचएमटी(एमटी), एचएमटी(डब्ल्यू) टीएसएल	(i) परामर्शदाता की रिपोर्ट पर विभाग का फ़ैसला (ii) बीआरपीएसई को संदर्भ (iii) कोई दो सा.क्षे.उ के लिए सीसीईए का अनुमोदन (iv) बीआईएफआर में एमडीआरएस को भरा जाना	दिनांक	1 1 1 1	30 सित, 2011 31 अक्तू, 2011 30 नवं, 11 -वही-	31 अक्तू, 2011 30 नवं, 2011 31 दिसं, 2011 -वही-	30 नवं, 2011 31 दिसं. 2011 31 जन., 2012 -वही-	31 दिसं. 2011 31 जन., 2012 29 फर, 2012 -वही-	31 जन., 2012 29 फर, 2012 31 मार्च, 2012 -वही-	19 दिसं., 2011 28 सित , 2012 - -	73.87 100.00 - -	0.74 1.0 - -
	कार्रवाई 2: सा.क्षे उ. एचएमटी (बी), एसआईएल एनपीपीसी, नेपा, आरएंडसी, आरईआईएल, एचपीएफ के पुनरूद्धार/ पुनर्गठन के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करना	सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लिए सीसीईए का फैसला प्राप्त किया जाना है	संख्या	6	6	5	4	3	2	3	70.0	4.2
	कार्रवाई 3: वीआरएस/वीएसएस और वैधानिक देयताओं सहित सा.क्षे.उ. के पुनरूद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध कराया जाना	व्यय की प्रगति	बीई का %	4	100	95	90	85	80	100.0	100.0	4.0
	कार्रवाई 4: रूग्ण/हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ. के कार्यनिष्पादन में सुधार	नकद हानियों में कमी (वाईओवाई)	हानियां रू % में	4	(-) 2078.17 8	(-) 2100.76 7	(-) 2123.35 6	(-) 2145.94 5	> -) 2145.95 4.9	24.53%	100.0	4.00

उद्देश्य	कार्रवाइयां	सफलता संकेतक	यूनिट	संगत भार %	लक्ष्य					उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित कच्चा स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	अल्प			
					100%	90%	80%	70%	60%			
उद्देश्य 4 (भार 14%): देश भर में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास केंद्रों की स्थापना– परियोजना की भौतिक प्रगति	**कार्रवाई 1**: जाफिरबंद परिसर, सिल्चर का प्रचालन	पूर्णता तिथि	तिथि	2	15-जुलाई-11	15-अगस्त-11	31-अगस्त-11	15-सित11	16-सित 11	15-जुलाई-11	100.0	2.0
	कार्रवाई 2: जीएआरसी, चेन्नई में ईएमसी लैब, एफएटी लैब के सिविल कार्य की पूर्णता	प्रचालन तिथि	तिथि	2	15-मई-11	25-मई-11	31-मई-11	15-जून-11	16-जून-11	25-मई-11	90.0	1.8
	कार्रवाई 3 (क): आईसीएटी मानेसर में एमएसीडी लैब का प्रचालन	पूर्णता तिथि	तिथि	2	31-मई-11	5-जून-11	10-जून-11	15-जून-11	16-जून-11	31-मई-11	100.0	2.0
	कार्रवाई 3 (ख): आईसीएटी II, मानेसर में सामान्य भण्डार और ग्राहक कर्मशाला की पूर्णता	पूर्णता तिथि	तिथि	2	30-जून-2011	15-जुलाई-11	31-जुलाई-11	15-अगस्त-11	16-अगस्त-11	30-जून-11	100.0	2.0
	कार्रवाई 3 (ग):): आईसीएटी II, मानेसर में ईएमसी, पीएएस लैब के सिविल कार्य को पूरा करना	पूर्णता तिथि	तिथि	2	15-जुलाई-11	30-अगस्त-11	15-सितं.–11	30-सितं-11	1-अक्तू-11	15-सितं-11	80.0	1.6
	कार्रवाई 4 (क): नेट्रेक्स, इंदौर में सामान्य भण्डार एवं ग्राहक कर्मशाला को पूरा करना	पूर्णता तिथि	तिथि	2	31-मई-11	15-जुलाई-11	31-जुलाई-11	15-अगस्त-11	16-अगस्त-11	15-जुलाई-11	90.0	1.8
	कार्रवाई 4 (ख) : नेट्रेक्स, इंदौर में वीडीवाई और पीडब्ल्यूटी लैब्स के सिविल कार्य को पूरा करना	पूर्णता तिथि	तिथि	2	15-जून-11	30-जुलाई-11	15-अगस्त-11	31-अगस्त-11	1-Sep-11	01-सितं-11	60.0	1.2

उद्देश्य 5 (भार- 11%): आटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की चिंताओं को उपयुक्त और पर्याप्त रूप में दूर करना	**कार्रवाई 1: (क)** नेशनल काउंसिल फार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नेशनल बोर्ड फार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की स्थापना	कार्रवाई पूरा किया जाना	समय	1	31 जुलाई, 2011	31 अगस्त, 2011	30 सितं, 2011	31 अक्तूबर, 2011	30 नवं, 2011	27 मई, 2011	100.0	1.0
	कार्रवाई 1: (ख) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कार्य योजना	रिपोर्ट	समय	1	31 दिसं. 2011	31 जन. 2012	29 फर. 2012	31 मार्च 2012	-	11 जुलाई, 2011	100.0	1.0
	कार्रवाई 2: उपकर कोष के जरिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना (डीसीएएआई)	बीई के इस्तेमाल की प्रगति	%	1	100	90	80	70	<70	99.35%	99.35	0.99
	कार्रवाई 3: डब्ल्यूपी29, जेडब्ल्यूजी जैसे द्वि/बहु पक्षीय मंच पर प्रभावी कार्रवाई के जरिए घरेलू उद्योग की चिंताओं की संरक्षा और प्रस्तुति	आयोजित बैठकों की संख्या	सं.	2	5	4	3	2	1	7	100.0	2.0
	कार्रवाई 4: 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना" के लिए योजना आयोग को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना	योजना का अनुमोदन	तिथि	1	30 नवं, 2011	31 दिसं , 2011	31 जन, 2012	29 फर, 2012	31 मार्च, 2012	3नवं, 2011	100.0	1.0

	कार्रवाई 5: पूंजीगत वस्तु उद्योगके 5 उप क्षेत्रों के तीव्र विकास केलिए नीति/रणनीति पेपर/दस्तावेज तैयार करना	मशीन टूल्स	पूरा करने की तिथि	1	31 जुलाई, 2011	31 अगस्त 2011	30 सितं 2011	31 अक्तू 2011	30 नवं 2011	5 अक्तू, 2011	78.39	0.78
		टेक्सटाइल मशीनरी	पूरा करने की तिथि	1	31 अगस्त 2011	30 सितं 2011	31 अक्तू 2011	30 नवं 2011	31 दिसं 2011	5 अक्तू, 2011	88.39	0.88
		भारी विद्युत उपकरण	पूरा करने की तिथि	1	30 सितंबर 2011	31 अक्तू 2011	30 नवं 2011	31 दिसं 2011	31 जन. 2012	5 अक्तू, 2011	98.39	0.98
		खनन एवं निर्माण कंपनी	पूरा करने की तिथि	1	31 अक्तू 2011	30 नवं 2011	31 दिसं 2011	31 जन. 2012	29 फर. 2012	5 अक्तू, 2011	100.0	1.0

उद्देश्य	कार्रवाइयां	सफलता संकेतक	यूनिट	संगत भार %	लक्ष्य					उपलब्धि	कच्चा स्कोर	भारित कच्चा स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	अल्प			
					100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**			
1. आरएफडी सिस्टम का दक्ष कामकाज (भार- 3%)	**कार्रवाई 1:** अनुमोदन के लिए मसौदे का समय पर प्रस्तुतिकरण	समय पर प्रस्तुति	तिथि	2	मार्च, 7 2011	मार्च ,8 2011	मार्च , 9 2011	मार्च , 10 2011	मार्च , 11 2011	मार्च , 8 2011	90.0	1.8
	कार्रवाई 2: परिणामों का समय पर प्रस्तुतिकरण	समय पर प्रस्तुति	तिथि	1	मई, 1 2012	मई, 3 2012	मई, 4 2012	मई, 5 2012	मई , 6 2012	मई , 1 2012	100.0	1.0
2. मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/प्रभाव कारिता/सेवा में सुधार (भार-10%)	**कार्रवाई 1.** सेवोत्तम का कार्यान्वयन	संशोधित सिटीजन्स/ग्राहक चार्टर का पुनः प्रस्तुतिकरण	तिथि	2	जन 16, 2012	जन 18, 2012	जन 20, 2012	जन 23, 2012	जन 25, 2012	जन 13, 2012	100.0	2.0
		सार्वजनिक शिकायत निपटारा प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट	%	2	100	95	90	85	80	विभाग और मंत्रालयों को कोई कार्रवाई करने की आशा नहीं है। पीएमडी मंत्रालयों/विभाग की शिकायत निपटारा प्रणाली की	100.0	1.7

										ऑडिटिंग के उद्देश्य के लिए स्वतंत्र आडिटर की पहचान करेगा। स्वतंत्र ऑडिट संचालित करने के लिए मानदंड और पद्धति के बारे में पीएमडी द्वारा शीघ्र सूचित किया जाएगा।		
	कार्रवाई 2. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धरा 4(1) (ख) की अनुपालना सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिन पर सूचना फरवरी 10, 2012 तक अपलोड की जा चुकी है	नहीं	2	16	15	14	13	12	16	100.0	2.0
	कार्रवाई 3. विभागीय गतिविधियों के संबंध में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान और इनके निराकरण के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों में कमी लाने के लिए कार्य योजना	तिथि	2	मार्च 26, 2012	मार्च 27, 2012	मार्च 28, 2012	मार्च 29, 2012	मार्च 30, 2012	दिसंबर 27, 2011	100.0	2.0
	कार्रवाई 4. आईएसओ 9001	आईएसओ प्रमाणन 9001	तिथि	2	अप्रैल 16,	अप्रैल 17,	अप्रैल 18,	अप्रैल 19, 2012	अप्रैल 20, 2012	मार्च 23, 2012	100.0	2.0

	प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना विकसित करना	के कियान्वयन के लिए कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना			2012	2012	2012					
3. कार्यात्मक जवाबदेही दायरे की अनुपालना सुनिश्चित करना (भार-2%)	सीएंडएजी के ऑडिट पैरा पर कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति से देय तिथि (4 माह) तक प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	81	81.0	0.5
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को कार्रवाई रिपोर्ट की समय पर प्रस्तुति	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करनेकी तिथि से देय तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	---	100.0	0.5
	31.3.2011 से हले संसद में प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के ऑडिट पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	85	85.0	0.5
	31.3.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	---	100.0	0.5
समग्र स्कोर												**78.86**

अनुबंध-I

भारी उद्योग विभाग को कार्य का आवंटन प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय के विभागों में से एक हुआ करता था। दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया है। इस मंत्रालय में दो विभाग अर्थात भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं। भारी उद्योग विभाग को कार्य की निम्नलिखित मदें आवंटित की गई हैः–

निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कार्य

1. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी

(i) भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड

(ii) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजैक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड

4. एच.एम.टी. लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(i) एच.एम.टी. (बेयरिंग) लिमिटेड

(ii) एच.एम.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड

(iii) एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लिमिटेड

(iv) एच.एम.टी. (वाचेज) लिमिटेड

(v) एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लिमिटेड

5. स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
6. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड,

सहायक कंपनियां–

(i) हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

(ii) युले इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

(iii) युले इंजीनियरिंग लिमिटेड

7. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
9. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

सहायक कंपनियां

(i) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

(ii) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

(iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

10. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
11. हिदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

सहायक कंपनी

(i) सांभर साल्ट्स लिमिटेड

12. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड

सहायक कंपनी

(i) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रयुमेंट्स लिमिटेड

13. नेपा लिमिटेड
14. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड; सहित

सहायक कंपनी

(i) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रशन लिमिटेड

16. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
17. तुंगभद्रा स्टील प्लांट्स लिमिटेड
18. भारत पम्पस एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड
19. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिडेट
20. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिडेड

समापन/बंद होने/बंदी/अन्य विभागों/संगठनों को स्थानांतरण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियां

1. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
2. भारत लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड
3. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. रिहेविलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
5. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6. नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
9. माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
10. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
12. लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
13. रेरोल बर्न लिमिटेड
14. वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
15. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
16. भारत प्रॉसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
17. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
18. मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
19. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
20. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

ख. स्वायत्त निकाय

i) फ्ल्युड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट

ii) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया

iii) नेट्रिप इम्पलीमेंटेशन सोसाइटी (नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण एवं अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए)

(ख) अन्य विषय

1. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्करों का विनिर्माण
2. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग
3. मशीन टूल और इस्पात संयंत्र उपस्कर विनिर्माण सहित मशीनरी उद्योग
4. ऑटो उद्योग, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्करों सहित
5. ऑटोमोबिल इंजनों सहित सभी डीजल इंजन
6. भारी विद्युत एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद
7. वस्त्र मशीनरी उद्योग के लिए विकास परिषद
8. मशीन टूल उद्योग विकास परिषद
9. ऑटोमोबिल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद
10. इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत सरकार और लीबिया सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

2. भारी उद्योग विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है, जिनकी सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम है और इनकी कुल स्वीकृत संख्या 264 है (01.01.2013 को). विभाग की सहायता के लिए अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व में एक एकीकृत वित्तीय स्कन्ध भी है। भारी उद्योग विभाग का सांगठनिक चार्ट संलग्न है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त विभाग ने स्टाफ और जनता की मदद के लिए विभाग के सही कामकाज संचालन हेतु उपयुक्त स्तर के विभिन्न नोडल अधिकारियों की नियुक्ति/मनोनयन किया है। ऐसे कुछेक क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) जनता की शिकायतों के निपटान की प्रणाली को कारगर बनाने के प्रयास के तहत इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को संयुक्त सचिव (जन शिकायत) के तौर पर पदनामित किया गया है।

ii) जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए इस विभाग के लिए एक संयुक्त सचिव और एक उप सचिव को क्रमशः अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है।

iii) इस विभाग में सभी मामलों का कम्प्यूटरीकरण करने के प्रयास के तहत एक संयुक्त सचिव को आईटी प्रबंधक के तौर पर पदनामित किया गया है, जो कि विभाग की वेबसाइट को आवधिक रूप से अद्यतन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

iv) कानूनी मामलों से निपटने के उद्देश्य से और आगे समन्वय के वास्ते इस विभाग में एक संयुक्त

सचिव को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है जिससे मामले पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

v) इस विभाग से सृजित होने वाले महत्वपूर्ण रिकार्डस के संरक्षण और संबंधित मामले में समन्वयन के वास्ते एक संयुक्त सचिव को मुख्य रिकार्ड अधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है।

vi) मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों पर रोकथाम और नियंत्रण के प्रभावी उपायों के वास्ते भारी उद्योग विभाग में एक निदेशक को भारी उद्योग विभाग के अधीन सभी कार्यालयों में एंटी–वेक्टर अभियान के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

vii) भारी उद्योग विभाग और इसके अधीन संगठनों द्वारा जारी किये जाने वाली रिक्ति परिपत्रों का विवरण प्रेषित करने के वास्ते और वरिष्ठ स्तर की रिक्तियां जिनके लिए एसीसी का अनुमोदन अपेक्षित होता है, इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है, जिन पर इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी दायित्व होता है।

viii) मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाआ कर्मचारियों के मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के वास्ते भारी उद्योग विभाग ने सरकार द्वारा लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

भारी उद्योग विभाग का संगठनात्मक ढांचा (01.01.2013 को)

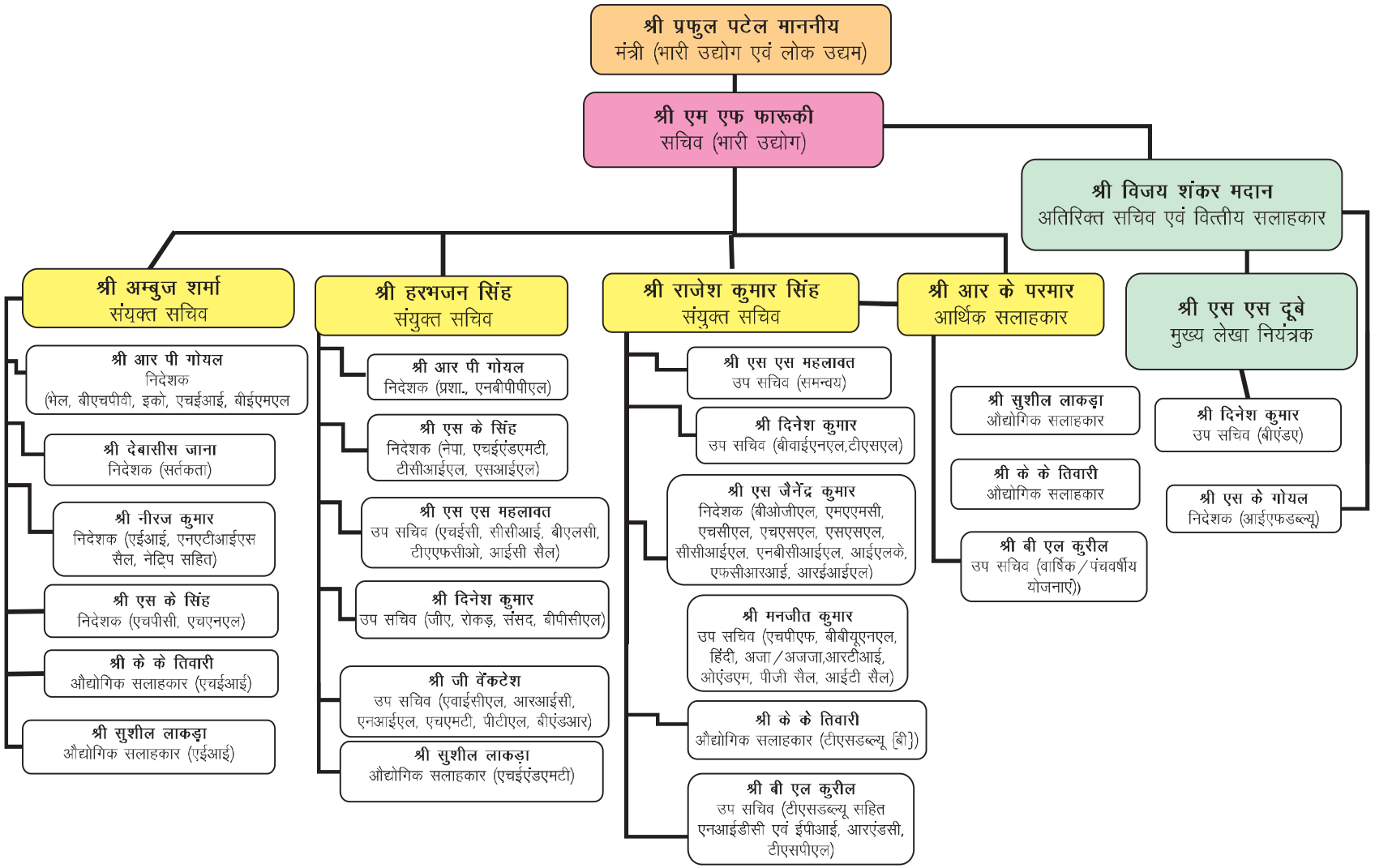

अनुबंध-III

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रम सं.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम और पंजीकृत कार्यालय का स्थान	के.सा.क्षे.उ की स्थापना का वर्ष	31.3.2012 को सकल ब्लॉक (रू करोड़ में)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड(एवाईसीएल), कोलकाता	1979	243.06
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	6.37
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (भेल), नई दिल्ली	1956	11054.00
4	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम	1966	82.85
5	भारत भारी उद्योग निगम लिमि (बीबीयूएनएल)	1986	0.78
6	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	1987	17.07
7	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	81.27
8	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (1972) (आरएण्डसी) लिमिटेड, मुम्बई	1972	32.05
9	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	19.65
10	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड(टीएसपी) होसपेट, कर्नाटक	1967	20.58
11	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया)लिमिटेड (बीएण्डआर), कोलकाता	1972	230.46
12	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	525.46
13	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	343.86
14	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	1953	139.78
15	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी, बंगलौर	2000	332.06
16	एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड, बंगलौर	2000	189.07
17	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू	2000	12.16
18	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड, हैदराबाद	1981	30.23
19	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलोर	1974	7.39
20	इंस्ट्रमेंटशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	74.74
21	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	1981	21.36
22	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) लखनऊ	1972	58.04
23	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	670.30
24	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	976.84

25	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) वेल्लोर, कोट्टायम	1983	419.20
26	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	715.00
27	हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	10.17
28	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	16.84
29	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	1958	107.65
30	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	119.63
31	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	16.88
32	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), जिला मोकोकचुंग, नागालैंड	1971	64.29
	कुल रू		**16639.09**

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन कें.सा.क्षे.उद्यमों में 31.3.2012 की स्थितिनुसार अजा, अजजा एवं अ.पि.व सहित रोज़गार की स्थिति

क्रम सं.	कें.सा.क्षे.उ. का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों कुल संख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार अन्य	कुल	अनु.जा.	अनु.ज.जा	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एवाईसीएल	235	79	14614	14928	2554	4409	7793
2	हुगली प्रिंटिंग	8	7	44	59	2		
3	बीएचईएल	13689	9474	26224	49387	9784	2841	11578
4	बीबीयूएनएनएल	14	4	5	23	1		6
5	बीबीजे	52	36	13	101	7		3
6	बीएचपीवी	199	101	835	1135	177	103	263
7	बीपीसीएल	207	34	743	984	154	3	308
8	आरएण्डसी	16	10	24	50	6		5
9	टीएसएल	28	4	100	132	20		53
10	टीएसपी	9	22	67	98	25	3	27
11	बीएण्डआर	860		725	1585	182	6	64
12	एचसीएल	267	309	1382	1958	349	59	145
13	एचईसी	1257	475	682	2414	319	442	604
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	225	115	1359	1699	397	57	117
15	एचएमटी (एमटी)	693	314	2271	3278	610	173	839
16	एचएमटी (वाचेज)	197	44	978	1219	227	43	186
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1	7	103	111	12	3	0
18	एचएमटी (बियरिंग)	21	10	43	74	14	0	23
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	44	10	6	60	9	4	1
20	आईएल	243	654	436	1333	221	56	246
21	आरईआईएल	70	67	105	242	48	8	53
22	एसआईएल	149	35	612	796	219	1	205
23	सीसीआई	157	128	644	929	80	137	103
24	एचपीसी	461	199	1772	2432	257	201	199
25	एचएनएल	164	64	581	809	53	2	186
26	एचपीएफ	76	214	424	714	138	40	358
27	एचएसएल	16	34	60	110	13	8	24
28	एसएसएल	8	28	61	97	22	7	23
29	नेपा	156	844	231	1231	96	21	70
30	टीसीआईएल	26	6	116	148	13		
31	ईपीआईएल	309	91	19	419	75	18	53
32	एनपीपीसी	6	7	226	239	2	164	21
	कुल	**19620**	**13340**	**40847**	**88794**	**16086**	**8809**	**23556**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केंद्रीय सा.क्षे.उ. का नाम	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (संभावित)	2013-14 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	188.78	232.12	261.30	308.74	350.00
2	हुगली प्रिंटिंग	9.33	11.26	15.75	12.00	13.20
3	बीएचईएल	34154.00	43337.00	49510.00	47000.00	50000.00
4	बीबीयूएनएनएल	3.45	11.46	14.74	17.43	20.00
5	बीबीजे	104.31	136.98	155.80	287.00	380.00
6	बीएचपीवी	82.56	146.51	199.14	200.00	220.00
7	बीपीसीएल	281.94	209.09	158.30	280.00	342.00
8	आरएण्डसी	84.00	86.00	74.00	61.00	128.00
9	टीएसएल	3.13	1.92	1.88	1.71	2.02
10	टीएसपी	2.63	2.88	3.03	2.50	4.00
11	बीएण्डआर	1162.01	1328.97	1258.67	1550.00	1600.00
12	एचसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	एचईसी	537.72	700.55	687.74	722.77	896.68
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	169.65	187.24	182.98	184.50	213.2
15	एचएमटी (एमटी)	194.19	177.43	218.17	235.00	250
16	एचएमटी (वाचेज)	11.42	10.62	13.04	16.00	20
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.30	0.12	0.00	0.00	0
18	एचएमटी (बियरिंग)	5.62	11.24	14.64	12.04	15.85
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	30.80	27.88	32.40	44.00	44
20	आईएल	327.74	249.83	192.45	330.00	375.00
21	आरईआईएल	99.13	133.54	234.11	195.00	198
22	एसआईएल	148.76	184.76	228.73	239.98	242.44
23	सीसीआई	361.73	332.88	370.93	398.45	422.50
24	एचपीसी	618.73	579.17	705.38	710.97	872.49
25	एचएनएल	241.98	301.83	315.60	343.20	385.00
26	एचपीएफ	26.50	39.92	7.61	5.00	24.00
27	एचएसएल	19.66	13.22	8.98	15.81	13.13
28	एसएसएल	11.45	9.88	19.38	42.99	34.79
29	नेपा	54.39	103.58	230.94	148.10	219.02
30	टीसीआईएल	34.82	181.87	24.29	9.00	0.00
31	ईपीआईएल	1062.00	1103.69	901.27	950.00	1050.00
32	एनपीपीसी	.....	.....	.....	.....	.....
	कुल रू	**40032.73**	**49853.44**	**56041.25**	**54323.19**	**58335.32**

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन कें.सा.क्षे.उद्यमो का लाभ (+) हानि (-) (कर पूर्व)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केंद्रीय सा.क्षे.उ. का नाम	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (संभावित)	2013-14 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क) लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम						
1	एवाईसीएल	75.38	41.32	11.85	10.01	15.00
2	हुगली प्रिंटिंग	0.24	0.31	0.53	0.28	0.31
3	बीएचईएल	6591.00	9006.00	10302.00	8269.00	7793.00
4	बीएचपीवी	-8.60	8.78	10.44	6.32	13.38
5	बीपीसीएल	31.09	14.26	1.57	1.57	41.20
6	बीएंडआर	64.11	87.09	68.29	78.00	80.00
7	बीबीयूएनएल	0.54	0.02	0.11	0.11	0.02
8	बीबीजे	3.33	4.49	5.96	7.30	8.12
9	सीसीआई	52.75	27.13	19.43	23.11	24.94
10	ईपीआई	27.43	22.58	36.37	27.26	30.29
11	एचईसी	44.27	38.14	8.58	12.40	44.00
12	एचएनएल	-48.02	5.04	6.89	0.14	1.60
13	एचएमटी(इंटरनेशनल)	3.96	0.3	1.72	3.37	5.56
14	एचएसएल	0.03	-4.13	0.22	0.70	0.50
15	एसएसएल	0.02	-0.49	1.06	0.28	0.73
16	आईएल	333.62	-36.56	-67.69	2.56	9.00
17	आरईआईएल	2.00	6.25	27.45	10.50	8.93
उप जोड़ (क) लाभ कमाने वाली कंपनियां		**7173.15**	**9220.53**	**10434.78**	**8452.91**	**8076.58**
(ख) हानि उठाने वाले कें सा क्षे उद्यम						
18	टीएसपी	-25.77	-26.12	-28.75	-29.76	-29.30
19	आरएंडसी	-27.37	-21.55	-16.00	-22.00	-16.00
20	टीएसएल	-56.22	-53.18	-52.68	52.18	-54.01
21	एचसीएल	-459.32	-607.39	-648.27	-650.00	-660.00
22	एचपीसी	-63.30	-63.34	-95.20	-87.50	14.35
23	एचएमटी(धारक कंपनी)	-52.91	-79.24	-82.20	-104.30	-107.34
24	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-45.80	-93.06	-46.14	-39.82	-28.16
25	एचएमटी (बियरिंग)	-15.31	-21.32	-10.12	-7.49	-11.41
26	एचएमटी (वाचिज)	-168.35	-253.74	-224.04	-239.12	-273.12
27	एचएमटी (चिनार वाचिज)	-49.94	-45.40	-44.04	-44.57	-44.17
28	एचपीएफ	-1009.22	-1156.65	-1352.39	-1550.49	-1735.15
29	एसआईएल	-28.01	-17.11	-19.94	-15.31	-14.24
30	नेपा	-57.86	-70.29	-67.32	-78.76	-77.27
31	टीसीआईएल	-14.67	-13.23	-20.86	-13.00	0.00
32	एनपीपीसी	-14.38	-13.43	-11.90	-12.00	-13.14
उप जोड़ (ख) हानि उठाने वाली कंपनियां		**-2088.43**	**-2535.05**	**-2719.85**	**-2841.94**	**-3048.96**
कुल जोड़ (क एवं ख)		**5084.72**	**6685.48**	**7714.93**	**5610.97**	**5027.62**

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

क्रम सं.	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा मजदूरी						कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
	केंद्रीय सा.क्षे.उ. का नाम	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (संभावित)	2013-14 (लक्ष्य)	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (संभावित)	2013-14 (लक्ष्य)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एवाईसीएल	38.10	31.65	28.52	26.43	25.29	4.78	4.39	3.96	3.67	3.51
2	हुगली प्रिंटिंग	16.28	19.06	16.96	21.83	20.84	0.99	0.88	0.52	0.77	0.75
3	बीएचईएल	15.09	12.48	11.04	13.32	13.34	1.69	1.35	1.37	1.48	1.48
4	बीबीयूएनएनएल	31.50	15.00	10.60	8.00	7.50	2.10	1.20	1.20	1.20	1.20
5	बीबीजे	9.60	6.80	7.60	8.40	8.4	0.50	0.30	0.30	0.70	0.70
6	बीएचपीवी	42.13	34.03	30.72	17.54	16.75	7.00	5.84	6.10	3.70	3.30
7	बीपीसीएल	15.11	27.74	41.19	21.35	16.01	0.80	1.14	1.66	0.88	0.65
8	आरएण्डसी	2.00	2.00	2.00	2.00	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2
9	टीएसएल	252.00	221.00	196.00	190.00		16.00	18.00	15.00	15.00	
10	टीएसपी	81.02	62.03	76.46	84.80	56.00	33.40	22.39	30.89	31.40	19.00
11	बीएण्डआर	5.69	5.40	6.21	6.13	6.31	1.21	1.14	1.63	1.03	1.06
12	एचसीएल	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न		ला.न	ला.न	ला.न	ला.न	
13	एचईसी	25.80	21.20	22.97	18.68	16.71	1.90	1.70	1.31	1.09	1.09
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	35.28	41.68	46.54	35.16	29.65	3.74	3.67	4.69	3.52	2.97
15	एचएमटी (एमटी)	59.21	72.95	57.65	51.97	48.37	8.58	9.69	8.25	7.43	6.92
16	एचएमटी (वाचेज)	419.40	531.79	358.17	250.00	183.91	26.52	34.41	26.54	18.53	13.63
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	5.71	4.75	4.31	2.85	1.8	0.48	0.27	0.38	0.25	0.16
18	एचएमटी (बियरिंग)	104.39	48.69	26.36	29.65	25.55	5.41	3.31	2.11	2.37	2.04
19	एचएमटी(इंटरनेशनल)	10.32	12.64	15.03	14.66	13.64	0.71	1.00	0.74	0.73	0.68
20	आईएल	18.74	26.05	35.82	19.70	16	0.98	1.12	1.59	0.97	0.8
21	आरईआईएल	15.66	11.61	7.50	9.57	10.1	1.07	0.69	1.14	1.2	1.51
22	एसआईएल	33.97	21.09	13.74	12.21	11.48	2.52	2.20	1.28	1.14	1.07
23	सीसीआई	10.50	11.07	12.44	9.63	9.49	3.38	5.22	5.29	5.08	4.93
24	एचपीसी	20.25	18.10	17.19	17.72	14.43	10.43	6.17	5.94	1.29	1.2
25	एचएनएल	13.96	16.22	15.38	13.99	12.47	7.46	3.77	1.92	1.00	1.55
26	एचपीएफ	49.33	37.31	124.84	314.00	65.42	7.14	3.62	9.46	15.67	8.72
27	एचएसएल	20.59	34.00	56.86	48.00	56.44	1.14	1.91	2.83	2.92	3.54
28	एसएसएल	58.34	55.42	35.20	32.12	29.21	4.16	4.25	2.15	1.19	1.93
29	नेपा	24.37	16.14	17.11	26.94	18.55	0.40	0.42	2.77	5.00	2.00
30	टीसीआईएल	110.69	23.18	65.16	62.00		10.88	3.82	5.45	4.00	
31	ईपीआईएल	3.30	3.40	4.37	4.56	4.34	0.57	0.79	0.66	0.66	0.62
32	एनपीपीसी	6.88	7.02	7.45	7.95	8.45	2.83	2.82	2.96	3.46	3.96

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऑर्डर बुक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	के.सा.क्षे.उ.	1.10.2008 को	1.10.2009 को	1.10.2010 को	1.10.2011 को	1.10.2012 को
1	2		4	5	6	7
1	एवाईसीएल	69.10	39.98	49.43	80.16	80.73
2	हुगली प्रिंटिंग	1.50	0.75	6.72	7.59	1.63
3	बीएचईएल	104000.00	125800.00	154000.00	161000.00	122300.00
4	बीबीयूएनएनएल	14.99	159.63	183.97	51.18	38.14
5	बीबीजे	59.48	958.35	841.86	663.07	450.08
6	बीएचपीवी	262.17	144.83	211.38	409.27	357.59
7	बीपीसीएल	346.55	241.63	111.64	131.81	163.40
8	आरएण्डसी	74.00	103.00	87.00	92.12	35.44
9	टीएसएल	11.52	5.71	4.26	3.11	2.92
10	टीएसपी	0.17	0.19	2.28	0.07	0.52
11	बीएण्डआर	527.80	790.83	654.48	451.38	783.22
12	एचसीएल	4.18	3.40	0.06	0.00	0.00
13	एचईसी	1568.91	1735.01	1819.22	1619.80	1724.19
14	एचएमटी (धारक कंपनी)					
15	एचएमटी (एमटी)	**187.55**	151.80	160.48	238.50	285.90
16	एचएमटी (वाचेज)	.....	.....	.....	.....	.....
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	.....	.....	.....	.....	.....
18	एचएमटी (बियरिंग)	3.87	3.30	7.27	12.25	3.25
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	16.06	10.69	7.95	14.01	18.47
20	आईएल	248.84	335.00	380.55	379.69	241.36
21	आरईआईएल	27.25	36.15	64.25	184.04	100.9
22	एसआईएल'	.....	.....	.....	.....	.....
23	सीसीआई	24.36	21.46	16.38	27.36	26.01
24	एचपीसी	213.76	144.28	134.31	412.84	473.74
25	एचएनएल	.....	.....	.....	.....	.....
26	एचपीएफ	2.50	5.00	2.00	7.00	6.00
27	एचएसएल	17.88	17.63	11.11	3.17	2.86
28	एसएसएल	4.96	0.50	1.03	10.34	14.76
29	नेपा	95.00	97.00	63.70	108.00	
30	टीसीआईएल	0.00	0.72	3.63	9.85	3.75
31	ईपीआईएल	2131.26	4451.70	4434.20	4590.86	3383.83
32	एनपीपीसी	.....	.....	.....	.....	.....
	कुल	**109913.66**	**135258.54**	**163259.16**	**170507.47**	**130498.69**

*वस्तुओं को स्टॉक और बिक्री के लिए उत्पादित किया जाता है।

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं	सा.क्षे.उ.	2008-09 (वास्तविक)			2009-10 (वास्तविक)			2010-11 (वास्तविक)			2011-12 (वास्तविक)			2012-13 (संभावित)		
		वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	एवाईसीएल	3.30		**3.30**	1.33		**1.33**	1.95		**1.95**	1.19		**1.19**	2.50		**2.50**
2	भेल	1794.00	6346.00	**8140.00**	1682.00	14527.00	**16209.00**	1408.00	16429	**17837.00**	1464.00	23525.00	**24989.00**	2490.00	18537.00	**21027.00**
3	बीबीयूएनएल	0.11		**0.11**	0.02		**0.02**	0.11		**0.11**	0.00		**0.00**			**0.00**
4	बीपीसीएल	0.00	0.15	**0.15**		4.66	**4.66**	42.79	35.20	**77.99**		13.16	**13.16**		20.00	**20.00**
5	बीएंडआर	13.82	0.00	**13.82**	33.22		**33.22**	7.24		**7.24**	3.74		**3.74**	10.00		**10.00**
6	एचईसी		18.00	**18.00**				23		**23.00**				400.00		
7	एचएमटी(आई)	16.36	0.00	**16.36**	30.80		**30.80**	27.88		**27.88**	32.40		**32.40**	44.00		**44.00**
8	आईएल	1.01	9.80	**10.81**	0.67	16.32	**16.99**	0.22	21.60	**21.82**	0.19	34.86	**35.05**	0.20	40.00	**40.20**
9	आरईआईएल	0.81	1.97	**2.78**	0.02	2.60	**2.62**	0.04		**0.04**	0.26		**0.26**	0.50		**0.50**
10	एसआईएल	0.43	0.00	**0.43**	0.24		**0.24**	0.25		**0.25**	0.59		**0.59**	0.75		**0.75**
11	एचएसएल	0.79	0.00	**0.79**	0.28		**0.28**	1.03		**1.03**	0.59		**0.59**	1.21		**1.21**
	कुल	**1830.63**	**6375.92**	**8206.55**	**1748.58**	**14550.58**	**16299.16**	**1512.51**	**16485.80**	**17998.31**	**1502.96**	**23573.02**	**25075.98**	**2949.16**	**18597.00**	**21146.16**

टिप्पणी : (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है और एक (एनपीपीसी) प्रचालन में नहीं है)

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त / सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय / इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-X

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि (-) (अनंतिम)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कें.सा.क्षे.उ	प्रदत्त पंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकार/धारक कें.सा.क्षे.उ	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	60.86	4.37	136.18	-39.18
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		3.65	0.92
3	बीएचईएल	331.51	158.01	25373.00	24883.00
4	बीबीयूएनएनएल	120.86		121.72	0.86
5	बीबीजे	20.27		30.11	9.85
6	बीएचपीवी	33.79		-219.31	-253.13
7	बीपीसीएल	53.53		131.68	56.78
8	आरएण्डसी	54.84		-372.87	-413.83
9	टीएसएल	21.27		-665.71	-686.98
10	टीएसपी	6.69	1.75	-339.82	-348.25
11	बीएण्डआर	54.63	0.36	257.20	202.22
12	एचसीएल	417.69	1.67	-4427.55	-4903.65
13	एचईसी	606.08		-171.77	-894.61
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	760.35	8.51	535.81	-667.54
15	एचएमटी (एमटी)	719.60		-158.01	-900.32
16	एचएमटी (वाचेज)	6.49		-1770.18	-1776.67
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.66		-431.14	-432.80
18	एचएमटी (बियरिंग)	37.71	0.24	-74.85	-112.56
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72		26.70	25.98
20	आईएल	146.05		-38.59	-166.67
21	आरईआईएल	6.00	6.25	47.66	35.41
22	एसआईएल	51.01	2.47	-67.99	-121.57
23	सीसीआई	769.65		-165.25	-961.67
24	एचपीसी	662.70		674.78	-35.09
25	एचएनएल	100.00		199.03	99.03
26	एचपीएफ	186.67	19.18	-9337.24	-9565.43
27	एचएसएल	25.56		22.46	-11.54
28	एसएसएल	1.00		-3.74	-15.77
29	नेपा	103.61	4.24	-558.01	-665.98
30	टीसीआईएल	29.63		7.13	-47.17
31	ईपीआईएल	35.42	0.0071	176.73	128.14
32	एनपीपीसी	11.39	0.63	-71.76	-83.93
	कुल :	**5438.27**	**207.69**	**8870.05**	**2337.85**

टिप्पणी (i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों अर्थात बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, टैफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएमएसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल को बंद कर दिया गया है।

(ii) ब्रेथवेट और बीएससीएल को अगस्त/सितंबर, 2010 के दौरान रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

अनुबंध-XI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत राशि

31.03.2012 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	ताज़ा भा.स निधियां		माफी/ कन्वर्जनस	भा.स.गारंटी	कुल
		पूंजी निवेश	अन्य			
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60
2.	ब्रिज एंड रूपफ कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	60.00	शून्य	42.92	शून्य	.9202
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	शून्य	शून्य	54.61	शून्य	54.61
4.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद आंध्र प्रदेश	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71
5.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची	102.00	शून्य	1116.30	150.00	1368.30
6.	एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड, हैदराबाद	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91
8.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑपफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24
9.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद	शून्य	3.37	153.15	शून्य	156.52
10.	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	180.00	543.00	157.80	—	880.80
11.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	29.56	87.06	154.75	111.96	383.33
12.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	—	1.81	240.05	—	241.86
13.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड *	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42
14.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	815.59	—	815.59
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	—		504.36	45.00	549.36
16.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमि.	—	25.43	1139.51	—	1164.94
17.	एचएमटी लि.	38.00	शून्य	शून्य	शून्य	38.00
18.	नेपा लिमिटेड	157.00	77.18	930.14	शून्य	1164.32
	कुल	**869.17**	**929.66**	**7071.33**	**625.64**	**9495.80**

शेयर की फेस वैल्यू को घटकर रू 1000 प्रति शेयर से ₹ 100 प्रति शेयर होने से वर्तमान प्रदत्त पूंजी घटकर ₹ 120.20 करोड़ से ₹ 12.02 करोड़ हो जाने के कारण लघुकरण कोष की स्थापना के लिए ₹ 108.18 करोड़

अनुबंध-XII

वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां

वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट सं. 3 का अध्याय - XIV और 2012–13 की रिपोर्ट सं. 8 का अध्याय -IX भारी उद्योग विभाग से संबंधित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि.

1. **अनुलाभ कर की गैर वसूली**

   भेल के प्रबंधन ने आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रू 36.72 करोड़ के अनुलाभ कर के भुगतान को अधिकृत किया था जो कि संबंधित बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के ऊपर थी।

   (2011–12 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं.14.1)

2. **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अतिरिक्त उपार्जन और भत्तों पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अनुपालना।**

   लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भेल ने 2001–02 से 2008–09 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को अनुलाभों और भत्तों के भुगतान पर रू 359.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

   (2011–12 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं.14.3)

   भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

3. **लेखा परीक्षा की टिप्पणी पर वसूलियां**

   भेल द्वारा ग्राहकों से फ्रेट पर सेवा कर न लेना और एचपीसीएल द्वारा स्टॉकिस्टों को निविदा प्रक्रिया के दौरान तय दरों की अपेक्षा कम पर कागज की आपूर्ति करके अवांछित लाभ पहुंचाना।

   (2011–12 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 14.4)

4. **निविदा दस्तावेजों में सीमांकन उपबंध शामिल करने के कारण परिहार्य व्यय**

   बायलर क्षैतिज पैकेजों के लिए निविदाओं में सीमांकन उपबंध की स्वीकार्यता/जोड़ने के कारण कंपनी ने प्रतिस्पर्द्धी दरों के लाभ से स्वयं को वंचित कर लिया और उसे रू 27.77 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

   (2012–13 की रिपोर्ट सं. 8 का पैरा 9.1)

5. **विक्रेता आधार के गैर विविधीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय**

   कंपनी को अपने विक्रेता आधार में एक जाने पहचाने विक्रेता को जोड़ने में प्रबंधन की तरफ से दिखाई गई ढील के कारण कंपनी ने रू 11.50 करोड़ की बचत का मौका गंवा दिया।

   (2012–13 की रिपोर्ट सं. 8 का पैरा 9.2)

6. **लागत अनुमान की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण अतिरिक्त व्यय**

   भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अपनी 'कार्य नीति'' की अनुपालन और लागत अनुमान की व्यवस्था की अपर्याप्तता के कारण उसे प्रतिस्पर्द्धी दरों का लाभ नहीं मिल सका और सूडान में एक कार्य में रू 8.64 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

   (2012–13 की रिपोर्ट सं. 8 का पैरा 9.3)

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एसीएमए	ऑटोमोटिव संघटक विनिर्माता संघ
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाईसीएल	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीईएमएल	भारत इलैक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
ईसीसीओ	इलैक्ट्रिकल कंस्ट्रक्षन कम्पनी
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी
सीसीईए	केविनेट कमेटी ऑन इक्नोमिक एफेयरस
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड

सीपीएसई	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सीपीआईओ	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
सीपीएलवाई	पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि
सीएसआर	कारपोरेट सोषल रिस्पांसिबिलिटी
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
डीजीसीआईएस	डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्षियल इंटेलिजेंस एण्ड स्टेटीस्टिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईएफवी	इनवायरलमेंटल पफरेन्डली व्हीकल
ईओटी	इलेक्ट्रिली आपरेटेड ट्रॉली
ईपीसी	इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबुस्शन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईएल	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र
आईसीइएमए	इंडियन कंस्ट्रक्षन इक्विपमेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएषन

आईएमटीएमए	इंडिया मषीन टूल्स मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएषन
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उपक्रम कंपनी
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालनकर्ता एजेंसी
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएंडपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमओपीएनजी	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओएसआरटी एंड एच	नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
नैट्रिप	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएण्डडी अवसंरचना परियोजना
एनइएमएमपी	नेषनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिस प्लांट

पीएसई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम
पीएमएमएआई	प्लास्टिक मोल्डिंग मषीनरी एसोसिएषन ऑफ इंडिया
पीपीएमएआई	प्रोसेस प्लांट एण्ड मषीनरी एसोसिएषन ऑफ इंडिया
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएएम	भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसआईएटी	अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठि
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
एसएसआई	स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीएजीएमए	टूल्स एण्ड गेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएषन ऑफ इंडिया
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएमएमए	टूल्स एण्ड गेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएषन ऑफ इंडिया
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
वीआरडीई	वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूपी	कार्यशील पार्टी

लोक उद्यम विभाग

दृष्टिकोण

सुदृढ़ और प्रभावशाली लोक उद्यमों की स्थापना के लिए नीतियां, सुधार कार्यक्रम, दिशा-निर्देश और कार्य प्रणाली विकसित करना।

मिशन

"पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन में निरंतर सुधार करना, लक्ष्य निर्धारण और निष्पादन की समीक्षा, विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने, कार्पोरेट गवर्नेंस और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और रूग्ण यूनिटों के पुनरूद्धार के लिए संस्थागत प्रणाली सुदृढ़ करना।"

अध्याय

1 लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वर्ष देश के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन से संबंधित व्यापक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहते हैं।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959–60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष एक अलग समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो और यह रिपोर्ट उसी सिफारिश के अनुपालन में तैयार की जाती है। तदनुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960–61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियों अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप से स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियाँ ही शामिल हैं, जिनकी चुकता पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। बहरहाल, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, यथा विषय क्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों के वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण का समय तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण सम्बन्धी अन्य मामलों पर टिप्पणी दी थी। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

1.5 सर्वेक्षण हेतु आधारभूत आंकड़े सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों से ऑन–लाइन प्राप्त किए जाते हैं जिसका केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की वार्षिक रिपोर्टों के साथ मिलान किया जाता है और उसका विधिमान्यकरण किया जाता है। बाद में इस प्रकार संकलित ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और रिपोर्ट के रुप में दो पृथक खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

1.5.1 खण्ड–1–में व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का वृहत् मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यम के प्रमुख क्रियाकलापों तथा विवेच्य वर्ष में की गई प्रगति का पर्यावलोकन किया जाता है। इसमें मूल्य नीति, उत्पादकता, अनुसंधान एवं विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, मानव संसाधन विकास तथा कल्याण के उपाय जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

1.5.2 **खण्ड–2**–में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का सजातीय समूहवार तथा पुनः पृथक–पृथक उद्यमों के निष्पादन का विश्लेषण शामिल किया जाता है। इसमें गत तीन वर्षों के व्यापार, प्रचालन परिदृश्य, प्रमुख वित्तीय उपलब्धियों तथा वास्तविक निष्पादन से संबंधित उद्यम–वार विश्लेषणात्मक ऑकड़े होते हैं। इस जानकारी में संक्षिप्त तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात भी शामिल होते हैं।

2010–11 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादकता

1.6 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2010–11), जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन से सम्बन्धित 51वीं रिपोर्ट थी, बजट सत्र 22 मार्च, 2012 के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था।

1.7 वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

1.7.1 31.3.2011 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 248 केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सीपीएसईएस) थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 248 उद्यमों में से 220 उद्यम प्रचालन में रहे हैं और 28 उद्यमों को अभी प्रचालन प्रारंभ करना है।

1.7.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 220 प्रचालनरत उद्यमों में से 158 उद्यमों ने वर्ष 2010–11 के दौरान लाभ दर्शाया है और 62 उद्यमों ने विवेच्य वर्ष के दौरान घाटा उठाया है।

1.7.3 31.3.1951 तक 5 उद्यमों में संचयी निवेश (चुकता पूँजी तथा दीर्घकालिक ऋण) 29 करोड़ रुपए था जो 31.3.2011 तक बढ़कर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 248 उद्यमों में 666848 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि 2009–10 की तुलना में 2010–11 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में 'निवेश' में 14.82% की वृद्धि हुई तथापि इसी अवधि के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 4.57% की वृद्धि (तालिका–I) हुई। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिकतम निवेश आन्तरिक संसाधनों से अर्थात बजटीय सहायता के बिना किया जा रहा है।

1.7.4 वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभार्जनकारी उद्यमों (158) का 'निवल लाभ' 113770 करोड़ रुपये रहा। विवेच्य वर्ष में घाटा उठाने वाले उद्यमों (62) का 'निवल घाटा' 21,693 करोड़ रुपए रहा।

1.7.5 केन्द्रीय सरकारी उद्यम वित्तीय उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य वृहत आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (ए.एल.आई.एम.सी.ओ.) आदि ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं जो गैर–वित्तीय/सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर जोर देते हैं। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से काफी कम राशि प्राप्त हुई क्योंकि घरेलू बाजार में इनका मूल्य कम रखा जाना था।

1.7.6 वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन से सम्बन्धित मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं :–

तालिका–1 : वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

(करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2009-10	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
1.	निवेश (दीर्घकालिक ऋण + इक्विटी)	666848	580784	14.82
2.	नियोजित पूंजी अअचल परिसम्पत्तियां + कार्यशील पूंजी)	949499	908007	4.57
3.	कुल कारोबार	1473319	1244805	18.36
4.	लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लाभ	113770	108434	4.92
5.	हानि उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की हानि	21693	16231	33.65
6.	निवल मूल्य	715084	652993	9.51
7.	घोषित लाभांश	35681	33223	7.40
8.	नैगम कर	43369	38134	13.73
9.	प्रदत्त ब्याज	38997	36059	8.15
10.	केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	156124	139918	11.58
11.	विदेशी मुद्रा अर्जन	97004	84224	15.17

1.8 लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011–12 के संकलन का कार्य जारी है और इसे फरवरी, 2013 में बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.9 आरएफडी लक्ष्य – 2010–11 का सर्वेक्षण डाटा, प्रयोक्ता सुविधा अनुसार डीपीई वेबसाइट पर 26.03.2012 को डाला गया था.

1.10 राज्य स्तरीय लोक उद्यम

राज्य स्तरीय लोक उद्यम सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने में मददगार होते हैं। चूंकि अनेक सरकारी सुविधाएं (बुनियादी क्षेत्रों में) संविधान की राज्य सूची के अन्तर्गत आती हैं.

अनेक राज्यों ने राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के माध्यम से विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश किया है. राज्य स्तरीय लोक उद्यम वित्त क्षेत्र में भी हैं और वे पुनर्वित्त की सुविधाएं शीर्ष संगठनों जैसे नाबार्ड, सिडबी, हडको, पिछड़ा वर्ग/एससी/एसटी वित्त निगमों से लेते हैं और अपने–अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लक्षित ग्रुपों/लाभार्थियों को रियायती दरों पर देते हैं. संवर्धनात्मक संस्थानों के रूप में, वे डेयरी, मुर्गी पालन, मत्सय पालन, एचवाईवी बीजों, दस्तकारी, हैंडलूम, पावरलूम और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए विभाग द्वारा लाए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण की तर्ज पर राज्य सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन पर एक समेकित रिपोर्ट की आवश्यकता महसूस की। योजना आयोग ने तदनुसार लोक उद्यम विभाग से ऐसी रिपोर्ट लाने का अनुरोध किया। तदनुसार, राज्य सरकारी उद्यमों पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2006–07) लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2009 में लाया गया। इसके बाद एसएलपीई पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2007–08) हुआ जो माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम)द्वारा 16 मई, 2012 को जारी किया गया।

द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण देश भर के विभिन्न एसएलपीई से संकलित डाटा (ऑन लाइन) पर आधारित है। 849 एसएलपीई में से 579 एसएलपीई ने अपने एसएलपीई के कार्य निष्पादन पर सूचना मुहैया कराई। वर्ष 2008–09 और 2009–10 के संबंध में एसएलपीई पर तीसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण तैयार करने का कार्य चल रहा है।

1.11 राज्य स्तर लोक उद्यमों में कार्यपालकों/कर्मचारियों के कौशल विकास/प्रशिक्षण के संबंध में स्कीमें

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लोक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिवों की स्थायी समिति ने दिनांक 10.12.2008 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सिफारिश की थी कि भारत सरकार को राज्य स्तर के लोक उद्यम के कार्यपालकों तथा कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रों में उनके कौशल विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करनी चाहिए। तदनुसार लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2009 में एक प्रस्ताव (योजना स्कीम के रूप में) योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग ने इसके बाद लोक उद्यम विभाग की वार्षिक योजना 2012–13 के लिए इस स्कीम के लिए 1.00 करोड़ रुपये की टोकन धनराशि प्रदान की। इस स्कीम के अंतर्गत सितंबर, 2012 तक तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः भोपाल, दिल्ली तथा शिमला में आयोजित किए गए।

1.12 अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी) के संदर्भ में स्कीमें

लोक उद्यम विभाग की आरडीसी योजना स्कीम के अंतर्गत सर्वेक्षण यूनिट ने वर्ष 2011–12 के दौरान (सितंबर, 2012 तक) निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया :

1.12.1 राज्यों/संघ शासित राज्यों में लोक उद्यम विभाग के सचिवों की स्थायी समिति की बैठक 27 और 28 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और दोबारा 18 मई,2012 को निम्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी।

(क) राज्य स्तरीय लोक उद्यमों पर अगला राष्ट्रीय सर्वेक्षण जिसमें वित्त वर्ष 2008–09 और 2009–10 को शामिल किया जाएगा,की व्यापक रूपरेखा का अनुमोदन

(ख) नैगम अभिशासन सुधार

(ग) राज्य स्तरीय लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली का क्रियान्व्यन

(घ) राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की नई योजना

1.12.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर राज्य स्तरीय लोक उद्यमों पर चण्डीगढ़, गंगटोक और सिक्किम में क्रमशः 11 और 12 अगस्त, 2011 और 6 जून, 2012 को कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। बैठक के दौरान चर्चित विषयों में एमआईएस, राज्य स्तरीय लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली, नैगम अभिशासन सीआरआर,मजूरी वार्ता और बीआरपीएसई शामिल थे।

1.12.3 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए भी एक कार्यशाला 22 अगस्त, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का विषय 'संशोधित अनुसूची–VI के परिणामस्वरूप लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011–12 हेतु संशोधित डाटा शीट फार्मेट'था।

अध्याय

2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

2.1. सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। कंपनी के बाहय नियमों के तहत, सरकारी उदयम का निदेशक मंडल बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा–निर्देशों के अध्याधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को नीचे लिखे अनुसार अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 महारत्न योजना

2.2.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना की शुरूआत की थी जिससे तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले उद्यमों की पहचान की जा सके तथा विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने के अभियान में उनकी सहायता की जा सके। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडलों को (प)पूंजीगत व्यय (पप)संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (पपप) विलयन व अधिग्रहण (पअ) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.2.2 नवरत्न का दर्जा प्रदान करने संबंधी वर्तमान मानदण्ड आकार–निरपेक्ष है। पिछले वर्षों के दौरान, कुछ नवरत्न कंपनियां बहुत बड़ी बन गईं और अपने समकक्षों की तुलना में कारोबार बहुत अधिक कर लिया। नवरत्न श्रेणी में ऊपरी पायदान पर आने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और जिनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) बन पाने की क्षमता है उन्हें एक पृथक वर्ग अर्थात महारत्न के रुप में रखना चाहिए। ऊंचे दर्जे के कारण अन्य नवरत्न कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें ब्राण्ड–मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों को अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

2.2.3 महारत्न योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के वृहताकार उद्यमों को अपने प्रचालन–क्षेत्र का विस्तार करने तथा विश्वस्तरीय कंपनी बनने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करना है। महारत्न योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को शक्तियाँ प्रदान करेगी जिससे वे अपने प्रचालन का विस्तार कर सकें और विश्व स्तरीय स्वरुप धारण कर लें।

2.2.4 निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जाएगाः–

(क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो;

(ख) सेबी के विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का रहा हो;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसकी औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की रही हो;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कर पश्चात निवल लाभ का औसत 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का रहा हो; और

(च) वैश्विक बाजार/अंतरराष्ट्रीय प्रचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो;

2.2.5 महारत्न का दर्जा प्रदान करने और इसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया नवरत्न उद्यमों के मामले में लागू प्रक्रिया के समान है।

2.2.6 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के महारत्न उद्यमों के निदेशक मंडल नवरत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश करने तथा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पदों का सृजन करने के क्षेत्र में अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। महारत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को (क) भारत अथवा विदेशों में संयुक्त वित्तीय उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने और उनकी स्थापना करने (ख) भारत अथवा विदेशों में संविलयन व अधिग्रहण का कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी, परन्तु शर्त यह होगी कि किसी एक परियोजना में निवेश संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15 प्रतिशत से तथा 5000 करोड़ रुपये की परम सीमा (नवरत्न उद्यमों के मामले में 1000 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं हो। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं में इक्विटी निवेश तथा संविलयन व अधिग्रहण से संबंधित व्यय संबद्ध केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन हो। साथ ही, महारत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे ई–9 स्तर तक के पदों का सृजन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

2.2.7 वर्तमान में सात महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं– (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (ii) कोल इण्डिया लिमिटेड (iii) गेल (इण्डिया) लि. (iv) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (v) एन.टी.पी.सी. लि. (vi) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि. तथा (vii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि. और गेल इंडिया लि. को वर्ष 2012–13 के दौरान महारत्न का दर्जा दिया गया है।

2.3 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.3.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो तुलनात्मक रूप से अनुकूल हैं, विश्व स्तरीय स्वरूप धारण कर पाने में सक्षम हैं। वर्तमान में 14 नवरत्न उद्यम हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

(i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.

(ii) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

(iii) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

(iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

(v) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(vi) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि

(vii) नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड.

(viii) एन. एम. डी. सी. लि.

(ix) आयॅल इण्डिया लि.

(x) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.

(xi) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

(xii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

(xiii) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.

(xiv) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

2.3.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को वर्तमानतः निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं :–

(i) **पूंजीगत व्यय** :– केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद करने अथवा प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम तथा रणनीतिक गठबंधनः–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने अथवा रणनीतिक गठबंधन करने की शक्ति प्राप्त है और साथ ही वे क्रय अथवा अन्य व्यवस्था के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) **संगठनात्मक पुनर्गठन** :– केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को लाभ केन्द्रों की स्थापना करने, भारत तथा विदेशों में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्रों की स्थापना करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करने की शक्ति प्राप्त है।

(iv) **मानव संसाधन प्रबंधन** :– नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को गैर–निदेशक मण्डल स्तर तक के सभी पदों का सृजन व समापन करने तथा इस स्तर तक की सभी नियुक्तियाँ करने की शक्ति प्राप्त है। इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को आन्तरिक स्थानान्तरण करने तथा पदों का पुनः नामकरण करने की भी शक्ति सौंपी गई है। नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मामले में मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियाँ उद्यम के निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा उद्यम के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त हैं।

(v) **संसाधन संग्रहण** :– इन सरकारी उद्यमों को घरेलू पूँजी बाजार से ऋण प्राप्त करने तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आर बी आई/आर्थिक कार्य विभाग, जैसा अपेक्षित हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) **संयुक्त उद्यम तथा सहायक कम्पनियाँ** :– केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को भारत और विदेशों में वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की शक्ति इस शर्त पर प्रत्यायोजित की गई है कि उनमें इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगाः–

(i) किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए,

(ii) किसी एक परियोजना में केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% तक

(iii) सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में पूंजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक हो।

(vii) **संविलयन तथा अधिग्रहणः–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियाँ इन शर्तों के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की गई हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कम्पनी के कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में हो (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना से संबंधित शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी और (iii) विदेशों में किए जाने वाले निवेश की सूचना आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को दी जाएगी। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इससे संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(viii) **सहायक कम्पनियों में सृजन/विनिवेशः–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को सहायक कम्पनियों की परिसंपत्तियाँ अंतरित करने, नई इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा शेयरधारिता का विनिवेश करने की शक्ति प्राप्त है बशर्ते कि ऐसा प्रत्यायोजन उन सहायक कम्पनियों के मामले में किया जाए जो नवरत्न उद्यमों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अधीन धारक कम्पनी द्वारा स्थापित की गई हो और साथ ही संबंधित सरकारी उद्यम (सहायक कम्पनी सहित) के सरकारी स्वरूप में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और नवरत्न उद्यमों को अपनी सहायक कम्पनियों से पृथक होने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ix) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे** :– केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों का (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी इत्यादि को छोड़कर) अनुमोदन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

2.3.3 उपरिवर्णित शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तों तथा मार्गनिर्देशों के अध्याधीन हैः

(क) प्रस्ताव अनिवार्य तौर पर लिखित रूप में तथा पर्याप्त समय–पूर्व निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और साथ ही उसमें संबद्ध कारकों के विश्लेषण तथा अनुमानित परिणामों व लाभों का समावेश किया जाए। यदि कोई

जोखिमपूर्ण कारक हो तो उसका आवश्यक तौर पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

(ख) जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, खासकर यदि वे पूँजीनिवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूँजीगत पुनर्गठन से सम्बन्धित हों, तो सरकारी निदेशक, वित्त निदेशक तथा सम्बन्धित कार्यकारी निदेशक अनिवार्य तौर पर उपस्थित हों।

(ग) ऐसे प्रस्ताव के मामले में निर्णय अधिमानतः सर्वसम्मति से लिए जाएँ।

(घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लिया जा सके तो बहुमत से निर्णय किया जाए, परन्तु ऐसा निर्णय लेते समय उपरिलिखित निदेशकों सहित कम–से–कम दो तिहाई निदेशक अवश्य उपस्थित हों। आपत्तियों, असहमति, उन्हें निरस्त करने और कोई निर्णय लिए जाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्डबद्ध किया जाए और उन्हें कार्यवृत में शामिल किया जाए।

(ङ) सरकार द्वारा किसी प्रकार की बजटीय सहायता अथवा कोई आकस्मिक देनदारी अन्तर्ग्रस्त न हों।

(च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम निदेशक मण्डल की एक लेखापरीक्षा समिति की स्थापना करने और उस समिति में गैर–सरकारी निदेशकों को सदस्यता प्रदान करने सहित आंतरिक निगरानी की एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करेंगे।

(छ) पूँजीगत व्यय, पूँजीनिवेश अथवा पर्याप्त वित्तीय या प्रबन्धकीय प्रतिबद्धताओं वाले अन्य मुद्दों से सम्बन्धित अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यम की संरचना एवं कार्यचालन पर दीर्घावधिक प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्ताव व्यावसायिकों या विशेषज्ञों द्वारा तथा उनकी सहायता से तैयार किए जाएँ तथा उपयुक्त मामलों में उनका मूल्यांकन वित्तीय संस्थानों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक संगठनों द्वारा किया जाए। वित्तीय मूल्यांकन में मूल्यांकन संस्थानों को ऋण या इक्विटी सहभागिता के माध्यम से शामिल करने को वरीयता दी जानी चाहिए।

(ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा रणनीतिक गठबन्धन करने सम्बन्धी प्राधिकार का प्रयोग सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(झ) प्रत्यायोजित किए गए अधिक प्राधिकार के प्रयोग के पूर्व प्रथम चरण के तौर पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों में कम–से–कम चार गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ञ) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारण्टी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संसाधन उनके आंतरिक स्त्रोतों अथवा पूँजी बाजार सहित अन्य स्त्रोतों से जुटाए जाने चाहिए। बहरहाल, जिन मामलों में बाह्य ऋणदाता अभिकरणों की मानक शर्तों के अनुसार सरकारी गारंटी अपेक्षित हो उन मामलों में यह गारण्टी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसी सरकारी गारण्टी से नवरत्न का दर्जा प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित की प्रायोजित परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली बजटीय सहायता के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी उद्यम नवरत्न का अपना दर्जा बनाए रखने से वंचित नहीं होंगे। बहरहाल, ऐसी परियोजनाओं के लिए पूँजीनिवेश करने के बारे में निर्णय सरकार द्वारा किए जाएंगे न कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा।

2.3.4 इंजीनियर्स इंडिया लि., एन.एच.पी.सी. लि. और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2.4 मिनीरत्न योजना

2.4.1 अक्तूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियाँ हैं, श्रेणी–I तथा श्रेणी–II । इनसे सम्बन्धित पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:–

(i) **श्रेणी–I** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए और इन तीन वर्षों में कम–से–कम किसी एक वर्ष में उनका कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक होना चाहिए तथा उनका निवल मूल्य घनात्मक होनी चाहिए।

(ii) **श्रेणी–II** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विगत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए तथा उनकी निवल परिसम्पत्ति घनात्मक होनी चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकार को देय किसी ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की हो।

(iv) ये सरकारी उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकार की गारण्टी पर निर्भर नहीं करेंगे।

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा प्राधिकार के अधिक प्रत्यायोजन का प्रयोग करने के पूर्व निदेशक मण्डलों में कम–से–कम तीन गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय करेगा कि अधिक शक्तियों के प्रयोग के पूर्व केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II की अपेक्षाएँ पूरी करता है या नहीं।

2.4.2 फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निर्णय करने के मामले में निम्नलिखित प्राधिकार प्रायोजित किए गए हैं:–

(i) **पूंजीगत व्यय**

(क) **श्रेणी–I के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए :–** नई परियोजना, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए, अथवा अपनी निवल मूल्य के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ख) **श्रेणी–II के केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लिए:–** नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के बिना 250 करोड़ रुपए, अथवा अपने निवल मूल्य के 50% के तुल्य, इनमें जो कम हो, पूँजीगत व्यय करना।

(ii) **संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनियाँ**

(क) **श्रेणी–I** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमः भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना करना कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15% अथवा 500 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं में ऐसा पूँजीनिवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं हो।

(ख) **श्रेणी–II** के केन्द्रीय सरकारी उद्यमः भारत में इस शर्त पर संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों की स्थापना कर सकते हैं कि किसी एक उद्यम में इक्विटी निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 15% अथवा 250 करोड़ रुपए, इनमें जो कम हो, से अधिक नहीं हो। सभी परियोजनाओं में ऐसा निवेश केन्द्रीय सरकारी उद्यम की निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं हो।

(iii) **संविलयन तथा अधिग्रहण :–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मण्डलों को संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हैं बशर्ते कि (क) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना के अनुरूप तथा उसके कार्यचालन से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्र में हो, (ख) इस सम्बन्ध में शर्तें वही लागू होंगी जो संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों की स्थापना के मामले में लागू होती हैं, और (ग) विदेशों में किए गए पूँजीनिवेश के बारे में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति को सूचित किया जाए। साथ ही, संविलयन तथा अधिग्रहण से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि इससे सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(iv) **मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजना :–** कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबन्धन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना इत्यादि से सम्बन्धित स्कीमें तैयार करना और कार्यान्वित करना। इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से

नीचे के कार्यपालकों के सम्बन्ध में मानव संसाधन प्रबन्धन (नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से सम्बन्धित शक्तियाँ निदेशक मण्डल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, प्रत्यायोजित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(v) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे :–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठियों से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन :–** समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अध्याधीन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक गठबन्धन में भागीदारी करना और खरीद अथवा अन्य व्यवस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करना।

(vii) **सहायक कम्पनियों में विनिवेश/सृजन :–** सहायक कम्पनियों को परिसम्पत्तियाँ, अंतरित करना, उनमें नई इक्विटी का निवेश करना तथा उनकी शेयरधारिता का अंतरण करना, बशर्ते कि प्रत्यायोजन मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत धारक कम्पनी द्वारा स्थापित सहायक कम्पनियों के मामले में किया गया हो और साथ ही सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम (सहायक कम्पनी सहित) के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सरकारी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और सरकारी क्षेत्र के ऐसे मिनीरत्न उद्यमों के लिए अपनी सहायक कम्पनियों से अलग होने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2.4.3 शक्तियों के उपरोक्त प्रत्यायोजन के मामले में वही शर्तें लागू होंगी जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में लागू होती है।

2.4.4 वर्तमान में 68 मिनिरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं (श्रेणी–I में 52 तथा श्रेणी–II में 16) उद्यम हैं। इन 68 मिनीरत्न उद्यमों की सूची परिशिष्ट–II पर संलग्न है।

2.4.5 संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि उनके संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण में मौजूदा मिनीरत्न सीपीएसयू निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते रहें।

2.5 अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.5.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने पूर्ववर्ती 3 लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल मूल्य घनात्मक हो, उन्हें "अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यम" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं :–

(i) **पूँजीगत व्यय–** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को सरकार के अनुमोदन के बिना 150 करोड़ रुपए अथवा अपने निवल मूल्य के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:–

(क) प्रासंगिक परियोजना को अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में शामिल करना और उसके व्यय के लिए प्रावधान करना।

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कम्पनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और धनराशि सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही खर्च की जाए।

(ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे:–** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपातस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक के मामले सहित अन्य सभी मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

2.6 23 अक्तूबर, 2012 को चयनित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बैठक

2.6.1 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री द्वारा की गई पहल के अनुसरण में, माननीय प्रधानमंत्री के साथ 20 से अधिक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक 23 अक्तूबर, 012 को आयोजित की गई।

2.6.2 बैठक में, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया था। प्रधानमंत्री ने भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को इस पहल को करने के लिए बधाई दी और इच्छा व्यक्त की कि इस बातचीत को नियमित रूप से किया जाए। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल सचिव से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सभी कार्मिक एवं परिचालन संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने और उनके समाधान को सुनिश्चित करने के लिए कहा और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अपने सरप्लस निधियों को अपनी कंपनी और साथ ही अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रयोग करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को संचालन की क्षमता को बढ़ाने और विश्व स्तर की स्पर्धात्मकता प्राप्त करने को अपना लक्ष्य बनाने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया दिया कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और प्रबंधन दक्षता के प्रयोग में नवीनता जो परिवर्तनशीलता के निर्माण के लिए आवश्यक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाना चाहिए।

2.6.3 उक्त बैठक के अनुसरण में, मंत्रिमण्डल सचिव ने कोयला एवं उर्जा क्षेत्र, तेल एवं गैस क्षेत्र और इस्पात, लौह एवं वाणिज्य क्षेत्र के मुख्य कार्यपालकों से 7 नवंबर, 2012 को बैठक की।

2.6.4 उक्त बैठकों से उठने वाले कार्यात्मक मुद्दों को शीघ्र समाधान हेतु संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया और इस संबंध में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री के साथ चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की दिनांक 23.10.2012 को आयोजित बैठक

अध्याय

3 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता

3.1 पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों के दौरान नैगम अभिशासन की अवधारणा ने समूचे विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी वाद–विवाद को जन्म दिया है। कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों पूर्तिकारों, विनियामक प्राधिकरणों तथा कुल मिलाकर समुदाय के सन्दर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी पणधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का निहितार्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण यांत्रिकी शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कॉर्पोरेट सत्ताओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2007 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया था। ये दिशानिर्देश, लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रासंगिक विधियों, अनुदेशों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। मंत्रिमंडल से अनुमोदित होने के बाद, ये दिशानिर्देश तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 22 जून, 2007 को जारी कर दिए गए थे। मंत्रिमंडल ने इन दिशानिर्देशों को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष के लिए कार्यान्वित करने का अनुमोदन करते समय यह निर्देश दिया था कि (i) प्राप्त अनुभव के आलोक में इन दिशानिर्देशों में कोई समायोजन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा; और (पप) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा वर्ष–मध्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

3.1.3 जून, 2007 में इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के बाद केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कार्यान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अनुभव किया गया था कि यद्यपि नैगम अभिशासन के सिद्धांत सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं तथापि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में बेहतर नैगम अभिशासन पद्धतियों को सतत अंगीकार करने और लागू करने की जरूरत है क्योंकि उनमें विशाल सरकारी पूंजी का निवेश किया गया है। बेहतर कारपोरेट अभिशासन सिद्धान्तों को लगातार अपनाने की जरूरत को कारपोरेट जगत में हाल की घटनाओं के कारण पुनः दोहराया गया। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों को बनाए रखने का निर्णय किया गया था और समुचित अन्तरमंत्रालयी परामर्श के बाद मार्च, 2010 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन विषयक अनिवार्य दिशा निर्देश जारी करने का अनुमोदन कर दिया गया था।

3.1.4 ये दिशानिर्देश अब अनिवार्य बना दिए गए हैं और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए लागू हैं। इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। एक वर्ष के प्रायोगिक चरण में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया

गया है और इनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा पारिश्रमिक समिति के गठन से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रावधानों का इनमें शामिल किया गया है। चूंकि नैगम अभिशासन की अवधारणा गत्यात्मक प्रकृति की है, अतः यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय–समय पर प्रचलित कानूनों विनियमों, अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.5 इन दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं:–

3.2 निदेशक मण्डल का गठन

3.2.1 निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम–से–कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर–सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर–सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर–सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

3.2.2 यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम–से–कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम–से–कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3.4 सहायक कम्पनियाँ

3.4.1 सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन–देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

3.5 प्रकटन

3.5.1 प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही,

निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

3.6 अनुपालन

3.6.1 दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3.6.2 वर्ष 2012 के दौरान, डीपीई ने सरकारी उद्यमों के कारपोरेट अभिशासन से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिये सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कंपनी सचिवों के साथ बातचीत सत्र का आयोजन किया। तदुपरांत, डीपीई ने उन उद्यमों की ग्रेडिंग के लिये समीक्षा करने हेतु चयनित उद्यमों के कंपनी सचिवों की एक समिति गठन किया जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन करने के आधार पर और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार करे, उद्यमों की ग्रेडिंग का फार्मेट वर्ष के दौरान संशोधित कर दिया गया और वर्ष 2011–12 के लिए, नए फार्मेट के आधार पर ग्रेडिंग का निर्णय लिया जाएगा।

3.7 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों का व्यावसायिकीकरण

3.7.1 लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों की संरचना के संबंध में नीतिगत मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीति के अनुसरण में विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 1992 में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में बाहरी व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल वास्तविक सदस्य संख्या की कम–से–कम एक–तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दिशा–निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिक–से–अधिक 2 होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक भी होने चाहिए जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.7.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर–सरकारी निदेशकों के चयन व उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड विहित किए गए हैं:–

(क) अनुभव संबंधी मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसे संयुक्त सचिव के स्तर पर कम–से–कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से अथवा अनुसूची 'क' के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्व कार्यकारी निदेशकों को उसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर–सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिस उद्यम से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी

उद्यम के सेवारत मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर–सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा।

(iii) शिक्षाविद/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर के रुप में संबंधित क्षेत्र अर्थात प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन अथवा विधि के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव

(iv) कंपनी के प्रचालन से संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक।

(v) निजी क्षेत्र की कंपनियों के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि कंपनी (i) शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो अथा (ख) अनुसूचीबद्ध परन्तु लाभार्जनकारी हो और उसका वार्षिक कारोबार कम–से–कम 250 करोड़ रुपए का हो।

(vi) उद्योग, वाणिज्य अथवा कृषि या प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणित रिकार्ड वाले प्रख्यात व्यक्ति।

(vii) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों के सेवारत सीईओ और निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर भी अपवादात्मक परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता संबंधी मानदण्ड** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की उपाधि

(ग) आयु संबंधी मानदण्ड

आयु की सीमा 45–65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए। बहरहाल, प्रसिद्ध व्यावसायिकों के मामले में इसे 70 वर्ष तक समिति किया जा सकता है, परन्तु इसके कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

3.7.3 गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा 4 गैर–सरकारी निदेशक शामिल हैं। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

3.7.4 वर्ष 2012 (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 76 विभिन्न उद्यमों में गैर–सरकारी निदेशकों के 151 पदों को भरने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को उपयुक्त अनुशंसाएँ की गई थीं।

3.7.5 डीपीई ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों में नियुक्त गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों को तैयार करने की पहल की है और यह कार्य 'दि चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया' (आईसीएआई) को सौंप दिया गया है। आईसीएआई से प्रारूप रिपोर्ट मिल गई और इस बारे में पणधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं।

3.7.6 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति पीईएसबी की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन हैसियत से की जाती है और जिनका चयन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

3.7.7 वर्ष के दौरान, डीपीई ने सभी सीपीएसई के सभी पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों/प्रबंध निदेशकों/सीएमडी द्वारा निष्पादन करने वाले मॉडल बांडों के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं जो सेवानिवृति के बाद प्राइवेट वाणिज्यिक उद्यमों में नियुक्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उच्चस्थ कार्यपालकों पर प्रतिबंध लगाते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यम संबंधित व्यक्ति से उनके द्वारा देय एक उपयुक्त राशि का बांड लेंगे जो इस संबंध में निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंधन करने पर उनसे वसूलनीय होगा। इस बांड को डीपीई द्वारा सीवीसी से परामर्श करके और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के बाद तैयार किया गया है।

अध्याय

4 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति

4.1 विकास के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता एक पूर्वापेक्षा है। इसका रणनीतिक संदर्भ भी है क्योंकि कुछ देशों ने विश्व स्तर पर कच्ची सामग्री के स्रोतों के अधिग्रहण की दिशा में पहल कर दी है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में पूंजीनिवेश या तो निदेशक मण्डल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत या सचिवों की शक्तिप्राप्त समिति (ईसीएस) की प्रणाली के माध्यम से सीसीईए के अनुमोदन से किया जाता है। निर्णय में विलम्ब, समन्वित एवं अन्तर–क्षेत्रीय उपागम का अभाव तथा सरकार द्वारा वित्तपोषण की व्यवस्था न होने जैसी खामियाँ विद्यमान हैं।

4.2 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटीटिवनेस काउन्सिल (एनएमसीसी) की अनुशंसाओं के आधार पर, अंतर–मंत्रालयी परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग अक्तूबर, 2011 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नीति अधिसूचित कर दिया है।

4.3 इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:–

- यह नीति कृषि, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र के उन सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू है जिन्होंने तीन वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यम प्रस्ताव पर विचार करेंगे, अन्य उचित मूल्यांकन कार्य करेंगे तथा पारदर्शी ढंग से निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- महारत्न तथा नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि का प्रस्ताव है और बढ़ाई गई शक्तियाँ सिर्फ विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण हेतु उपलब्ध होंगी।
- मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समन्वयक समिति (सीसीओएस) का गठन किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव सचिवों की समन्वयक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिन प्रस्तावों के संबंध में (i) प्रशासनिक मंत्रालय/केन्द्रीय सरकारी उद्यम समन्वित दृष्टिकोण का अनुरोध करें और (ii) सरकारी कोष अन्तर्ग्रस्त हों।
- सीसीओएस द्रुत व समन्वित निर्णय का मार्ग प्रशस्त करेगी, विदेशी उद्यमों/सरकार को रियायती ऋण का समन्वयन करने, सरकारी वित्त को अनुशंसा करने तथा प्रत्येक मामले के आधार पर सरकारी वित्त के स्वरुप के संबंध में निर्णय करने का कार्य करेगी।
- सीसीओएस को लोक उद्यम विभाग द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएगी तथा लोक उद्यम विभाग में एक पृथक कक्ष का गठन किया जाएगा। इस कक्ष के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्मिकों, स्थान तथा अन्य आवश्यक उपस्करों की खरीद के लिए लोक उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है। लोक उद्यम विभाग को 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और यह विभाग सचिवों की समन्वयक समिति की बैठक का आयोजन करेगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।

- सीसीओएस की अनुशंसाएं लोक उद्यम विभाग द्वारा सीसीईए को प्रस्तुत की जाएंगी।
- सचिवों की वर्तमान शक्तिप्राप्त समिति प्रक्रिया कार्य करती रहेगी। जिन मंत्रालयों में वर्तमान में ईसीएस नहीं है उनमें उपयुक्त ईसीएस प्रणाली स्थापित करने हेतु उन्हें अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।
- विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित इसके मिशनों को प्रक्रिया के प्रारंभ से ही संबद्ध किया जाएगा।
- सरकार यथासमय एक समर्पित, संप्रभु संपदा कोष के गठन पर विचार करेगी।

4.4 डीपीई द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है–

(i) अनुमोदित नीति का सभी पणधारकों को परिचालन।

(ii) विदेश मंत्रालय और उसकी परामर्श समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को विदेश मंत्रालय से परामर्श करने के बाद विदेश में मिशनों को भेजना।

(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय की स्वीकृति के बाद सचिवों की समन्वय समिति का गठन करना।

(iv) एक पृथक कोष्ठ संचालित करने के लिये वित्तीय संसाधनों का आबंटन करना।

(v) पृथक कोष्ठ के लिए कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और आवेदन आमंत्रित करने व चयन साक्षात्कार के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देना।

अध्याय

5 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

5.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली

5.1.1 समझौता ज्ञापन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन और भारत सरकार के मध्य एक वार्तासम्मत दस्तावेज है। इस समझौते के तहत, उद्यम वर्ष के शुरू में, करार में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देते हैं।

5.2 उद्देश्य

5.2.1 स्वायत्तता बढ़ा कर और प्रबंधन को जबावदेह बनाकर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है।

5.3 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उत्पत्ति

5.3.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित नीति की समीक्षा के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति (1984) की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय मंत्रियों के समूह ने दिसम्बर, 1985 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन के आधार पर किया जाना चाहिए। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के चार (4) उद्यमों ने अपने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ वर्ष 1987–88 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

5.3.2 वर्ष 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था और अधिकाधिक उद्यमों को इस प्रणाली में शामिल करने पर बल दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य में यह कहा गया था:–

"समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से कार्यनिष्पादन में सुधार पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा और इसके माध्यम से प्रबन्धन को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन सम्बन्धी वार्ताओं और उसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार में तकनीकी विशेषज्ञता का उन्नयन किया जाएगा।"

5.3.3 उपर्युक्त नीतिगत वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कालक्रम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को समझौता ज्ञापन प्रणाली के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

5.4 समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में एनसीएईआर का अध्ययन तथा निष्पादन मूल्यांकन

5.4.1 लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2003 में नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों के चयन तथा विभिन्न प्राचलों को भारांक के आवंटन पर नए सिरे से विचार करने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा। एनसीएईआर ने अनंतः निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी प्राचलों के निम्नलिखित प्रधान घटकों के बारे में अनुशंसा की :

प्राचलों के प्रमुख घटक		भारांक
(I) वित्तीय (स्थैतिक) प्राचल		50%
(II) गैर–वित्तीय प्राचल		50%
(i)	गत्यात्मक प्राचल	30%
(ii)	उद्यम सापेक्ष प्राचल	10%
(iii)	क्षेत्र सापेक्ष प्राचल	10%

5.4.2 हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली में 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर–वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था, परन्तु एन सी ए ई आर ने 'वित्तीय' तथा 'गैर–वित्तीय' दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा

की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी 'संतुलित अंक कार्ड' उपागम के सदृश हैं। गैर–वित्तीय प्राचलों को पुनः 'गत्यात्मक प्राचल' 'उद्यम–सापेक्ष प्राचल' तथा 'क्षेत्र सापेक्ष' प्राचल में उप–विभाजित किया गया है। 'स्थैतिक/वित्तीय' प्राचल सामान्य तौर पर लाभकारिता, आकार तथा उत्पादकता से सम्बन्धित हैं जबकि 'गत्यात्मक' प्राचलों का सम्बन्ध परियोजना कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा वैश्वीकरण की सीमा से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार, क्षेत्र–सापेक्ष प्राचलों में ऐसे वृहत आर्थिक कारक शामिल हैं जो प्रबन्धन के नियंत्रण से परे हैं, यथा माँग व आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्यों में उतार–चढ़ाव, ब्याज दर में परिवर्तन आदि और 'उद्यम–सापेक्ष' प्राचल सुरक्षा तथा प्रदूषण आदि जैसे मुद्दों से सम्बन्धित हैं।

5.4.3 इसके साथ ही, हालाँकि उपर्युक्त अनुशंसित प्रमुख संघटक सभी उद्यमों के लिए एक समान थे, तथापि निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रत्येक प्रमुख संघटक के अन्तर्गत मानदण्ड के रूप में सुझाई गई मदें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के लिए अलग–अलग थीं जिन्हें (क) सामाजिक क्षेत्र, (ख) वित्तीय क्षेत्र, (ग) व्यापार एवं परामर्शी क्षेत्र तथा (घ) वित्तीय व्यापार/परामर्शी तथा सामाजिक क्षेत्र से इतर क्षेत्र, के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नए उपागम में कार्यदल को विचाराधीन उद्यम के सम्बन्ध में अपनी धारणा के अनुसार गत्यात्मक, उद्यम–सापेक्ष तथा क्षेत्र–सापेक्ष के अन्तर्गत शामिल विभिन्न मानदण्डों के भारांक में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार दिया गया था। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बन्धित नई क्रियाविधि वित्तीय वर्ष 2004–05 से लागू हो गई।

5.5 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध

5.5.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवों की समिति है जिसे शीर्ष समिति के रूप में गठित किया गया है जिसका कार्य हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन का और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समझौता ज्ञापन में यथाप्रतिबद्ध आवश्यक सहायता की सीमा का भी मूल्यांकन करना है।उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है। सचिव, लोक उद्यम विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस संगठनात्मक व्यवस्था के शीर्ष उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :

1. मंत्रिमण्डल सचिव, अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. सचिव, निष्पादन प्रबन्ध, सदस्य
7. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सदस्य
8. अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सदस्य
9. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
10. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य सचिव

5.6 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्य दल

5.6.1 सचिवों की समिति ने 26 दिसम्बर, 1988 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्राचलों तथा भारांकों के निर्धारण के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। इस कार्यदल के सदस्यों में पूर्व सिविल कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक, विभिन्न विषयों से सम्बन्धित व्यावसायिक तथा शिक्षाविद शामिल हैं। इस कार्यदल को पुनः विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें सिन्डिकेट कहा जाता है और प्रत्येक सिन्डिकेट को किसी खास क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कार्य सौपें गए हैं।

5.6.2 वर्ष 2012–13 के समझौता ज्ञापन के लिए कार्यदल को अधिक तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ–साथ विविध व समृद्ध अनुभव का लाभ प्रदान करने हेतु केन्द्रीय

सरकारी उद्यमों को कुल 12 सिन्डिकेटों में विभाजित किया गया था; प्रत्येक सिन्डिकेट में सामान्यतया पांच–छह सदस्य हैं जिसमें वरिष्ठ संयोजक (सदस्यों में सबसे वरिष्ठ), एस डी विशेषज्ञ वित्त/सीए विशेषज्ञ, सी एस आर विशेषज्ञ, आर एंड डी विशेषज्ञ और एच आर एम विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2012–13 के लिए 01 अध्यक्ष और 68 कार्यदल सदस्य हैं।

12 सिन्डिकेटों की सूची निम्नलिखित हैं:–

1. कृषि, उर्वरक, रसायन एवं भेषज
2. इस्पात तथा अन्य खनिज
3. कच्चा तेल, गैस एवं पेट्रोलियम
4. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं
5. ऊर्जा, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण
6. व्यापार व विपणन
7. संविदा व परामर्शी सेवाएं
8. परिवहन व पर्यटन
9. इलैक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी
10. धारा 25 सीपीएसयू तथा वित्तीय सेवाएं
11. रूग्ण व घाटा उठाने वाले– I
12. रूग्ण व घाटा उठाने वाले– II

5.7 लक्ष्यों में संशोधन

5.7.1 कई कारणों से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्यम लक्ष्यों में संशोधन करना चाहते हैं। वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन करते समय कार्यदल ने यह पाया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों ने विभिन्न कारणों से समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित अपने प्राचलों/लक्ष्यों में अधोमुखी संशोधन की मांग की थी। यह अच्छी प्रवृति नहीं मानी गई थी क्योंकि ऐसा करना वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मिल जाने के बाद लक्ष्यों के पुनः निर्धारण करने के समान था। इसे समझौता ज्ञापन प्रणाली के मूल भाव के विपरित भी माना गया था, क्योकि यह प्रणाली मूल तौर पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन तथा भारत सरकार के विभाग के बीच एक करार है जिसके अन्तर्गत कोई उद्यम वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न प्राचलों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन देता है। समझौता ज्ञापन एक बार हस्ताक्षरित होने के बाद, लक्ष्यों में संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। समझौता ज्ञापन लक्ष्य शर्त रहित और गैर–अनन्तिम होते हैं। हालांकि, समझौता ज्ञापन की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के दौरान, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नियंत्रण से बाहर घटनाओं (अप्रत्याशित घटनाएं), डीपीई/कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर प्रतिकर अनुमति की शक्ति समझौता ज्ञापन की उच्चाधिकार समिति के पास ही रहेगी।

5.7.2 इस अस्वस्थकर प्रवृति को हतोत्साहित करने के लिये और समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रणाली अधिक सुसंगत करने के लिये, कार्यबल के अध्यक्ष एवं संयोजक ने सिफारिश की कि वे केन्द्रीय सरकार उद्यम किसी भी प्रकार के पुरस्कार तथा 'श्रेष्ठता प्रमाण पत्र' के हकदार नहीं होने चाहिए यदि उसके समझौता ज्ञापन की निष्पादकता लक्ष्यों को कम करके संशोधित किया गया हो। एचपीसी ने भी 18.08.1989 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 'समझौता ज्ञापन लक्ष्य और वार्षिक योजना लक्ष्य' एक समान होने चाहिए और उन्हें वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।" अतः समझौता ज्ञापन एक बार हस्ताक्षर होने के बाद लक्ष्यों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

5.8 समझौता ज्ञापन से छूट

5.8.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित 09.08.1995 की अपनी 13वीं बैठक में यह निर्णय किया कि यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम किन्हीं विशिष्ट कारणों से किसी विशेष वर्ष में इस प्रणाली से बाहर रहना चाहे तो उसके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को सम्बन्धित सचिव की सहमति से तथा लोक उद्यम विभाग के माध्यम से उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के

मामले में समान रूप से लागू होगी चाहे वे लाभार्जनकारी, घाटा उठाने वाले अथवा रूग्ण उद्यम हों।

5.8.2 विगत वर्षों के दौरान यह पाया गया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने की छूट प्राप्त करना चाहते थे। अतः, उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:–

(i) रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अपने सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करता है अथवा हस्ताक्षर करने में विलम्ब करता है तो उसका निष्पादन ''असंतोषजनक'' श्रेणी का माना जाएगा और इसका उल्लेख सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन से छूट नहीं दी जाएगी।

(ii) सहायक कम्पनियां अपनी धारक कम्पनियों के साथ उसी प्रकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगीं जैसे कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम भारत सरकार के साथ करता है। कार्यदल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की सहायक कम्पनियों के मामले में भी समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देगा तथा उसका मूल्यांकन करेगा। समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित प्रपत्र सहायक कम्पनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक समान होंगे।

5.9 समझौता ज्ञापन 2013–14 पर मार्गनिर्देश

5.9.1 डीपीई समझौता ज्ञापन प्रणाली को प्रगामी, प्रभावी और सुदृढ़ करने के लिये पिछले वर्षों में नई पहलें करता रहा है। पिछले वर्ष के समझौता ज्ञापन 2012–13 में रैपअप बैठक में कार्यबल के सदस्यों के सुझावों/सिफारिशों पर डीपीई द्वारा विचार किया गया और इस वर्ष 2013–14 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए दिशानिर्देश तदनुसार तैयार किये गए उनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. उन केन्द्रीय सरकार उद्यमों के बारे में, जो बंद हैं/नहीं चल रहे हैं, विलय कर दिया गया है, बंद कर दिये, शैल कंपनियां या रुग्ण हैं और बिना किसी पुनरूद्धार योजना के बंद होने वाले या विलय होने वाले हैं, प्रशासनिक मंत्रालय डीपीई से उन्हें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की अनुमति की सिफारिश करेगा और डीपीई अंतिम निर्णय लेगा।

ख. पैरामीटरों जैसे सकल बिक्री, कारोबार, सकल लाभ, निवल लाभ, निवल मूल्य के लिये बेसिक लक्ष्यों का निर्धारण, पिछले 5 वर्षों की वास्तविक उपलब्धियां (अनुलग्नक–टप्प्) और कारक जैसे क्षमता और उसका विस्तार, व्यावसायिक वातावरण, चल रही परियोजनाओं और कंपनी की अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। मूल वित्तीय लक्ष्यों का आमतौर से निर्धारण पिछले वर्ष की उपलब्धियों या लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, बशर्ते पिछले वर्ष में कार्य निष्पादकता खराब न रही हो।

खराब निष्पादकता के मामलों में, पिछले 3 वर्षों की वास्तविक निष्पादकता के औसत के आधार पर वास्तविक और प्राप्य लक्ष्य को बेसिक लक्ष्य तय किया जाए। अन्य वित्तीय पैरामीटरों और प्रबंधन के लक्ष्यों का तदनुसार निर्धारण किया जा सकता है।

ग. ''मानव संसाधन प्रबंधन'' 'गैर–वित्तीय पैरामीटरों' के तहत एक तत्व है। एचआरएम का वर्तमान ढांचा बहुत जटिल है। अतएव, कार्यबल समझौता वार्ता के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यम से परामर्श करके एचआर पैरामीटरों का निर्णय करेगा जो उद्यम के लिये बेहतर निष्पादकता व क्षमता के अपेक्षित और आवश्यक होगा।

घ. 2013–14 के समझौता ज्ञापन में, ''कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन'' को ''गैर–वित्तीय पैरामीटरों'' के तहत अनिवार्यता शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, गंभीर प्रकृति का अनुपालन होने पर, कार्यबल द्वारा मूल्यांकन के दौरान नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

ङ. चयनित कुछ डीपीई अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन, 5 के अनिवार्य भार सहित 2012–13 के समझौता ज्ञापन की शुरूआत, सभी सरकारी उद्यमों के लिये समझौता ज्ञापन 2013–14 में अनिवार्य तत्व नहीं रहेगा। हालांकि,कार्यबल जरूरत के अनुसार उनमें से किसी एक या अधिक को शामिल कर सकता है यदि कहीं उन्हें सरकारी उद्यम के लिये संगत और लाभप्रद समझा गया।

च. कार्यबल सदस्यों की समझौता पूर्व बैठक की नई धारा जो दिसम्बर, 2012 से शुरू होगी, को समझौता ज्ञापन 2013–14 में शामिल किया गया है। दिसम्बर, 2012 में, सरकारी उद्यम से प्रारूप समझौता ज्ञापन मिलने के बाद, कार्य बल आपस में वार्ता करने के लिये आन्तरिक बैठकें कर सकता है और टिप्पणियों, प्रश्नों, संदेहों आदि की सूची बना सकता है और डीपीई के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यम से अपेक्षित सूचना प्राप्त कर सकता है। समझौता बैठक से पूर्व, केन्द्रीय सरकारी उद्यम को अपनी प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए। इसका उद्देश्य बैठक और वार्तालाप को उद्देश्यपरक और मूल विषय पर केन्द्रित रखना है।

छ. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की वित्तीय निष्पादकता के अतिरिक्त, मात्रात्मक भौतिक लक्ष्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम की उत्पादकता व क्षमता का दर्शाते हैं। कार्य बल सुनिश्चित करेगा कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम के समझौता ज्ञापन में भौतिक लक्ष्यों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

ज. समझौता ज्ञापन 2013–14 के दिशानिर्देशों के अनुसार, संपरीक्षित डाटा(लेखा परीक्षित लेखा), तुलन पत्र, संशोधित अनुसूची VI और संशाधन–पूर्व की अनुसूची VI में सीपीएसई का लाभ और हानि लेखा यथावत लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित, केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि समझौता ज्ञापन 2012–13 में वित्तीय पैरामीटरों को पूर्ववर्ती अनुसूची–VI के आधार पर निर्धारित किया गया था।

डीपीई ने मौजूदा समझौता ज्ञापन प्रणाली की समीक्षा के लिये अध्यक्ष कार्य बल की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट डीपीई वेबसाइट http://www.dpemou.nic.in/ पर उलब्ध है। समिति ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, सिंडीकेट सदस्यों, विशेषज्ञों और समझौता प्रणाली से सम्बद्ध या परिचितों से परामर्श किया। उसने उन मुद्दों की पहचान की जिनका प्रभाव प्रणाली और उसकी क्षमता पर पड़ता था और प्रणाली का मजबूत व उन्नत करने के विकल्पों पर विचार किया। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

5.10 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत निष्पादन मूल्यांकन

(i) उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्यदल द्वारा वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

(ii) संयुक्त अंकों की गणना वास्तविक उपलब्धियों तथा उस प्राचल को दिए गए भारांक के आधार पर पांच अंकीय पैमाने पर की जाती है।

5.11 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत प्रोत्साहन

5.11.1 समझौता ज्ञापन उस कथन पर आधारित होता है कि निष्पादकता को उन्नत करने के लिये वस्तुनिष्ठ निष्पादकता मूल्यांकन ही पर्याप्त नहीं होता है। अच्छी निष्पादकता के लिये निष्पादकता प्रोत्साहन प्रणाली भी होना आवश्यक है। यह प्रोत्साहन दो रूपों में हो सकता है यथा आर्थिक और गैर–आर्थिक।

5.11.2 जगन्नाथ राव समिति (द्वितीय वेतन संशोधन समिति) ने यह अनुशंसा की है कि समझौता ज्ञापन निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान का एक आधारभूत मानदण्ड होगा, क्योंकि यह सीधे समझौता ज्ञापन निष्पादन से सम्बद्ध है। सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने मूल मंत्रालयों/विभागों/धारक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया है ताकि उन्हें कार्यनिष्पादन

सम्बन्धी भुगतान/परिवर्तनशील वेतन का पात्र बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन में प्रमुख परिणाम वाले सभी निर्धारित क्षेत्रों के साथ–साथ समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित श्रेणी पीआरपी का आधार भी होगी। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त करता है तो वह 100: पीआरपी का भुगतान करने का पात्र होगा। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "अति उत्तम" "उत्तम" तथा "संतोषजनक" श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्यम क्रमशः 80:, 60: तथा 40: पीआरपी का भुगतान करने के पात्र होंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "खराब" मापा जाता है तो वह उद्यम पीआरपी के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा चाहे उसकी लाभकारिता की स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

5.12 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार

5.12.1 गैर–आर्थिक प्रोत्साहन समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के रूप में हैं। निष्पादकता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, ये समझौता ज्ञापन पुरस्कार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नीति निर्माताओं और समझौता ज्ञापन प्रणाली के प्रति वचन अभिव्यक्ति है।

5.12.2 उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 मार्च,1995 को आयोजित अपनी बैठक में निर्धारण किये अनुसार समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के लिये शीर्ष 10 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के चयन के लिये मूल सिद्धान्त हैं–

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।

(ii) उद्यम घाटा उठाने वाला नहीं होना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम का संयुक्त अंक 2.00 से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.12.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 27.7.2007 की अपनी बैठक में एन. के. सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिये गए, 2006–07 से आगे:

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ष में एक बार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लेखापरीक्षित लेखे के आधार पर स्वमूल्यांकन अंक 31 अगस्त तक लोक उद्यम विभाग को नहीं प्रस्तुत करते हैं उन्हें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(ii) समझौता ज्ञापन सम्बन्धी संयुक्त अंक तथा श्रेणीकरण के निर्धारण का कार्य कार्यदल के सम्बन्धित सिण्डिकेट समूह द्वारा तैयार एवं अंतिमकृत किया जाना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर एक बार हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लक्ष्यों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) एनसीएईआर की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्राचलों को 50: का समान भारांक दिए जाने की मौजूदा प्रणाली फिलहाल जारी रखी जाए।

(v) पुरस्कारों की कुल संख्या 12 (10 सिण्डिकेटों में से प्रत्येक को 1, सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से एक, रूग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन वाले मामलों में से एक) होगी। उत्कृष्ट निष्पादन वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों को गुणता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(vi) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के चयन से सम्बन्धित आधारभूत सिद्धांत जारी रखे जाएं।

(vii) चूंकि उत्कृष्ट श्रेणी 1 से 1.5 अंक वालों को प्रदान की जाती है, अतः 1.5 तक संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(viii) वर्ष 2007–08 के बाद से नैगम अभिशासन के अनुपालन को भी सभी तीनों श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के एक मानदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

5.13 वर्ष 2009–10 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्ठता पुरस्कार:

5.13.1 वर्ष 2009–10 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 31 जनवरी, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 2009–10 के लिए 12 समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदान किए जिन्होंने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर विशिष्ट कार्य निष्पादन दर्शाया है।

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	2006-07	113
1991-92	72	2007-08	144
2001-02	104	2008-09	147
2002-03	100	2009-10	197
2003-04	96	2010-11	202
2004-05	99	2011-12	197
2005-06	102	2012-13	195

वर्ष 2009–10 के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता प्रमाण पत्र 43 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदान किया गया।

5.14. समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यम

5.15 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का निष्पादन

5.15.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है और उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक तथा असंतोषजनक श्रेणी प्रदान की जाती है। गत सात वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी और उनके निष्पादन का ब्योरा निम्नवत है:–

श्रेणी	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या						
वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
उत्कृष्ट	45	49	46	55	47	73	67
अति उत्तम	31	32	37	34	34	31	44
उत्तम	12	15	13	15	25	20	24
संतोषजनक	10	06	06	08	17	20	24
असंतोषजनक	01	00	00	00	01	01	02
कुल	99	102	102	112	124	145	161

अध्याय

6 स्थायी मध्यस्थता तंत्र(पीएमए)

6.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन वर्ष 1989 में ओएनजीसी बनाम समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.3.1989 और 30.6.1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत दिशानिदेशों के अनुपालन में सचिवों की समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से किसी सरकारी उद्यम रेलवे, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित विवादों के अतिरिक्त एवं केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों/बैंकों/पत्तनों (कर मामलों और रेल मंत्रालय के मामलों को छोड़कर) के बीच तथा सरकारी उद्यमों के पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है।

6.2 पीएमए दिशा–निर्देशों को पिछली बार वर्ष 22.01.2004 में संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग(डीपीई) को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि वह निपटान हेतु स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित कर सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित करते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन पक्षकार अपने पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

6.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामले के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। पक्षकार उनके समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध या समीक्षा हेतु सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी है। सचिव (विधि) के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

6.4 पी एम ए में केवल एक मध्यस्थ है। वर्ष के दौरान पीएमए के मध्यस्थ को 385 मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से 271 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं जबकि 20 मामले अवसान किए गए। पीएमए की स्थापना स्व–समर्थित आधार पर की गई है और विवादग्रस्त पक्षकार मध्यस्थता शुल्क (भुगतान डीडीओ, डीपीई के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाता है) का समान रूप से वहन करते हैं जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

6.5 लोक उद्यम विभाग समय–समय पर मध्यस्थ के निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

अध्याय

7 मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 लोक उद्यम विभाग अन्य कार्यों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में संगठित कर्मचारियों की मजूरी और निदेशक मण्डल स्तर और उससे निचले स्तर के पद धारण करने वाले असंघबद्ध पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के वेतन में संशोधन करने की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की वेतन नीति और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम अधिकांश रूप से औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति और वेतनमानों का भी अनुसरण किया जाता है। लोक उद्यम विभाग आई डी ए पद्धति के कर्मचारियों संबंधी तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

7.2 औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए)

7.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान और वेतन पैटर्न के सम्बन्ध में सरकारी नीति है कि संगत वेतनमान आईडीए पैटर्न पर होने चाहिएं। लोक उद्यम विभाग ने जुलाई, 1981 तथा जुलाई 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए थे कि जब भी कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम सृजित अथवा स्थापित हो तो उसमें शुरू से ही आईडीए पैटर्न और संबंधित वेतन मानों को अपनाना चाहिए। डीपीई के का.ज्ञा. दिनांक 12.06.1990 के अनुसार, डीपीई ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 के अन्तर्गत यह दोहराया है और इस बात पर बल दिया कि कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1989 को या उसके बाद सीडीए वेतनमान की नई पदोन्नति सहित की गई नियुक्तियां आईडीए वेतनमान में होनी चाहिए। 31.03.2011 तक केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 248 उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा नवगठित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर) थे। उन्होंने लगभग 14.44 लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें से लगभग 96.0% कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में है। शेष कर्मचारी सीडीए वेतन पैटर्न, प्रतिनियुक्ति आधार आदि पर हैं।

7.3 द्वितीय वेतन संशोधन समिति

7.3.1 चूंकि पिछली वेतन संशोधन समिति की समय अवधि समाप्त होने वाली थी। इसलिए सरकार ने 01.01.2007 से औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर वेतनमानों को अपनाने वाले बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षक शामिल हैं, के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में भारत सरकार संकल्प, दिनांक 30.11.2006 के तहत द्वितीय वेतन संशोधन समिति का गठन किया गया था, द्वितीय वेतन संशोधन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30.05.2008 को प्रस्तुत की थी। द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किए जाने के बाद 26.11.2008 तथा 09.02.2009 को आदेश

जारी किए गए थे। इन आदेशों की प्रमुख विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

(i) सीपीएसई में 12,600 – 32,500 (ई–0 ग्रेड के लिए) से 80,000–1,25,000 रुपए (अनुसूची) 'क' सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों के लिए रेंज वाले नए वेतनमान।

(ii) 01.01.2007 को मूलवेतन पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ + 68.8% की दर पर मंहगाई भत्ता।

(iii) वेतनवृद्धि की दर मूल वेतन के 3% वर्ष की दर पर।

(iv) मूलवेतन का अधिकतम 50% अनुलाभ तथा भत्ते जिसमें 'केफ्टेरिया एप्रोच' की व्यवस्था है।

(v) मूल वेतन का 40% से 200% तक निष्पादन से सम्बन्धित वेतन।

(vi) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ।

(vii) कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में 01.01.2007 से उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है।

(viii) वेतन संशोधन का कार्यान्वयन सीपीएसई की वहनीयता से जुड़ा है।

(ix) सीपीएसई को वेतन संशोधन का वित्तपोषण अपने संसाधनों से करना होगा और इस प्रयोजन के लिए कोई बजट सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(x) द्वितीय वेतन संशोधन समिति की संस्तुतियों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्या पर और आगे विचार करने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया गया है जिसमें लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव होते हैं।

(xi) वेतन संशोधन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जब भी अपेक्षित हो लोक उद्यम विभाग आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करेगा।

7.3.2 तत्पश्चात, गृह मंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रियों की समिति ने सीपीएसई के तेल एवं विद्युत क्षेत्रक के कार्यपालकों की मांगों पर विचार किया है। मंत्रियों की समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित लाभ लागू करने के लिए सरकार ने 02.04.2009 को आदेश जारी किए थे:

(i) फिटमेंट को 68.8% से 78.2% तक बढ़ाने के लिए फिटमेंट के प्रयोजन से मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते को मिलाने का लाभ।

(ii) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ+केवल मूल वेतन के स्थान पर मंहगाई भत्ता।

(iii) मूल वेतन के 10% की अधिकतम सीमा के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवर्ती लागत के लिए अवसंरचना पर खर्च सीमित करना।

(iv) बढ़े हुए भत्ते राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तारीख के बजाय 26.11.2008 से प्रभावी होंगे परन्तु शर्त यह है कि राष्ट्रपति के निर्देश 02.04.2009 से एक महीने के अन्दर जारी किए जाएं।

(v) ये लाभ सभी सीपीएसई पर लागू किए जाएं। इन कार्यालय ज्ञापनों को समग्र पैकेज के रूप मे देखा जाना चाहिए। तारीख 26.11.2008 तथा 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

7.4 विसंगति समिति की सिफारिश

7.4.1 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत विसंगति समिति के प्रावधानों के अनुसार विसंगति समिति ने कुछ मामलों पर विचार किया है और तदनुसार लोक उद्यम विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इन मामलों में (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में तदर्थ आधार पर सरकारी अधिकारियों का वेतन (ii) स्वयं पट्टा आवास (iii) चिकित्सा व्यय (iv) अवकाश के बदले रोकड़ (v) वार्षिक वृद्धि के बंचिंग का लाभ

आदि मामले शामिल हैं। (vi) निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के कुछ मामलों में वेतन निर्धारण पद्धति (vii) निदेशक मण्डल स्तर के विशेष मामलों में अन्तिम आहरित वेतन का संरक्षण (viii) अन्य लाभों की गणना प्रयोजनार्थ एनपीए को वेतन न मानना (ix) किसी अन्य भत्तों एवं लाभों को 50% की सीमा से बाहर न रखना सिवाय '4' के जो लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों में दिए गए हैं, और (x) पीआरपी गणना के लिये पीबीटी में 'कम वसूलियों' को शामिल नहीं करना।

7.5 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

7.5.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 09.11.2006 और 01.05.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के सातवें दौर (जो सामान्य रूप से 01.01.2007 को अपेक्षित है) के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देश वही हैं जो वेतन के सम्बन्ध में छठे दौर की बातचीत पर पहले की नीति में थे। मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को मामला–दर–मामला आधार पर अपने मंत्री के अनुमोदन से 10 वर्ष से कम परन्तु 5 वर्ष से कम नहीं, की अवधि की आवर्तिता के लिए वेतन समझौते पर निर्णय लेने की और आगे अनुमति दी।

7.6 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

7.6.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछ उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्गों और कार्यपालकों को सीडीए पद्धति वेतनमान लागू हैं जो 01.01.1986 से 31.12.1988 तक इन कम्पनियों के कर्मचारी थे और उस समय सीडीए पद्धति पर वेतनमान ले रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्तिप्राप्त वेतन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24.11.1988 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में क्रियान्वित की गई हैं। बाद में दिनांक 28.08.1991 के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्देश के अनुसरण में आईडीए पद्धति और सम्बन्धित वेतनमान 01.01.1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में लागू किए गए थे। डीपीए का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 देखें जिसमें स्पष्ट किया गया कि 'नियुक्ति' में चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति शामिल है। अतएव, सभी नियुक्तियां, पदोन्नति पर नियुक्ति सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वेतन मानों के आईडीए पैटर्न के अन्तर्गत होनी चाहिए।

7.6.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14.10.2008 और 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन कर दिया है। वेतन संशोधन का लाभ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए है जो घाटे में नहीं हैं और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के कर सकते हैं।

7.7 वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण नीति मार्गनिर्देश

i) मुख्य कार्यपालकों और कार्यरत निदेशकों के विदेश दौरों की मंजूरी के मुद्दों की समीक्षा की गई और डीपीई ने अपने का.ज्ञा.दिनांक 20.07.2011 में अन्य बातो के साथ–साथ स्पष्ट कर दिया कि का.ज्ञा.दिनांक 24.08.2007 में उल्लिखित स्थिति यथावत बनाई रखी जाए।

ii) डीपीए ने का.ज्ञा.दिनांक 20.07.2011 द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिये अपने प्रशासनिक नियंत्रण में डीपीए के का.ज्ञा.दिनांक 08.07.2009 के अनुसार 'सामान्य निकाय' बनाने की अनुमति दे दी।

iii) डीपीए के का.ज्ञा.दिनांक 30.05.2011 में सीपीएसई/संघों/मजदूर संघों आदि के कर्मचारियों के पालनार्थ जब वे मजदूरी/वेतन संबंधी मुद्दों के लिये अपने अभ्यावेदन भेज रहे हों, दिशानिर्देश जारी किये।

iv) विसंगति समिति की सिफारिशों के आधार पर, डीपीए ने का.ज्ञा. दिनांक 01.06.2011 में स्पष्ट कर दिया कि अन्य लाभों की गणना के लिये 'एन पी ए' को वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी अन्य भत्ते या लाभ को 50 प्रतिशत की सीमा के बाहर नहीं रखा जाएगा सिवाय चार भत्तों के जिन्हें डीपीई के का.ज्ञा. दिनांक 26.11.2008 में दिया गया है।

v) डीपीई ने का.ज्ञा. दिनांक 20.03.2012 में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को बताया कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पट्टा किराया/ स्व–पट्टा आवास की वसूली की उचित दर के बारे में उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करें।

7.8 वर्ष 2012–13 की मुख्य विशेषताएं (सितम्बर 2012 तक)

(i) मिनीरत्न और लाभकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिये 04.05.2012 को मुम्बई में और 31.08.2012 को विशाखापत्तनम में 'निष्पादकता प्रबंधन प्रणाली' पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(ii) पेंशन योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन महारत्न और नवरत्न सीपीएसई के लिये 19.11.2012 को हैदराबाद में किया गया।

(iii) उच्च पद के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये उच्च पीआरपी और अतिरिक्त प्रभार निर्वहन के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक के मुद्दे पर विचार किया गया और डीपीई ने का.ज्ञा. दिनांक 31.05.2012 द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने के साथ–साथ स्पष्ट किया कि बोर्ड स्तर के कार्यपालकों द्वारा अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिय पीआरपी की उच्च दर लागू नहीं होगी।

(iv) डीपीई के का.ज्ञा. दिनांक 29.06.2012 में दोहराया गया और स्पष्ट किया गया कि कोई भी भत्ते/लाभ/अन्य लाभ मूल वेतन की 50 प्रतिशत सीमा से बाहर नहीं है।

अध्याय

8 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्नतर अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी–कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रुग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

8.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनवर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण मात्रात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी आय, नियोजित बिक्री/पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी का अतिरिक्त मूल्य और मात्रात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण, तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं। अन्य कारक,जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्यों, एमओयू रेटिंग, महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के अत्याधिक रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (15.11.2012 तक) अनुसूची 'क' में 61, अनुसूची 'ख' में 70, अनुसूची 'ग' में 46 तथा अनुसूची 'घ' में 4 उद्यम तथा सरकारी क्षेत्र के 68 उद्यम अवर्गीकृत हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची–वार सूची परिशिष्ट–III पर दी गई है।

8.3 वर्ष के दौरान, एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम (ओएनजीसी विदेश लि.) को अनुसूची 'बी' से 'ए' में उन्नत कर दिया गया और एक सीपीएसई (दिल्ली पुलिस आवास निगम) को अनुसूची 'सी' सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, 3 कार्यकारी निदेशकों के पद सृजित किये गए (एयर इंडिया में संयुक्त प्रबंध निदेशक और उड़ीसा मिनरल्स विकास कंपनी लि. में निदेशक (वित्त) और निदेशक (उत्पादन और योजना) और एक सीपीएसई (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.) के एक मुख्य कार्यपालक को वैयक्तिक आधार पर उच्च वेतन मान दिया गया।

अध्याय

9 लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनर्संरचना और पुनर्गठन के कार्य और इनसे संबंधित कार्यनीतियों, उपायों और स्कीमों पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से एक परामर्शी निकाय के रूप में दिनांक 06 दिसंबर, 2004 के संकल्प के तहत सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी।

9.2 बोर्ड में राज्य मंत्री स्तर का एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उनके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। बीआरपीएसई में भारत सरकार के सचिव पद का एक अलग से सचिव भी होता है।

9.3 बीआरपीएसई के विचारार्थ विषय इस प्रकार से हैं:–

(क) केंद्रीय लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण हेतु अर्थोपाय पर सरकार को परामर्श देना और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एवं व्यवहार्य बनाना;

(ख) केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्संरचना अर्थात वित्तीय, संगठनात्मक एवं व्यापार (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, रणनीतिक भागीदार तल खोजना, विलयन एवं अधिग्रहण पर विचार करना और ऐसी स्कीमों के वित्त पोषण हेतु अर्थोपाय पर परामर्श देना);

(ग) आमूलचूल परिवर्तन हेतु रुग्ण/घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(घ) पुनरुद्धार न किए जा सकने वाले चिरकालीन रुग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियों के संदर्भ में उनके विनिवेश/बंद करने/पूर्ण या आंशिक विक्रय पर सरकार को परामर्श देना ऐसी अर्थअक्षम कंपनियों के संदर्भ में बोर्ड वैधानिक बकाया चुकाने, कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति भुगतान तथा बंद करने की लागत हेतु उद्यमों की अधिशेष परिसंपतियों के विक्रय सहित निधियों हेतु साधन के बारे में भी सरकार को परामर्श देना;

(ड़) केंद्रीय सरकारी उद्यमों में आसन्न रुग्णता को मॉनीटर करना; और

(च) सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

9.4 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने अक्तूबर, 2011 से सितंबर, 2012 तक 9 बैठकें आयोजित की और बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 24 उद्यमों (परिशिष्ट–IV) के प्रस्तावों पर विचार किया है जिनमें दो नए प्रस्ताव थे जो एचएमटी लि. और नार्थ ईस्टर्न दस्तकारी एवं हैंडलूम विकास निगम लि. के थे। बोर्ड ने सरकार के उद्यम के रूप में उनके पुनरूद्धार के लिये एक पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश की। बोर्ड ने 07 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने की स्थिति तथा 14 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सरकार के अनुमोदन के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बोर्ड ने 3 उद्यमों के सम्बन्ध में अपने आपसे स्थिति एवं निष्पादन की समीक्षा भी की ह ।

9.5 बीआरपीएसई की शुरूआत से सितम्बर, 2012

क्र. सं.	श्रेणी	लोक उद्यमों की सं.
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	46
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	8
3	विलय/अधिग्रहण द्वारा पुनरुद्धार	5
4	बन्द करना	3
	कुल	**62**

तक, बोर्ड ने 62 ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में अपनी सिफारिशें दीं। 62 पीएसई के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें (परिशिष्ट–ट) निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में आती हैं:

9.6 बीआरपीएसई ने, रूग्ण पीएसई पर सिफारिश देने के अतिरिक्त, उन रूग्ण पीएसई के उच्च प्रबंधन टेलेंट को आकर्षित करने के लिये योजना की भी सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड ने उन सीपीएसई (आंशिक तौर से रूग्ण) को सुदृढ़ करने के लिये भी सरकार को उपायों की सिफारिश की जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु बढ़ाने की सिफारिश, वेतन संशोधन वीआरएस/वीएसएस योजनाओं में संशोधन, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, रूग्ण उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति में भर्ती नियमों में ढील देना भी शामिल है।

9.7 अनुशंसित 62 मामलों में से सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 42 उद्यमों के पुनरुद्धार प्रस्ताव अनुमोदित और 02 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बंद/परिसमापन करने की सिफारिश की है। (परिशिष्ट–VI)

9.8 पुनरुद्धार के लिए अनुशंसित 43 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 24 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने वर्ष 2010–11 के दौरान लाभ अर्जित किया है और सरकार के अनुमोदन के बाद 15 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने लगातार 03 वर्षों या इससे अधिक वर्षों से लाभ अर्जित किया है।

9.9 बीआरपीएसई ने 2 आमूलचूल परिवर्तित रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों यथा एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि. और हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. को बधाई देने के लिए 14.11.2011 को "बीआरपीएसई कायाकल्प पुरस्कार 2011" प्रदान किया और 2 आमूलचूल परिवर्तित रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों यथा कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. और हिन्दुस्तान कॉपर लि. को बधाई देने के लिये 29.06.2012 को "बीआरपीएसई कायाकल्प पुरस्कार 2012" प्रदान किया। बीआरपीएसई ने 7.12.2011 को भोपाल में रुग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और उस क्षेत्र के महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को आमंत्रित करके "केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण" पर एक आपसी वार्ता सत्र का भी आयोजन किया।

अध्याय

10 परामर्श, पुनःप्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर)

10.1 केंद्रीय सरकारी उद्यमों दोनों वृहद्ध अथवा सूक्ष्मस्तर, के पुनर्गठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्यकता बन गई है। लेकिन प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं श्रमशक्ति की आवश्यकता में परिवर्तन के कारण कुछ मामलों में इससे कामगारों का हित प्रभावित हुआ है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा संगठनों में उचित संख्या के कारण अत्यधिक प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने की रही है।

10.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। केंद्रीय उद्यमों में चल रहे पुनर्गठन प्रयासों के मद्देनजर केंद्रीय सरकारी उद्यमों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन आर एफ) को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2001–02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) की योजना लागू की गई थी। सीआरआर स्कीम को नवंबर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि इसके क्षेत्र और आवरण को बढ़ाया जा सके। संशोधित सीआरआर स्कीम के अंतर्गत वीआरएस कर्मचारी पर आश्रित एक पारिवारिक सदस्य इस स्कीम का लाभ ले सकता है यदि वीआरएस कर्मचारी स्वयं इसका इच्छुक नहीं है।

10.3 अन्य बातों के साथ–साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से पृथक हुए कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनको नये काम–धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए मजूरी/स्वरोजगार में लगाना।
- आर्थिक प्रगति हेतु उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

10.4 सी आर आर कार्यक्रम के परामर्श, पुनःप्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन मुख्य घटक हैं। परामर्श से पृथक हुए कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 30/45/60 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। वर्तमान

योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अतः नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। सी आर आर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियां भी गठित की गई हैं।

10.5 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/ सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात् अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करने, ऋण संस्थानों के साथ अंतःसंबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने में दायित्वों का निष्पादन होता है।

10.6 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनः प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.7 वर्ष 2011–12 के दौरान 8.90 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष के दौरान 49 कर्मचारी सहायता केंद्रों सहित 11 नोडल अभिकरण पूरे देश में प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001–02	8064
2002–03	12066
2003–04	12134
2004–05	28003
2005–06	32158
2006–07	34398
2007–08	9728
2008–09	9772
2009–10	7400
2010–11	9265
2011–12	9400
कुल	**172388**

10.8 प्रचालनरत नोडल एजेंसियों (2011–12) की सूची परिशिष्ट–VII पर दी गई है।

10.9 नोडल एजेंसियों का मूल्यांकन करने के लिए,डीपीई वर्ष 2012–13 में तृतीय पक्ष को मूल्यांकन समिति के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

10.10 2012–13 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में स्थित 56 कर्मचारी सहायता केन्द्रों के साथ 15 नोडल एजेंसियां कार्य कर रही हैं। एजेन्सियों की पहचान करने और कर्मचारी सहायता केन्द्रों की स्थापना करने का आर एफ डी लक्ष्य14.06.2012 को प्राप्त कर लिया गया था।

10.11 2012–13 के लिये 8000 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से 1732 वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और यथा 30.09.2012 को 2343 वीआरएस कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे थे।

अध्याय

11 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

11.1 वर्तमान बाजार परिदृश्य में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित उद्योग जगत के चालू पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाना ऐसे ही उपायों में से एक है। इस प्रक्रिया में पहली बार अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की गई थी, इसे संशोधित किया गया था तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा इसे उदार बनाया गया और एक विस्तृत पैकेज अधिसूचित किया गया था, ताकि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही पुनर्गठन के विविध माडलों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा भी की जा सके।

11.2 सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में 1992 अथवा 1997 से, जैसा मामला हो, जहां पर मजूरी समझौता प्रभावी नहीं हो सकता, उन उद्यमों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को 6 नवंबर, 2001 को अनुवर्ती अधिसूचना जारी कर उदार बनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया था कि जिन उद्यमों में वर्ष 1992 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 100% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए और इसी प्रकार जिन उद्यमों में वर्ष 1997 का मजूरी संशोधन नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए। वर्ष 1986 के वेतनमानों में सीडीए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि में 26.10.2004 से 50% की वृद्धि की गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्षतिपूर्ति में इन वृद्धियों की गणना कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के आधार पर की जानी है।

11.3 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक योजना, जो स्वयं अपने अतिरिक्त स्रोतों से इसे वहन कर सके

11.3.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

11.4 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले तथा रुग्ण एवं अर्थक्षम केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाः

11.4.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम कंपनियां यह अपना सकती है कि वेः (i) गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा (ii) भारी उद्योग विभाग का वी.आर.एस. पैकेज (डीएचआई मॉडल) जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अविधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

अध्याय

12 कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.1 मध्य एवं वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों का ज्ञान एवं कुशलता में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यम अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं। प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण अपने प्रबंधन संस्थान के माध्यम या भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है।

12.2 भारत इंटरनेशनल सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ इन्टरप्राईज (आईसीपीई), ल्यूबजाना, स्लोवेनिया, जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, का संस्थापक सदस्य है। भारत ने वर्ष 2007–08 से अपना वार्षिक अंशदान दुगुना कर दिया है। फिलहाल, भारत आईसीपीई परिषद का अध्यक्ष है। लोक उद्यम विभाग इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईजेज, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सदस्य हैं। सचिव, डीपीई भी लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यपालक बोर्ड के पदेन सदस्य है।

अध्याय

13 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

13.1 लोक उद्यम विभाग ने सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु अप्रैल, 2010 में केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा–निर्देश अनिवार्य प्रकृति के हैं और केंद्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा इसका कार्यान्वयन सच्चे अर्थों में किया जाना चाहिए।

13.2 सीएसआर कार्यकलापों पर राष्ट्रव्यापी आंकड़े संकलन, प्रलेखन और सृजन करने और सीएसआर के मूल भाव को सभी संभावित स्तर अर्थात जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक राष्ट्रीय सीएसआर केंद्र टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुम्बई में स्थापित किया गया है। सीएसआर केंद्र सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा किए जाने वाले अच्छे सीएसआर कार्यों की आयोजना, कार्यान्वयन, आकलन और अपनाने संबंधी मामलों पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सम्मेलन, संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

13.3 सात प्रशिक्षण संस्थान, टीआईएसएस, मुम्बई सहित, को देश के विभिन्न भागों में सीएसआर पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने वाला चिन्हित किया गया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम सीएसआर कार्यकलापों से सम्बद्ध अपने कार्यपालकों को इन संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिये नामित करते हैं ताकि सीएसआर दिशानिर्देशों का बेहतर ढंग से समझा जा सके और उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

13.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकारी उद्यमों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लोक उद्यम विभाग ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु कोचीन, भोपाल, जयपुर, गोवा और मसूरी में क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डीपीई विश्व बैंक के सहयोग से भारतीय परिस्थितियों में बहिर्वेशन के लिये सीएसआर में उत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं को सीख रहा है। इस संबंध में अनेक कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीयों और विशेषज्ञों ने भाग लिया जिनमें हारवर्ड विश्वविद्यालय (अमरीका) के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

अध्याय

14 केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

14.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 29.07.2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। डीपीई ने सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों से अनुरोध किया कि वे वित्त वर्ष के समाप्त होने से 30 दिनों के भीतर अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ सभी सीपीएसई की समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक डीपीई को भेज दें। का.ज्ञा. दिनांक 29.07.2010 के बाद एक अन्य का.ज्ञा. दिनांक 28.06.2011 आया जिसमें लोक उद्यम विभाग ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये फार्मेट निर्दिष्ट किया।

14.2 चूंकि कुछेक केन्द्रीय सरकार उद्यमों की ही रिपोर्टें प्राप्त हुईं अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से वर्ष 2011–12 की समेकित वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट फार्मेट में प्रस्तुत करने के लिये 29.03.2012 को अनुस्मारक भेजा गया। सचिव, डीपीई ने अपने अ.शा. पत्र दिनांक 29.05.2012 द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ मामले में कार्रवाई की। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट डीपीई में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। 8 जून से 26 जून, 2012 के बीच सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ अनेक बैठकें की गईं। जिसके फलस्वरूप, 38 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त हो सकीं।

14.3 डीपीई ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये एक अन्य अनुस्मारक 12.07.2012 को भेजा।

अध्याय

15 राजभाषा नीति

15. 1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत उल्लिखित विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

15.2 वर्ष 2012–13 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा–पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में काम करती है।

15.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर, 2012 से 28 सितंबर, 2012 तक "हिन्दी पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं, यथा हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी श्रुतलेखन तथा हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

15.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है तथा लोक उद्यम विभाग की वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी/अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है।

15.5 प्रसिद्ध हिन्दी लेखक और राजभाषा संसदीय समिति के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री शंकर दयाल सिंह की स्मृति में एक पुरस्कार योजना केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में इस वर्ष शुरू की गई। संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे जो राजभाषा हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। कुछ उद्यमों ने यह योजना शुरू भी कर दी है।

अध्याय

16 महिलाओं का कल्याण

16.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

16.2 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

16.3 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 123 है, जिनमें से 10 महिला कर्मचारियों सहित 80 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

अध्याय

17 योजनागत निधि व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग – अनुदान सं. 51 (2012–13)		
स्कीमें	₹ करोड़ में	
	संशोधित प्राक्कलन 2012–13	कुल 31.01.2013 तक व्यय
	1	2
योजना		
अन्य प्रभार (सूचना प्रौद्योगिकी)	85,00	29,05
कुल : मुख्य शीर्ष ''3451''	85,00	29,05
पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)		
सहायतार्थ अनुदान (एनई)	1,00,00	0,00
कुल :मुख्य शीर्ष ''2552''	1,00,00	0,00
सहायतार्थ अनुदान (सीआरआर)	6,95,00	363,27
प्रकाशन (आरडीसी)	7,00	0,00
अन्य प्रशासनिक व्यय (आरडीसी)	8,00	3,43
सहायतार्थ सेवाएं (आरडीसी)	10,00	0,00
सहायतार्थ अनुदान (आरडीसी)	45,00	6,80
सहायतार्थ अनुदान (दक्षता विकास)	50,00	1,86
कुल : मुख्य शीर्ष ''2852''	8,15,00	3,75,36
सकल योग 3451+2552+2852	10,00,00	4,04,41

अध्याय

18 परिणाम कार्य ढांचा दस्तावेज (आरएफडी 2011-12)

18.1 परिणाम कार्य ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) जनता के अधिदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और इस अधिदेश को लागू करने हेतु उत्तरदायी विभाग के सचिव के बीच समझौते का एक रिकार्ड है। प्रधानमंत्री ने सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए एक कार्य निष्पादन मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) की रूपरेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए परिणाम कार्य ढांचा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है। सरकारी कार्य निष्पादन पर मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 3.3.2011 को आयोजित अपनी बैठक में विभागीय आरएफडी, संबंधित उपलब्धियां और मिश्रित स्कोर को विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में जोड़ने को अनुमोदित कर दिया था।

18.2 आरएफडी में उन अति महत्वपूर्ण परिणामों के सारांश का उल्लेख होता है जिन्हें कोई मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त करने की आशा करता है। इस दस्तावेज में न केवल सहमति वाले उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का उल्लेख होता है बल्कि उन्हें लागू करने में प्रगति को मापने हेतु सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों का भी उल्लेख होता है।

18.3 लोक उद्यम विभाग ने आरएफडी से संबंधित कवायद 2009–10 से शुरू किया है। लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2011–12 के संबंध में अपनी तीसरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कुल मिलाकर चौदह विभाग विशिष्ट लक्ष्य आरएफडी 2011–12 में शामिल किए गए और कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग की सलाह पर आरएफडी में जोड़े गए। चूंकि यह विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नोडल विभाग है, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मानीटरिंग करने, इन्हें सुविधा संपन्न बनाने और इनकी सहायता करने में समग्र सक्षमता लाने के उद्देश्य से आरएफडी उद्देश्य/लक्ष्य तैयार किए गए। लोक उद्यम विभाग के आरएफडी 2011–12 के लक्ष्य विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्षेत्र को कवर करते हैं:

i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट शासन

ii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे के प्रबंधन को पेशवर बनाना

iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का श्रेणीकरण

iv) समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लक्ष्य निश्चित करना और कार्य निष्पादन मूल्यांकन

v) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अलग किए गए कर्मचारियों के लिए काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्त योजना

vi) आर एंड डी पर दिशा निर्देश तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी विकास

vii) लोक उद्यम सर्वेक्षण

18.4 लोक उद्यम विभाग ने तेरह उद्देश्यों में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किए हैं। पीएमडी के सरकारी कार्यनिष्पादन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने लोक उद्यम विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और आरएफडी 2011–12 पर लोक उद्यम विभाग के समग्र कार्य निष्पादन पर 96.74% का मिश्रित स्कोर प्रदान किया है।

18.5 आरएफडी 2011–12 में उल्लिखित ब्यौरेवार उद्देश्य, उनके तदनुरूप लक्ष्य और मिश्रित स्कोर अनुबंध–VIII में दिए गए हैं।

परिशिष्ट-I

(भूमिका का पैरा 6)

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम)
श्री प्रफुल पटेल

अध्यक्ष, बीआरपीएसई
डा0 नितीश सेनगुप्ता

सचिव (लोक उद्यम विभाग)
श्री ओ.पी. रावत

सचिव, बीआरपीएसई
सुश्री एस. रावला

एएस एवं एफए
श्री वी.एस. मदान

संयुक्त सचिव
श्री ए. के. पावडिया

संयुक्त सचिव
श्री राकेश भारतीय

संयुक्त सचिव
श्री ए.के. सिन्हा

सलाहकार
डा. शरत कुमार

संयुक्त सचिव एवं विवाचक
डा0 गीता रावत

निदेशक बीआरपीएसई/पीएंडपी)
श्री वी.के. जिंदल

निदेशक (मजदूरी)
डा. म. सुब्बारायन

संयुक्त निदेशक
श्री मदन मोहन

निदेशक (प्रबंधन/सीआरआर)
श्री उमेश डोंगरे

निदेशक (एमओयू)
श्री एम.के. गुप्ता

संयुक्त सलाहकार
श्रीमती रचना चोपड़ा

परिशिष्ट-II

(पैरा 2.4.4)

मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

मिनीरत्न श्रेणी– I सीपीएसई

1. एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया
2. अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लि.
3. बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि.
4. भारत डायनेमिक्स लि.
5. बीईएमएल लि.
6. भारत संचार निगम लि.
7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
8. सेंट्रल वेयरहाउसिंग निगम
9. सेंट्रल कोलफील्डस लि.
10. चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
11. कोचीन शिपयार्ड लि.
12. कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
13. ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
14. इंजीनियर्स इंडिया लि.
15. एन्नोर पोर्ट लि.
16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.
17. गोवा शिपयार्ड लि.
18. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
19. एचएलएल लाइफकेयर लि.
20. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
21. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
23. भारत पर्यटन विकास निगम लि.
24. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लि.
25. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
26. केआईओसीएल लि.
27. मझगांव डॉक लि.
28. महानदी कोलफील्ड्स लि.
29. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.
30. मैंगलोर रिफायनरी एंड पैट्रोकेमिकल लि.
31. मिश्रधातु निगम लि.

32. एमएमटीसी लि.
33. एमएसटीसी लि.
34. नेशनल फर्टिलाइजर लि.
35. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
36. एनएचपीसी लि.
37. नार्दन कोलफील्ड्स लि.
38. नूमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
39. ओएनजीसी विदेश लि.
40. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.
41. प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
42. रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
43. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.
44. राइट्स लि.
45. एसजेवीएन लि.
46. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिन्टिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
47. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
48. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
49. टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लि.
50. टीएचडीसी इंडिया लि.
51. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
52. वापकोस लि.

मिनीरत्न श्रेणी–।। सीपीएसई

53. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स
54. ब्राडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.
55. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि.
56. एड.सिल (इंडिया) लि.
57. इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.
58. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लि.
59. फेरो स्क्रैप निगम लि.
60. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
61. एचएससीसी (इंडिया) लि.
62. भारत व्यापार संवर्धन संगठन
63. इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लि.
64. मेकॉन लि.
65. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
66. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
67. पी ई सी लि.
68. राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.

परिशिष्ट-III

(पैरा 8.2)

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची–वार सूची

15.11.2012 की स्थिति अनुसार

अनुसूची – क

1. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण
2. एयर इंडिया लिमिटेड
3. भारत भारी उद्योग निगम लि.
4. बीईएमएल लि.
5. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
6. भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लि.
7. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
8. भारत संचार निगम लि.
9. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
10. कोल इंडिया लि.
11. कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
12. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
13. इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
14. इंजीनियर्स इंडिया लि.
15. फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स (त्रवणकोर) लि.
16. भारतीय खाद्य निगम
17. गेल (इंडिया) लि.
18. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.
19. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.
20. हिन्दुस्तान कापर लि.
21. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.
22. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
23. एमएमटी लि.
24. आवास एवं शहरी विकास कार्पोरेशन लि.

25. आई टी आई लि.
26. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.
27. इरकॉन कार्पोरेशन लि.
28. कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि.
29. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
30. एमएमटीसी लि.
31. महानगर टेलीफोन निगम लि.
32. मझगांव डॉक लि.
33. मेकॉन लि.
34. मुम्बई रेलवे विकास कार्पोरेशन लि.
35. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
36. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.
37. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
38. एनएचपीसी लि.
39. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
40. नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि.
41. एनटीपीसी लि.
42. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.
43. पूर्वोत्तर विद्युत निगम लि.
44. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
45. आयल इंडिया लि.
46. ओएनजीसी विदेश लि.
47. पावर फाइनेंस कार्पोरेशन
48. पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
49. राइट्स लि.
50. रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
51. रेल विकास निगम लि.
52. राष्ट्रीय केमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.
53. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
54. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि.

55. सतलुज जल विद्युत निगम लि.
56. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
57. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
58. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
59. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.
60. टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.
61. टीएचडीसी इंडिया लि.

अनुसूची – ख

1. एन्ड्रयू युले एंड कंपनी लि.
2. बॉमर लारी एंड कंपनी लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनेमिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.
6. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि.
7. ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पालीमर्स लि.
8. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.
9. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.
10. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
11. ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि.
12. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.
13. सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
14. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
15. सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि.
16. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि.
17. चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
18. कोचीन शिपयार्ड लि.
19. भारतीय कपास निगम लि.
20. ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
21. ईस्टर्न कोलफील्ड लि.
22. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

23. इन्नोर पोर्ट लि.
24. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
25. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.
26. गोवा शिपयार्ड लि.
27. दस्तकारी एंवं हैडलूम निर्यात निगम लि.
28. हिन्दुस्तान केबल्स लि.
29. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.
30. एचएलएल लाइफकेयर लि.
31. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
32. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
33. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
34. हिन्दुस्तान स्टलीवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
35. हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन लि.
36. एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
37. एचएमटी मशीन टूल्स लि.
38. एचएमटी वाचेज लि.
39. भारत पर्यटन विकास निगम लि.
40. भारत व्यापार संवर्धन संगठन
41. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
42. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि.
43. इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
44. इंडियन रेयर अर्थस लि.
45. इंडियन अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लि.
46. इंस्ट्रूमेंनटेशन लि.
47. एम एस टी सी लि.
48. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
49. महानदी कोलफील्ड्स लि.
50. मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.
51. मैंग्नीज ओर (इंडिया) लि.
52. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.

53. मिश्र धातु निगम लि.
54. राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लि.
55. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कार्पोरेशन लि.
56. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.
57. नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि.
58. नेशनल लघु उद्योग लि.
59. नार्थन कोलफील्ड्स लि.
60. नूमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
61. उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि.
62. पीईसी लि.
63. पवन हंस हेलिकाप्टर्स लि.
64. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
65. स्कूटर्स इंडिया लि.
66. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
67. टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
68. यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
69. वापकोस लि.
70. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची – ग

1. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लानटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
2. आर्टिफिशीयल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया
3. बीबीजे कंस्ट्रक्शन लि.
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
5. भारत पेट्रो रिसोर्सेज लि.
6. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.
7. बीको लारी एंड कंपनी लि.
8. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.
9. ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लि.
10. भारतीय केन्द्रीय लघु उद्योग निगम लि.
11. सेंट्रल आयलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लि.

12. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि.
13. दिल्ली पुलिस आवास निगम
14. एजूकेशन कन्सलटेंट (इंडिया) लि.
15. एफसीआई अरावली जिपसम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.
16. फैरो स्क्रैप निगम लि.
17. हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लि.
18. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि.
19. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि.
20. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.
21. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
22. एचएमटी बियरिंग्स लि.
23. एचएमटी चिनार वाचेज लि.
24. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
25. एचएससीसी (इंडिया) लि.
26. होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
27. भारतीय जूट निगम लि.
28. कर्नाटक एंटीबायटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लि.
29. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.
30. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंड विकास निगम
31. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
32. राष्ट्रीय हैंडीकैप्ड वित्त एंव विकास निगम
33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम
34. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
35. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनु.जनजाति वित एवं विकास निगम
38. नेपा लि.
39. पूर्वोत्तर दस्तकारी एवं हैंडलूम विकास निगम लि.

40. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
41. राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
42. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.
43. एसटीसीएल लि.
44. भारतीय राज्य फार्म निगम लि.
45. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
46. तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.

अनुसूची – घ

1. हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि.
2. भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल्स निगम लि.
3. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.
4. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

अन्य – अवर्गीकृत

1. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.
2. एयर इंडिया चार्टर्स लि.
3. एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.
4. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.
5. एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लि.
6. असम अशोक होटल कार्पोरेशन लि.
7. बीईएल अप्ट्रानिक डिवाइसेज लि.
8. बालमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट्रस लि.
9. बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन लि.
10. भारत इम्यूनोलॉजीकल एंड बायलॉजीकल कार्पोरेशन लि.
11. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
12. भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.
13. भारत पैट्रो रिसोर्सेज जेडीपीए
14. बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि.
15. बड्र्स , जूट एंड एक्सपोर्ट लि.
16. सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.

17. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि.
18. कोस्टल कर्नाटक पावर लि.
19. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.
20. कोस्टल तमिलनाडु पावर लि.
21. क्रेडा – एचपीसीएल बायोफ्यूल लि.
22. डोनी पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लि.
23. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि.
24. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
25. फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लि.
26. गेल गैस लि.
27. घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.
28. एचपीसीएल बायोफ्यूल लि.
29. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.
30. आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.
31. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.
32. इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लि.
33. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.
34. जगदीशपुर पेपर मिल्स लि.
35. जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट निगम लि.
36. कान्ति बिजली उत्पादन निगम लि.
37. कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन
38. कुमारकुप्पा फ्रन्टियर होटल्स (प्रा.) लि.
39. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लि.
40. मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.
41. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोमेल्ट लि.
42. मिलेनियम टेलीकॉम लि.
43. एमजेएसजे कोल लि.
44. एमएनएच शक्ति लि.
45. नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक विकास निगम लि.
46. नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कार्पोरेटेड

47. एनएलसी तमिलनाडु पावर लि.
48. एनएमडीसी सीएमडीसी लि.
49. एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.
50. एनटीपीसी हाइड्रो लि.
51. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
52. न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.
53. उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लि.
54. पीएफसी कन्सल्टिंग लि.
55. पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि.
56. पावर सिस्टम आपरेशन निगम लि.
57. पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.
58. रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.
59. आरईसी पावर वितरण कंपनी लि.
60. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि.
61. राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.
62. सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.
63. सांभर साल्ट्स लि.
64. सेतुसमुद्रम निगम लि.
65. तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन
66. तातिया आंध्र मेगा पावर लि.
67. उत्कल अशोक होटल निगम लि.
68. विज्ञान उद्योग लि.

परिशिष्ट-IV

(पैरा 9.4)

अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किये गये केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्योरा

बैठक की सं. और तारीख	विचार किये गए मामले	बीआरपीएसई की सिफारिशें
96/31.10.2011	(i) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (ii) सांभर साल्ट्स लि.	(i) समीक्षा की गई। (ii) स्वत: समीक्षा की गई।
97/21.12.2011	(i) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (ii) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि.	(i) व (ii) की समीक्षा की गई।
98/25.1.2012	(i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल) (ii) आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि. (iii) बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि. (iv) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.	(i) से (iv) की समीक्षा की गई।
99/29.03.2012	(i) एचएमटी लि. (ii) भारत वैगन एंड इंजीनियर्स लि.	(i) सिफारिश की गई (ii) समीक्षा की गई।
100/7.5.2011	(i) सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि. (ii) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. (iii) हिन्दुस्तान कॉपर लि.	(i) से (iii) की समीक्षा की गई।
101/29.6.2012	(i) कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. (ii) पूर्वोत्तर दस्तकारी एवं हैंडलूम विकास निगम लि.	केआरसीएल की समीक्षा की गई। एनईएचएचडीसी की सिफारिश की गई।
102/27.7.2012	(i) स्कूटर्स इंडिया लि. (ii) इंस्ट्रूमेन्टेशन लि. (iii) एचएमटी मशीन टूल्स लि.	(i) से (iii) की समीक्षा की गई।
103/27.8.2012	(i) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (ii) भारतीय केन्द्रीय गृह उद्योग निगम लि. (iii) नेशनल जूट उत्पादक निगम लि.	एचपीसी व सीसीआईसीआई एल की स्वत: समीक्षा की गई। एनजेएमसी की समीक्षा की गई।
104/25.9.2012	(i) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि. (ii) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (iii) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि.	(i) से (iii) की समीक्षा की गई।

परिशिष्ट-V

(पैरा 9.5)

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके प्रस्ताव बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किए गए

क्र. सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई का नाम	बीआरपीएसई की अनुशंसा का व्यापक सार
	भारी उद्योग विभाग	
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
2.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन क. लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
4.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
6.	प्रागा टूल्स लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
7.	नेपा लि., नेपा नगर, मध्य प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
8.	रिचर्डसन और क्रूडास लि., मुंबई	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि., बेल्लारी, कर्नाटक	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
10.	भारत पम्प्स और कम्प्रेसर्स लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
11.	सीमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	अप्रचालनरत यूनिटों को बंद करना। अन्य 3 प्रचालित यूनिटों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
12.	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर, कर्नाटक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
13.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि., रांची, झारखंड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
14.	एण्ड्यू यूले एंड क. लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
15.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
17.	एचएमटी लि., बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
18.	एचएमटी वाचेज लि., बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार-बंगलौर यूनिट को बंद कर दिया गया है और रानीबाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित करना।
19.	भारत आप्थालमिक ग्लास लि.	बंद
20.	भारत यंत्र निगम लि.	बंद
21.	भारत हैवी प्लेट और वेसल्स लि.	वित्तीय पुन:संरचना द्वारा पुनरुद्धार तथा बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करना
22.	हिंदुस्तान केबल्स लि., कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
23.	एचएमटी चिनार वाचेज लि., जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जे एंड के की राज्य सरकार को स्थानांतरित करके अथवा किसी राज्य/केंद्रीय सरकारी उद्यम/निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को स्थानांतरित करने के द्वारा पुनरुद्धार

24.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
25.	स्कूटर्स इंडिया लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	वस्त्र मंत्रालय	
26.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि., कानपुर, यूपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
27.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि.	15 मिलों का सरकारी उद्यम के रूप में तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरुद्धार
28.	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन लि., कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
29.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	एल्गिन मिल सं. 2 का पुनरुद्धार
	उर्वरक विभाग	
30	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मनाली, तमिलनाडु	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
31.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स त्रावणकोर लि., कोच्ची, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
32.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि. (बीवीएफसीएल)	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	पोत परिवहन मंत्रालय	
33.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
34.	हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	रक्षा मंत्रालय	
35.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	
36.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुंबई	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
37.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
38.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	फार्मेसियूटीकल्स विभाग	
39.	हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि., पुणे, महाराष्ट्र	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
40.	बंगाल केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
41	इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटि-कल्स लि., गुडगांव, हरियाणा	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
42.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
43.	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
	कोयला मंत्रालय	
44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
45	भारत कोकिंग कोल लि.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खान मंत्रालय	
46.	मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि., नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

47.	हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
48.	सेण्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	जल संसाधन मंत्रालय	
49.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	इस्पात मंत्रालय	
50.	मेकॉन लि., रांची, झारखण्ड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
51.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि., बोकारो, झारखण्ड	वित्तीय पुन:संरचना के माध्यम से पुनरुद्धार और सेल के साथ विलयन
52.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	कृषि और सहकारिता विभाग	
53.	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
54.	बीको लारी लि.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	रेल मंत्रालय	
55.	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
56.	भारत वैगन एण्ड इंजि. कं. लि. पटना, बिहार	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
57.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
58.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., कोलकाता	दो वेगन निर्माण यूनिटों को रेल विभाग को हस्तांतरित करके तथा एक रिफ्रेक्ट्री यूनिट को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करके पुनरुद्धार
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
59	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	
60	हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कॉर्पो. लि.	ब्रेकफास्ट फूड यूनिट का परिसमापन
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
61.	नार्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम विकास निगम लि.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
62.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

परिशिष्ट-VI

(पैरा 9.7)

बीआरपीएसई संस्तुत प्रस्तावों के बारे में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद तथा गैर–नकद सहायता

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सहायता (रुपये करोड़ में)		
		नकद#	गैर-नकद@	कुल
	भारी उद्योग के विभाग			
1	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
3	बीबीजे कान्सट्रक्शन कंपनी लि.	-	54.61	54.61
4	एचएमटी बेयरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
5	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
6	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
7	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
8	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.	-	-	-
9	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस लि.	-	-	-
10	भारत आप्थलमिक ग्लास लि.##	9.80.	-	9.80
11	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
12	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
13	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लि.	-	-	-$$
14	एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	87.06	457.14	544.20
15	इंस्ट्रूमेन्टेशन लि.	48.36	549.36	597.72$$$
16	भारत यंत्र निगम लि.##	3.82	7.55	11.37
17	टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	-	1018.45	1018.45&&
18	नेपा लि.	234.18	634.94	869.12
19	स्कूटर्स इंडिया लि.	-	-	-""
	खान मंत्रालय			
20	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-	612.94	812.94
21	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.	-	104.64	104.64

नौ परिवहन मंत्रालय				
22	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
23	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	148.08	628.86	776.94
रक्षा मंत्रालय				
24	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	452.68	372.22	824.90
इस्पात मंत्रालय				
25	मेकॉन लि.	93.00**	23.08	116.08
26	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	-	479.16	479.16
वस्त्र मंत्रालय				
27	एनटीसी तथा उसकी सहायक कंपनियां	39.23	-	39.23
28	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि.	338.04	108.93	446.97
29	राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम लि.	517.33	6815.06	7332.39
फार्मास्यूटिकल्स विभाग				
30	हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
31	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
रसायन एवं पैट्रोरसायन मंत्रालय				
32	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	110.46	360.46
33	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि.	-	267.29	267.29
उर्वरक विभाग				
34	उर्वरक एवं रसायन (ट्रावणकोर) लि.	-	670.37	670.37
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
35	सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि.	-	16.28	16.28
कोयला विभाग				
36	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	—*	—*	—*
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय				
37	भारतीय राज्य फार्म निगम लि.	21.21	124.42	145.63
रेल मंत्रालय				
38	कोंकण रेलवे निगम लि.	857.05	3222.46	4079.51
39	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	49.45	258.73	308.18
40	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	280.21	284.21
41	बर्न स्टैडर्ड कंपनी लि.@@@	75.43	1139.16	1214.59

जल संसाधन मंत्रालय				
42	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.	-	219.43***	219.43***
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
43	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	-	128.00	128.00
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
44	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	3.00	28.40	31.40
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
45	बीको लॉरी लि.	-	59.60	59.60
	कुल	**4739.44**	**22237.83**	**26977.27**

नकद सहायता इक्विटी / ऋण / अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता हो सकती है।

@ गैर–नकद सहायता में ब्याज, दंड ब्याज, सरकारी ऋण, गारंटी शुल्क, और ऋण को इक्विटी / डिबेंचरों आदि में परिवर्तित करना शामिल है।

सरकार ने इन सीपीएसई को बंद / समाप्त करने का अनुमोदन किया है।

* सरकार द्वारा पुनरूद्घार योजना अनुमोदित करने के साथ ही गैर–नकद सहायता 2470.00 करोड़ रु. और 2004–05 से सेवा कर के 14 करोड़ रु. प्रतिवर्ष समाप्त करना भी शामिल है।

$ इसके अतिरिक्त ओएनजीसी और बीएचईएल नकद सहायता के रूप में क्रमशः 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रु. देंगे।

** वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी जो प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी की निरंतरता को समाप्त करना।

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचईएल द्वारा बीएचपीवी के अधिग्रहण को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ स्वीकृति दे दी है कि बीएचपीवी का मूल्यांकन सुस्थापित सिद्घान्तों के आधार पर विवेक सम्मत रूप से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया गया तो मामला मंत्रिमंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

&& संसद ने टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (स्वामित्व का विनिवेश) के विधेयक 2007 को कंपनी के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की प्रकृति को बदलने के लिये अनुमोदन कर दिया है। तुलन पत्र का निपटान करने के बाद विनिवेश किया जाएगा।

*** इसके अतिरिक्त सरकार ने देय समेकित ब्याज और इक्विटी पूंजी के रूप में परिवर्तन की तारीख को सरकारी ऋणों पर देय ब्याज तथा मूल्य के 10 प्रतिशत को माफ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

$$$ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये भेल से 30 करोड़ रु. ब्याज मुक्त सहायता जुटाने और विवधीकरण जिसका भुगतान भेल के आर्डरों की आपूर्ति करके किया जाएगा। भेल से आईएलके को 25 करोड़ रु. ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में प्रत्येक वर्ष 2008–09 से तीन वर्ष तक मिलते रहेंगे जिनका समायोजन उसी वर्ष भेल को आपूर्ति करके किया जाएगा।

@@@ भारी उद्योग विभाग से अंतरित। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. की रिफ्रैक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल को अंतरित कर दिया गया।

**** समग्र सरकारी इक्विटी का उपयुक्त चिन्हित सामरिक भागीदार को अंतरण, वेतन सहायता जारी रहना और सामरिक भागीदार को शामिल करने के लिये अंतिम अनुमोदन कराते समय तुलन–पत्र का निपटान करने के लिये अनुमोदन ।

परिशिष्ट-VII

(पैरा10.8)

प्रचालनात्मक नोडल एजेन्सियों की सूची (2011–12)

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम
1.	अकादमी सबर्बिया, कोलकाता
2.	एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेनेयोर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
3.	सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजी, भुवनेश्वर
4.	इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, रामनगर
5.	इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज (आईसीएसआई),, कोलकाता
6.	इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट, जयपुर
7.	केआईआईटी स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, भुवनेश्वर
8.	एमपीकोन लिमिटेड, भोपाल
9.	मिटकोन कंसलटेंसी लि., पुणे
10.	नेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन, कोलकाता
11.	यू.पी. इंडस्ट्रियल कंसलटेन्ट्स लि., कानपुर

परिशिष्ट-VIII

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट [उपलब्धियाँ प्रस्तुत] (2011–2012)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्यवाई	सफलता	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	असंतोषजनक		रॉ-स्कोर	भारांक
						100%	90%	80%	70%	60%			
1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नैगम अभिशासन में वृद्धि	8.00	नैगम अभिशासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का श्रेणीकरण	मूल्यांकन के लिए स्कीम को अंतिम रुप देन	दिनांक	4.00	28/02/2012	15/3/2012	31/3/2013			28/02/2012	100.0	4.0
			एजेंसी का अभिनिर्धारण और नैगम अभिशासन प्रणाली का आकलन	दिनांक	4.00	28/02/2012	15/3/2012	31/3/2013			22/06/2011	100.0	4.0
2. सभी स्तरों पर प्रबंधन का व्यवसायिकीकरण	4.00	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल से नीचे के प्रबंधन का व्यावसायिकीकरण	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के व्यवसायिकीकरण पर बेसलाइन आंकड़ों का संग्रहण	दिनांक	2.00	30/6/2011	31/07/2011	31/08/2011			08/06/2011	100.0	2.0
			मार्गनिर्देश जारी करना	दिनांक	2.00	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012			31/12/2011	100.0	2.0

3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का श्रेणी करण	5.00	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी के मानदण्डों की समीक्षा	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के श्रेणीकरण के लिए संशोधित मानदण्डों को अंतिम रुप देना और जारी करना	दिनांक	5.00	30/11/2011	15/12/2011	31/12/2011			30/11/2011	100.0	5.0
4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन	22.00	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय के बीच वार्ता बैठकों का आयोजन और समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अंतिम रुप देना	उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जिन्होंने लक्ष्य तिथि तक प्रारूप समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया है उनके कार्यबल की बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना	दिनांक	14.00	20/03/2012	24/03/2012	28/03/2012	31/03/2012	01/04/2012	19/04/2012	100.0	14.0
		उच्च अधिकार प्राप्त समिति को समझौता ज्ञापन 2010-11 के अंतिम स्कोर और रेटिंग प्रस्तुत करना	संबंधित कार्यबल द्वारा यथा मूल्यांकित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन के अंतिम स्कोर और रेटिंग की फाइल को मंत्रिमण्डल सचिव को प्रस्तुत करना	दिनांक	8.00	30/11/2011	15/12/2011	31/12/2011	31/01/2012	01/04/2012	30/11/2011	100.0	8.0

5. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के मध्य हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के लिए मार्गनिर्देश	2.00	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों को समझौता ज्ञापन मार्गनिर्देशों का अनुमोदन, जारी और प्रचालित करना	समझौता ज्ञापन मार्गनिर्देशों का अनुमोदन जारी और प्रचालित करना	दिनांक	2.00	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	31/10/2011	100.0	2.0
6. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन पर अनुसंधान एवं विकास मार्गनिर्देश	2.00	कोर समूह की बैठक और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए अनुसंधान एवं विकास मार्गनिर्देश तैयार करना	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए अनुसंधान एवं मार्गनिर्देशों का अनुमोदन और प्रचालन	दिनांक	2.00	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	23/09/2011	100.0	2.0

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट [उपलब्धिया] प्रस्तुत, (2011–2012)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	असंतोषजनक		रॉ-स्कोर	भारांक
						100%	90%	80%	70%	60%			
7. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए समझौता ज्ञापन के लिए सतत् विकास पर मार्गनिर्देश	2.00	कोर समूह की बैठक और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए सतत् विकास पर मार्गनिर्देश तैयार करना	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए सतत् विकास पर मार्गनिर्देशों का अनुमोदन और प्रचालन	दिनांक	2.00	31/10/2011	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	23/09/2011	100.0	2.0
8. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सी आर आर)	6.00	वी आर एस लेने वालों को शामिल करना	शामिल किए गए वी आर एस लेने वालों की संख्या	नहीं	5.00	9000	8500	6800	5950	4800	9000	100.0	5.0
		संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यापक रुप से शामिल किया जाना और कर्मचारी सहायता केन्द्रों की उन स्थानों पर स्थापना करना	एजेंसियों का अभिनिर्धारण और ई ए सी की स्थापना	दिनांक	1.00	15/08/2011	30/08/2011	15/09/2011	30/09/2011	15/10/2011	20/06/2011	100.0	1.0

		जहां सी आर आर के अंतर्गत अब तक नहीं किया गया											
9. सी एस आर नीति का कार्यान्वयन	2.0	सी एस आर हब की कार्यप्रणाली की निगरानी	अर्द्धवार्षिक रिपोर्टों की प्राप्ति	दिनांक	2.00	30/11/2011	31/12/2011	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	30/11/2011	100.0	2.0
10. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रहण और रख-रखाव	16.00	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 का प्रकाशन	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 को संसद में प्रस्तुत करना	दिनांक	12.00	28/02/2012	31/03/2012				22/03/2012	92.81	11.14
		केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन पर सूचना एकत्र करना	वेबसाईट पर उपयोग कर्ता अनुकूलन फार्मेट में 2009-10 लोक उद्यम सर्वेक्षण के सर्वेक्षण डाटा को डालना	दिनांक	4.00	30/04/2011	15/05/2011	30/05/2011	15/06/2011	30/06/2011	25/04/2011	100.0	4.0
11. स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पी एम ए) के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटान	5.00	मध्यस्थता मामलों का निपटान	1.4.2011 तक के सभी बकाया मामलों को शामिल करना (विचारणाधीन मामलों को छोड़कर)	%	5.00	60	50	40	30	20	72	100.0	5.0

12. कार्यनिष्पादन निगरानी प्रणाली आरम्भ करने के लिए राज्यों को सहायता देना	2.00	राज्य स्तरीय लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली अपनाने हेतु सुग्राही बनाने के लिए राज्यों को अभिनिर्धारित करना	राज्यों की संख्या	नहीं	2.00	6	5	4	3	2	8	100.0	2.0
13. लोक उद्यम विभाग के साथ स्कोप को शामिल करना	3.00	लोक उद्यम विभाग के साथ स्कोप को व्यापक रुप से शामिल करने की संभावना तलाशना	स्कोप के साथ विचार विमर्श के बाद संभावित एप्रोच दस्तावेजों को अंतिम रुप देना	दिनांक	3.00	31/08/2011	30/09/2011	31/10/2011			30/09/2011	90.0	2.7

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट [उपलब्धिया] प्रस्तुत, (2011–2012)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य					उपलिब्धयां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा		असंतोषजनक		रॉ-स्कोर	भारांक
						100%	90%	80%	70%	60%			
14. पूर्ण रुप में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विकास का निर्धारण	6.00	सकल मार्जिन	प्रतिशत वृद्धि	नहीं	6.00	5	2	1			7.78	100.0	6.0
* आर एफ डी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	3.00	परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011	07/03/2011	100.0	2.0
		अनुमोदन हेतु मसौदे की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	01/05/2012	100.0	1.0
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक क्षमता/ प्रत्युत्तरात्मकता/सर्विस डिलीवरी का सुधार	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक/ग्राहक चार्टर के संशोधित ड्राफट की पुन: प्रस्तुति	दिनांक	2.0	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2011	16/01/2012	100.0	2.0
			शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की	%	2.0	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं

			स्वतंत्र लेखा परीक्षा										
		आर टी आई, अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुसार अनुपालन सुसनिश्चित	उन मदों की संख्या जिस पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड की गई है।	नहीं	2.0	16	15	14	13	12	16	100.0	2.0
		आई एस ओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की कार्य-योजनो बनाना	आई एस ओ 9001 प्रमाणन को लागू करने की कार्य योजना को अंतिम रुप देना	दिनांक	2.0	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	26/03/2012	100.0	2.0
		विभागीय कार्रवाई से संबंधित भ्रष्टाचार के क्षेत्रों की संभाव्यता की पहचान करना और उन्हें समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को समाप्त करने की कार्य योजना को अंतिम रुप देना	दिनांक	2.0	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	09/02/2012	100.0	2.0
* वित्तीय उत्तरदायित्व	2.00	सी एण्ड ए जी	वर्ष के दौरान सी	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

फ्रेम वर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना		के लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्यवाई को समय पर प्रस्तुत करना	ए जी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से आंकड़ों सहित (चार माह) प्रस्तुत "की गई कार्रवाई" का प्रतिशत										

* अनिवार्य उद्देश्य

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट [उपलब्धिया प्रस्तुत] (2011–2012)

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य					उपलिब्धयां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	असंतोषजनक		रॉ-स्कोर	भारांक
						100%	90%	80%	70%	60%			
		पी ए सी रिपोर्टों पर पी ए सी सचिवालय को समय पर की गई कार्यवाईयां प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पी ए सी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख के भीतर (छह माह) प्रस्तुत "की गई कार्रवाई" का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		31.3.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत सी एण्ड ए जी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरों पर लंबित की गई कार्यवाई संबंधी टिप्पणियों का	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष की गई कार्यवाई टिप्पणियों का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

		शीघ्र निपटान											
		31.3.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत पी ए सी रिपोर्टों पर लंबित की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष की गई कार्रवाई रिर्पोटों का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

*

कुल योग 96.84

लोक उद्यम विभाग (2011–12) के लिए परिणाम–कार्य ढांचा दस्तावेज की गई कार्रवाई

उद्देश्य		महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र		की गई मुख्य कार्रवाईयां
[1] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट शासन बढ़ाना	[1.1]	कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग	[1.1.1]	ग्रेडिंग की स्कीम/प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया और सभी मंत्रालयों को परिचालित किया गया
			[1.1.2]	एजेन्सी की पहचान की गई और कारपोरेट शासन प्रणाली के मूल्यांकन में लोक उद्यम विभाग की सहायता की गई।
[2] प्रबंधन को सभी स्तरों पर पेशेवर बनाना	[2.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे के प्रबंधन को पेशवर बनाना	[2.1.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पेशेवर बनाने से संबंधित आधारभूत आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं
			[2.1.2]	दिशानिर्देश/परामर्श जारी किए गए
[3] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का श्रेणीकरण	[3.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के श्रेणीकरण के मानदण्ड की समीक्षा	[3.1.1]	श्रेणीकरण पर संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर जारी किया गया
[4] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन	[4.1.]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय के साथ बातचीत संबंधित बैठकें आयोजित करना और एमओयू लक्ष्य को अंतिम रूप देना	[4.1.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की कार्यबल बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप दे दिया गया है
	[4.2]	समझौता ज्ञापन 2010-11 अंतिम स्कोर तथा दर्जा उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंपना	[4.2.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंतिम एमओयू स्कोर तथा दर्जा मंत्रिमण्डल सचिव को सौंप दिए गए हैं

[5] केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा प्रशासनिक मंत्रालय के बीच एमओयू दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर किया जाना।	[5.1]	एमओयू दिशानिर्देशों का अनुमोदन करना और इन्हें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी और परिचालित करना	[5.1.1]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंतिम एमओयू स्कोर तथा दर्जा मंत्रिमण्डल सचिव को सौंप दिए गए हैं
[6] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए एमओयू पर आर एंड डी दिशानिर्देश	[6.1]	कोर ग्रुप की बैठकें तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए आर एंड डी दिशानिर्देश तैयार करना	[6.1.1]	आर एंड डी दिशानिर्देश अनुमोदित कर परिचालित कर दिए गए हैं।
[7] केन्द्री सरकारी उद्यमों के एमओयू के लिए स्थायी विकास पर दिशानिर्देश	[7.1]	कोर ग्रुप की बैठकें तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी विकास दिशानिर्देश तैयार करना	[7.1.1]	स्थायी विकास पर दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर परिचालित कर दिया गया है।
[8] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अलग किए गए कर्मचारियों के लिए काउंसलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति स्कीम	[8.1]	वीआरएस लेने वालों को शामिल करना	[8.1.1]	वीआरएस लेने वालों को सीआरआर स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया
	[8.2]	एजेंसियों की सहायता लेते हुए तथा अब तक शामिल नहीं किए गए कर्मचारी सहायता केन्द्रों की स्थापना करते हुए ब्रॉडबेस कवरेज	[8.2.1]	आवश्यकता आधारित ईएसी की पहचान करके इनकी स्थापना की गई
[9] सीएसआर नीति को लागू करना	[9.1]	सीएसआर संबंधी कामकाज की मानीटरिंग	[9.1.1]	अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है
[10] केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में सूचना का संकलन तथा रखरखाव	[10.1]	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 का प्रकाशन	[10.1.1]	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है
	[10.2]	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन पर सूचना का सृजन करना	[10.2.1]	वर्ष 2009-10 के संबंध में लोक उद्यम सर्वेक्षण को वेबसाइट पर उपयोगकर्ता अनुकूल फार्मेट में पोस्ट किया गया।

[11] विवाचन की स्थायी मशीनरी के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटारा	[11.1]	विवाचन संबंधी मामलों का निपटान	[11.1.1]	
[12] कार्यनिष्पादन मानीटरी प्रणाली लागू करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करना	[12.1]	एसएलपीई में एमओयू प्रणाली लागू करने के लिए राज्यों की पहचान कर उन्हें संवेदनशील बनाना	[12.1.1]	एसएलपीई में एमओयू प्रणाली लागू करने हेतु 8 राज्यों को संवेदनशील बनाया गया
[13] स्कोप को डीपीई के साथ जोड़ना	[13.1]	डीपीई के साथ स्कोप को बड़े स्तर पर जोड़ने की संभावना खोजना	[13.1.1]	स्कोप के परामर्श से अप्रोच पेपर को अंतिम रूप दे दिया गया है
[14] केन्द्रीय सरकारी उद्यम में सकल वृद्धि का आकलन	[14.1]	सकल मार्जिन	[14.1.1]	वर्ष 2010-11 में सकल मार्जिन में वर्ष 2009-10 की तुलना में 7.78% की वृद्धि हुई

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट (2012-13)

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय